Page No 1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का ४५ वां दिवस [संख्या ३१

सोमवार, दिनांक १० अप्रेल, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[नियुक्ति, शक्ति, राजस्व, शिक्षा, समाज कल्याण, उद्योग, देवस्थान, सामान्य प्रशासन, जलप्रदाय, सार्वजनिक निर्माण, अकाल एवं पुर्नवास-विभाग]

स्टेनो टाइपिस्ट को विशेष वेतन

८४१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Chief Minister be pleased to state :-

1. Is it a fact that Steno-typists serving under the Government are not granted the special allowance of Rs. 25/- attached to their post, unless they pass Stenographers' Test held by the Public Service Commission ?

2. Is it a fact that despite this condition, Steno-Typists were not allowed to appear in the recent Hindi Stenographers' Test conducted by the Public Service Commission ? If so, why ?

3. Do the Government intend to allow Steno-Typists to sit in the next tests of English and Hindi Stenographers in view of the condition imposed by the Government as mentioned in (1) above ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): 1. Under the Rajasthan Civil Services (Unification of Pay Scales) Rules and Schedules, sepeial pay of Rs. 25/- is admissible to a clerk who has passed the Inter Commerce with stenography as his optional subject or qualifies in stenography by passing the test held by P. S. C. and holds a post of stenographer clerk. As

Page No 2

(श्री दामोदरलाल व्यास)

such, one who has not passed Inter Commerce with stenography as his optional subject is not allowed this special pay unless he qualifies in stenography by passing the test held by P. S. C.

2. No order was issued by the Government to restrain steno-typists from appearing at the III Grade Hindi Stenographers' and Hindi Typists' qualifying test last held by the Public Service Commission.

3. There is no ban to their appearing at the tests to be held by the P. S. C. if they are otherwise qualified under the rules.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What do you mean by, "if otherwise qualified under these rules" ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, I will just let you know. The III Grade Hindi Stenographers' and Hindi Typists' Qualifying Test conducted by the P. S. C. on the 23rd and 24th February, 1961, was meant for special categories of Government servants as below :—

(i) Persons who have received training in Hindi stenography and Hindi typing as regular students of the training classes run by the Govemment at the district headquartsrs.

(ii) Persons who had received training at the training classes run by the Government and appeared at such test held by the Commission but were declared unsuccessful.

(iii) Persons working as English Stenographers or English Typists in all Departments of the Rajasthan Government, who have learnt the art at their own cost and are required to qualify in the test conducted by the Commission for Hindi Stenographers and Hindi Typists, as laid down under Government order No.F. 50/GAD/B dated the 13th February, 1960, failing which their grade increments are liable to be withheld.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: My question was, 'Do the Government intend to allow Steno-Typists to sit in the next tests of English and Hindi Stenographers......?" You have said in para 3 of your reply, "if they are otherwise qualified." What is meant by this ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have stated the requisite qualifications for appearing at that test.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is only for the last tests. What about future ?

श्री दामोदरलाल व्यास : These very qualifications will apply.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If there is no ban of Steno-typists to appear

Page No 3

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

in the Stenographers' Test held by the P.S.C.then why their applications are rejected by the P. S. C. on the ground that they are Steno-typists and, as such, are not eligible to sit in the examination ?

श्री दामोदरलाल व्यास : As I have said, they may not have fulfilled other conditions, which I have just read out.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : When the examination was meant both for Stenographers and Steno-typists why the applications of the later were rejected by the P. S. C. ?

श्री अध्यक्ष : Probably because thereare two qualifications Intermediate Commerce with Steno-typing as one of the optional subjects plus passing of the test held by the P.S.C.

बसवा तहसील में बिजली

८४२. श्री विशम्भरनाथ जोशी(बांदीकुई): Will the Minister for the Power be pleased to state:—

1. Whether it is a fact that there is great demand by businessmen, farmers, and other sections of the Public for the supply of electricity to the Baswa Tehsil ?

2. Whether it is also a fact that the Railway colony at Bandikui is enjoying the facility of electricity for the last forty years whereas the other part of the town is going without it ?

3. What steps the department is taking for the supply of electricity to the Baswa Tehsil ?

4. By what time the department expects to be able to supply electricity to Bandikui town ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : 1. none except that from Bandikui.

2. The Railways have their own Power House and they are stated to be supplying Power within their area. The time from which they are suppling Power is not known.

3. As a result of Load Survey, Project Report for Bandikui has been prepared and work will be taken in hand soon.

4. As soon as possible, within financial year 1961-62.

प्रश्न संख्या ८४३

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८४४

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

लम्बरदार व चौधरियों को अनावश्यक भू–राजस्व की वसूली का खर्चा दिया जाना

८४५. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में भू–राजस्व के करोड़ों रुपये बकाया पड़े हैं ? यदि हां, तो जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह भी सही है कि भू–राजस्व की रकम वसूली के नियम बनाए हुए हैं और उन नियमों के अनुसार रेवेन्यू इन्सपेक्टर व पटवारी वसूली करने के जिम्मेदार हैं ? यदि हां, तो लम्बरदार व चौधरियों को वसूली खर्चा किस आधार पर दिया जाता है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) ३०–९–१९६० तक भू–राजस्व की बकाया की रकम ३,६४,०७,३४४) रुपये थी। इस रकम की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी हां; इन्सपेक्टर वसूली के जिम्मेदार नहीं हैं। पटवारी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैंड रेकॉर्ड) रूल्स के नियम ३५ के अनुसार लम्बरदारों को भू–राजस्व की वसूली में सहायता करता है। वसूली के जिम्मेदार लम्बरदार हैं और इसलिये इनको पैसा लम्बरदारी राजस्थान भू–राजस्व (लम्बरदार) नियम, १९५८ के अनुसार दिया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : जब ३ करोड़ के करीब बकाया है तो उनको लम्बरदारी हक देने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस बकाया में बहुत सी बकाया तो ऐसी है कि जो जागीरदारों के कम्पेन्सेशन में से कटेगी, बहुत सी ऐसी बकाया है जो राइट ऑफ होने की है, बहुत सी ऐसी बकाया है कि जो स्केयर्सिटी के कारण ऑर्डर सस्पेन्शन है, बहुत सी बकाया ऐसी है कि जिसको सस्पेन्ड कर रखा है और कुछ बकाया ऐसी है कि जिसकी वसूली के आदेश अभी रुके हुए हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार लम्बरदारी प्रथा को खत्म करना चाहती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, सरकार ने निर्णय ले लिया है कि इसको खत्म किया जाये।

श्री लक्ष्मीचन्द : कौन सी तारीख को निर्णय लिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत दिन हो गए और सदन में मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं तारीख के बारे में।

श्री अध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

श्री तनसिंह : प्रश्न संख्या ८४६।

इस्तमरारदारों के बकाया लगान की वसूली

८४६. रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) [श्री तनसिंह (बाड़मेर) द्वारा पूछा गया] :

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि अजमेर—मेरवाड़ा के इस्तमरारदारों की इस्तमरारदारी समाप्ति कानून लागू होने से पूर्व की बकाया लगान वसूली उक्त कानून लागू होने के पश्चात् सरकार ने की थी ?

(ख) यदि हां, तो वह वसूली किस सन् में की गई तथा किस सन् में इस्तमरारदारों को उक्त धन—राशि दी गई ? कृपया मय रकम व उन तारीखों के जिनमें वसूली हुई तथा इस्तमरारदारों को दी गई, इस्तमरारदारों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) क्या सरकार उक्त इस्तमरारदारों की रकम को इतने लम्बे अर्से तक रोके रखने के सबब से हुई आर्थिक हानि के कारण उक्त रकम का ब्याज भी देगी ? यदि हां, तो किस दर से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

जालोर जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्कूलों का अपग्रेडेशन

८४७. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

जिला जालोर में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूलों में व मिडल स्कूल को हाई स्कूल व हायर सेकण्डरी स्कूलों में परिवर्तन करने का विचार है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५०० प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में, १६५ माध्यमिक शालाओं को उच्चतर माध्यमिक शालाओं में तथा २० कन्या माध्यमिक शालाओं को उच्च शालाओं में परिवर्तित करने की योजना है। योजना समस्त राजस्थान के लिए है जिलेवाइज़ नहीं है। जिलों की आवश्यकताओं को देखते हुए उन पर विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

सब-डिविज़न हिण्डोन में हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति

८४८. **श्री उम्मेदीलाल** (करोली-सु०): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सब-डिविज़न हिण्डोन में सन् १९५७ से ६० तक हरिजन छात्रों की कितनी दर्ख्वास्तें छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आईं और कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

Page No 6

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सब-डिविज़न हिण्डौन से सन् १९५७ से १९६० तक हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु ७५६ दर्ख्वास्तें प्राप्त हुई, इनमें से विभाग द्वारा ६९६ को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। पंचायत समितियों द्वारा छात्रवृत्ति दी गई है।

श्री उम्मेदीलाल : जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली उनकी दर्ख्वास्तों में क्या कमी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : छात्रों का कक्षा में फैल होना, छात्रों का हस्ताक्षर नहीं होना, डबल फॉर्म भरना, फॉर्म गलत भरे हुए प्राप्त होना और सम्बन्धित छात्र-जाति का नहीं होना।

श्री सूरजमल (फलोदी-सु०) : यह फॉर्म भरने की जिम्मेदारी किसकी होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : छात्रों की खुद की।

श्री सूरजमल : हैडमास्टर फार्म की देखभाल नहीं कर सकते हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो स्कॉलरशिप चाहता है उसका फॉर्म ठीक तरह से भरना छात्र की खुद की जिम्मेदारी है और अगर खुद ठीक तरह से नहीं भर सके तो अपने गार्ज़ियन से भरा कर पेश करे।

प्रश्न संख्या ८४९

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द।

पटवारियों को मिलने वाले मासिक कन्टिन्जेन्सी खर्चे में परिवर्तन की अपेक्षा

८५०. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पटवारियों को मासिक कन्टिन्जेन्सी खर्चा दिया जाता है ? यदि हां, तो उसकी क्या दर है ? क्या जिस रेट्स से कन्टिन्जेन्सी दी जाती है उसमें कुछ परिवर्तन करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जी हां तारीख १-४-६० से पटवारियों को मासिक कन्टिन्जेन्सी खर्चा १ रुपये से बढ़ा कर २ रुपये किया जाता है। अब परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री गोरधनसिंह केन।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह : प्रश्न संख्या ८५१।

भरतपुर जिले के उद्योग व उद्योग बस्तियां

८५१. श्री गोरधनसिंह केन(बयाना-सु.) [डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया]: क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No 7

(श्री गोरधनसिंह)

(१) भरतपुर जिले में कौन कौन से उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि उद्योग बस्तियों का भी निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(३) उक्त जिले में इस समय कौन कौन से उद्योग चल रहे हैं और कौन से बन्द हैं ? जो बन्द हैं, उनके चलाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(४) उद्योग बस्तियों में कितने शैड अलॉट किये जा चुके हैं तथा उनको अलॉट करने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सार्वजनिक (पब्लिक सेक्टर) क्षेत्र में कोई नहीं ।

(२) जी हां, भरतपुर में उद्योग बस्ती का निर्माण कार्य चालू है और सन् १९६१-६२ तक समाप्त हो जाने की आशा है । धौलपुर में उद्योग बस्ती के लिए जमीन एक्वायर की जा रही है, कार्य १९६१—६२ में शुरू हो जायेगा ।

(३) इस जिले में निम्न उद्योग चल रहे हैं :—

१. वैगन फैक्टरी
२. धौलपुर ग्लास वर्क्स
३. गुरु नानक री—रौलिंग मिल्स
४. ऑईल मिल्स
५. फाउन्डरीज़
६. बाल्टियों के कारखाने
७. चेन मेनुफैक्चरिंग
८. लोहे का सामान बनाने का कारखाना
९. बर्त्तनों के कारखाने
१०. केनवास के कारखाने
११. पीतल—तांबे की इन्डस्ट्री
१२. चमड़े के सामान बनाने का कारखाना
१३. रेडियो असेम्बलिंग
१४. साइकिल इन्डस्ट्रीज़
१५. लाइट केमिकल
१६. सोप फैक्ट्रीज़
१७. कलमी सोरा का उत्पादन ।

(४) अभी कोई नहीं । नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : नम्बर ३ के उत्तर में आपने यह बताया है कि ये ये उद्योग चल रहे हैं; पर जो बन्द हैं उनको चलाने की कौनसी व्यवस्था है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बन्द हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : आपने बताया है कि कौन कौन से उद्योग चल रहे हैं, लेकिन

(डॉ० बहादुरसिंह)

कौन कौन से उद्योग बन्द हैं और उनको चलाने की क्या व्यवस्था की जा रही है, यह आपने नहीं बताया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जो आपको सूचना दी है वह उनकी दी है जो कि चल रहे हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : जो बन्द हैं उनकी सूचना दीजिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास सूचना नहीं है कि कोई बन्द भी है।

डॉ० बहादुरसिंह : यह सूचना बिल्कुल अधूरी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास सूचना नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं जानकारी कर के बता दूंगा। आप बतायें कि कौन कौन से बन्द हैं ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : इन फर्मों के मालिकों के नाम भी दिये हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : धौलपुर में मैच फैक्टरी बन्द है। दूसरे उद्योग भी बन्द हैं। तो जो उद्योग बन्द हैं उनकी सूचना चाही गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह फैक्टरी तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती होगी....

डॉ० बहादुरसिंह : एग्ज़िस्ट कैसे नहीं करती होंगी ? उनके बोर्ड लगे हुए हैं, जमीन है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्वेश्चन नम्बर १ का रिप्लाई इनकम्पलीट दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बिल्कुल कम्पलीट दिया है। मैंने कहा है, सार्वजनिक सेक्टर में नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : सवाल सार्वजनिक सेक्टर का नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के लिए पूछा गया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो उद्योग चल रहे हैं वे बता दिये और इन्डस्ट्रियल एस्टेट है उसके बारे में बता दिया। फिर इन्डस्ट्रियल एस्टेट के बारे में और पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। अब कौन कौन से उद्योग लगेंगे, तो यह तो कौन केपिटैलिस्ट आयेगा, कौन नहीं, और क्या उद्योग चालू होगा-यह बताना सम्भव नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : लाइसेंस वगैरह इश्यू हुए या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर लाइ-सेन्स इश्यू होते तो जरूर बता देता।

डॉ० बहादुरसिंह : धौलपुर में कितने शैड्स बन रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कितने बन रहे हैं, यह तो पता नहीं पर वहां पर लैण्ड एक्वीज़िशन की कार्यवाही हो रही है।

Page No 9

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : भरतपुर में जो उद्योग बताये, कितने ही तो उसमें से डिफंक्ट हो गए; जैसे रेडियो असेम्बलिंग का उद्योग सन् १९४७ में शुरू हुआ था और अभी उसका पता नहीं............

डॉ० बहादुरसिंह : धौलपुर में भी ऐसा ही एक उद्योग आया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मगर मेरे पास ऐसी ही सूचना है कि चल रहा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, जो उद्योग इस समय चल रहे हैं उनको सूचना दी है........

श्री अध्यक्ष : यह सूचना विशेषतः उन्हीं उद्योगों की दी गई है जो कि चल रहे हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि रेडियो असेम्बलिंग के ऊपर तो रिकवरी का केस चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : कोटा वगैरह तो ले रहे होंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : चल रहे हैं और बन्द हैं; तो यह हो सकता है कि जो चल रहे हैं और बन्द हैं वे दोनों इस लिस्ट में ले लिये गए हों।

डॉ० बहादुरसिंह : ऐसा है कि एक बात और बता दीजिए कि विभाग की ओर से यह घोषणा की गई थी कि धौलपुर के अन्दर इस तरह का इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने की व्यवस्था की गई है तो उसमें कितने शैड्स की व्यवस्था है?

श्री दामोदरलाल व्यास : भरतपुर के अन्दर मैंने अर्ज किया कि जो इन्डस्ट्रियल एस्टेट बना है उसमें ४४ शैड्स की व्यवस्था है।

डॉ० बहादुरसिंह : धौलपुर के बारे में पूछ रहा हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : वे डिटेल्स तो नहीं बता सकता। लैण्ड एक्वायर की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

मन्दिर श्री नृसिंहजी व राधाविहारीजी, धौलपुर

८५२. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(१) मन्दिर श्री नृसिंहजी व राधा-विहारीजी, धौलपुर क्या राज्य के देवस्थान विभाग के सीधे नियंत्रण में हैं? यदि हां, तो कब से?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त दोनों ही मन्दिर भूतपूर्व महाराजाओं के निजी मन्दिर थे? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इसकी सारी व्यवस्था भूतपूर्व राज्य का देवस्थान विभाग राजभोग व अन्य उत्सवों के व्यय का भार वहन करता था?

(३) क्या उक्त मन्दिरों में सेवा—पूजा आदि की व्यवस्था के हेतु तत्कालीन पुजा-

Page No 10

(डॉ० बहादुरसिंह)

रियों के अलावा सरकार द्वारा अन्य पुजारी भी नियुक्त किये गये हैं ?

देवस्थान मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां, धौलपुर स्टेट के समय से ही।

(२) भूतपूर्व रियासतों के समय में इन महाराजाओं के निजी मन्दिर होने तथा नहीं होने का प्रश्न नहीं था। यह प्रश्न तो राज्यों के राजस्थान में विलीनीकरण के पश्चात् उपस्थित हुआ। पहले इन मन्दिरों के सारे व्यय का भार भूतपूर्व राज्यों का देवस्थान विभाग ही वहन करता था।

(३) जी नहीं।

प्रश्न संख्या ८५३

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री रावतमल पारीक

हनुमानगढ़ को जिला बनाना

८५४. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा): क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार हनुमानगढ़ को अलग जिला बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्या फिलहाल अतिरिक्त जिलाधीश कार्यालय तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यालय हनुमानगढ़ में स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री रावतमल पारीक : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य को होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अतिरिक्त सत्र न्यायालय हनुमानगढ़ में रखने की मांग हाई कोर्ट ने की है....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने कार्यालय के बारे में पूछा है ?

श्री रावतमल पारीक : जिला और उसके समकक्ष कार्यालय के लिए रखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने कहा कि सेशन्स कोर्ट होना चाहिए तो वह तो दूसरी जगह भी हो सकता है।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : क्या यह सही है कि जिला तहसील के सीमा निर्धारण करने के लिए किसी कमेटी का गठन किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री तनसिंह : आपके पास वह रिपोर्ट आ गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री तनसिंह : अब सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार विचार कर रही है उस पर।

श्री तनसिंह : १९५६ में कमेटी बैठी थी और अभी तक कुछ नहीं हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह इतना अहम मसला है कि जिसके ऊपर विचार करके निर्णय लेंगे। कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर सरकार कई दफा विचार कर चुकी है लेकिन निर्णय नहीं कर सकी।

श्री रावतमल पारीक : एक तरफ तो आपका ना में जवाब मिला और दूसरी तरफ कमटी की रिपोर्ट की कहते हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : हनुमानगढ़ के लिए तो मैंने कतई ना कह दिया है।

श्री तनसिंह : क्या सरकार कमेटी की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने का विचार रखती है?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। इसलिए कि अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री रावतमल पारीक : निर्णय लेने के बाद तो रख सकती है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज नहीं कर सकता। हां, निर्णय आपको जरूर बता देंगे।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : जिलाधीश का कार्यालय हनुमानगढ़ में ले जाने में क्या आपत्ति है?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है।

श्री भीमसेन : आवश्यकता इसलिए है कि वहां के लोगों को असुविधा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां पर डाइरेक्टर ऑफ कॉलोनाइजेशन जो है उनको कलेक्टर के पॉवर्स हैं। जहां तक लोगों का प्रश्न है वे कलेक्टर के पॉवर्स को एकसरसाइज़ करते हैं। इसलिए कोई जरा सा भी कारण नहीं है कि एडीशनल कलेक्टर आफिस कायम किये जायं।

श्री भीमसेन : वे गिरदावरी के दावों को कैसे समाप्त कर सकते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : कॉलोनाइजेशन एक्ट के तहत।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : कमेटी कब तक विचार करने का सोच रही है?

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत जल्दी करने का; लेकिन मसला उलझा हुआ है, इसलिए सोच-विचार कर निर्णय लेना पड़ेगा।

प्रश्न संख्या ८५५

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

जिला जालोर की नल योजना

८५६. **श्री लक्ष्मीचन्द जैन** (सांचोर) : क्या जल प्रदाय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जिला जालोर में किस किस जगह नल द्वारा पानी वितरण करने की योजना बनाई गई है?

Page No 12

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जिला जालोर में नीचे लिखे ग्रामों के लिए नल द्वारा पानी वितरण करने की योजना बनाई गई है :-

१. जालोर सिटी

२. उम्मेदाबाद

३. रेवतड़ा

४. जसवंतपुरा

५. भीनमाल

६. मंडावला

७. आहोर

श्री लक्ष्मीचन्द : सांचोर के लिए ऐसी कोई स्कीम है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह मैं आपको याद दिलाता हूँ कि १५-३-६१ को यह स्कीम सेन्क्शन हो गई है।

श्री हरिश्चन्द्र : बगैर मेरी सेन्क्शन के स्कीम कैसे सेन्क्शन हो गई ? मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, यही तो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सांचोर के लिए १,६०,०००) रु० की स्कीम बन गई है।

श्री सूरजमल(फलोदी-सु०): यह १९६२ के बजट की बात है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : योजना बनाने का सवाल है कि कौन २ सी योजनाएं बनाई गई हैं। सेन्क्शन आ चुकी है आॅलरेडी तो वह कैसे इन्क्लूड होता ?

श्री तनसिंह (बाडमेर) : सरपंच के पास में सूचना पहुंच गई है कि इस बात के लिए १,६०,०००) रु० मन्जूर किये हैं तो यह कैसे कह रहे हैं कि इस प्रकार की योजना नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने पूछा है उसका जवाब दे दिया है। पानी के वितरण की योजना कहां कहां बनाई गई है, उसका जवाब दे दिया है।

श्री तनसिंह : एक तरफ तो यह जवाब देते हैं कि सांचोर का नाम नहीं है, दूसरी तरफ १५. ३. ६१ को सेंक्शन पहुँचती है सरपंच के पास कि इतने रुपये की सेन्क्शन है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सेन्क्शन पहले हो गई है, वह इसमें थोड़े ही आयेगी।

श्री सूरजमल : पानी जहां पर वितरित किया जायेगा वहां पर गरीबों को फायदा मिलेगा या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : क्यों नहीं मिलेगा ?

प्रश्न संख्या ८५७

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री उम्मेदीलाल।

तहसील हिण्डौन के हरिजनों को आबादी की भूमि का आवंटन

८५८. श्री उम्मेदीलाल (करौली–सु०): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील हिण्डौन में हरिजनों को सन् १९५७ से ६० तक आबादी की जमीन दिलाने की दर्खास्त किस किस ग्राम की आई और उनके ऊपर क्या निर्णय लिया गया ? अगर निर्णय नहीं लिया गया तो क्या सरकार इन पर शीघ्र निर्णय लेकर उन्हें आबादी की जमीन दिलाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के हेतु समय और श्रम बहुत व्यय होगा, क्योंकि ४ साल में कितनी दर्खास्तें प्राप्त हुई हैं, उनमें से किस किस पर क्या क्या विचार किया है उसकी स्थिति बताना अत्यन्त कठिन है । अतः निवेदन है कि प्रश्नकर्त्ता किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जानकारी करना चाहें तो वह ज्यादा आसानी से मिल सकती है । पुराने केसेज़ हैं, इनमें समय लगेगा । अगर वे चाहते हैं तो महीने दो महीने, लगेंगे उसमें इकट्ठी करके दे दूंगा ।

श्री उम्मेदीलाल : कितना समय लगेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रश्न में पूछा गया है, "तहसील हिण्डौन में हरिजनों को सन् १९५७ से ६० तक आबादी की जमीन दिलाने की दर्खास्त किस किस ग्राम की आई और उनके ऊपर क्या निर्णय लिया गया ? अगर निर्णय नहीं लिया गया, तो क्या सरकार इन पर शीघ्र निर्णय लेकर उन्हें आबादी की जमीन दिलाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?"

मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि १९५७ के बाद जिनको जमीनें दी गई हैं पंचायतों द्वारा, जितनी भी हिण्डौन तहसील में पंचायतें हैं उन पंचायतों के पुराने रेकॉर्ड से सूची बना कर उन पर किस किस तारीख को निर्णय दिया गया, इसको इकट्ठा करने में समय लगेगा । तहसील में रेकॉर्ड है नहीं । अलग अलग पंचायतों में है । ३०–४० पंचायतें हैं और बहुत सी पुरानी पंचायतें बाईफर्केटेड हो गई हैं, इसलिए रेकॉर्ड पुराना मिलना मुश्किल हो जायेगा ।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर–सु०) : आपके डिपार्टमेंट में जो झगड़े चल रहे हैं उनको सुलटा दें तो जमीनें मिल जायं ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

सरकारी कर्मचारियों को 'लॉ' पढ़ने की सुविधा

८५९. श्री लक्ष्मीचन्द जैन (सांचोर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सत्य है कि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को 'लॉ' पढ़ने की सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि अन्य विभागों के कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No 14

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) माननीय मुख्य न्यायाधिपति (Hon'ble Chief Justice) द्वारा उच्च न्यायालय के योग्य (deserving) कर्मचारियों को ऐसी सुविधा प्रदान की गई है।

(२) जी हां। राजस्थान हाई कोर्ट (कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ स्टाफ) रूल्स, १९५३ जिनके द्वारा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को सेवाकालीन सुविधाएं निर्धारित होती हैं के अन्तर्गत इन कर्मचारियों को 'लॉ' अथवा अन्य परीक्षाओं में बैठने तथा इस सम्बन्धी पढ़ाई करने की इजाजत देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है; मगर राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स एण्ड पेन्शनर्स कन्डक्ट रूल्स के नियम १४ (बी) के अन्तर्गत सरकारी विभागों के कर्मचारियों को ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या ऐसी सुविधा दोनों तरह के कर्मचारियों के बीच में नहीं होने के कारण उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। सर्विस कन्डीशन्स रूल्स अलग अलग हैं, इसलिए असर पड़ने का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

तहसील टोडाभीम के भूमिहीन किसानों को प्रदत्त सिवाय चक की जमीन

८६०. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली–सु०): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील टोडाभीम में सन् १९५७ से ६० तक सिवाय चक जमीन कितने भूमिहीन किसानों को दी गई ? उक्त जमीन में से कितने हरिजन काश्तकारों को जमीन दी गई ?

(ख) क्या यह सच है कि हरिजन काश्तकारों को जमीन न देकर दूसरे ऐसे लोगों को दी गई है जिनके पास उनके घरू खाते की काफी जमीन पहले से है।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सन् १९५७ से ६० तक कुल ४१६ भूमिहीन किसानों को भूमि दी गई जिनमें १०१ हरिजन काश्तकार हैं।

(२) जी नहीं।

प्रश्न संख्या ८६१

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८६२

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८६३

श्री जेठमल बरवाड़।

(अनुपस्थित)

Page No 15

हिण्डोन–बयाना सड़क में आई जमीन के लगान की काश्तकारों से वसूली

८६४. **श्री उम्मेदीलाल** (करोली–सु०): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

हिन्डोन–बयाना सड़क में काश्तकारों की कितनी जमीन आई तथा क्या उसका लगान काश्तकारों से लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जिला सवाई माधोपुर में हिन्डोन से ग्राम तारपुरा तक १२४ बी., २ बी० तथा जिला भरतपुर में आने वाले भाग में ग्राम घाघरेन से बयाना तक २१३ बीघा जमीन ली गई है। लगान के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि काश्तकारों से अब भी लगान लिया जा रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिख दिया जायेगा कि लगान नहीं लें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि मालगुजारी किसी से वसूल नहीं की जा रही है। इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): यह बिल्कुल सही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो जवाब दिया था वह बिल्कुल सही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे कई आदेश सख्ती के साथ जारी कर दिये हैं कि जिनका पालन किया जाय। मैंने जांच भी की है तो वह बराबर बन्द है। यदि माननीय सदस्य यह बतायेंगे कि एक्वीज़िशन के बाद और आदेश से पहले कोई लगान वसूल हुआ है और जिसको वापिस नहीं किया गया है उसके लिए वापिस दिलाने की कार्यवाही करूंगा, और ऑर्डर के बाद में लगान वसूल किया गया है तो और भी ऑफिसर के साथ में सख्ती की जायेगी जिसने कि ऐसी कार्यवाही की है, बशर्ते कि स्पेसिफिक केस सामने लायें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : जिन लोगों से अभी तक लिया गया है उनको वापिस दिलाया जायेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल्कुल उनको वापिस दिलाने का है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिस जिस काश्तकार से एक्वायर की है उनको जिस तारीख से ली गई है उस तारीख से ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes. That goes without saying.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्या यह सही है कि कोटा डिविज़न में चम्बल क्षेत्र में आई हुई जमीन का लगान अब भी लिया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : एक्वीज़िशन का नोटिस जाने के बाद और एक्चुअली पजेशन लेने के दर्म्यान में काश्तकार काश्त करता है उसके लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पज़ेशन लेने के बाद लगान लेना वाजिब नहीं होता है।

श्री तनसिंह : एक्चुअल पज़ेशन तो नहीं लिया, लेकिन ऑर्डर दे दिया। एक्वीज़िशन का नोटिस निकाल दिया और ऑर्डर दे दिया कि गवर्नमेंट को उस क्षेत्र में घुस कर नाप करने का अधिकार है। उसके बाद में और एक्चुअल पज़ेशन के दर्म्यान का लगान वसूल होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जब तक वह काश्त करेगा तो लगान वसूल किया जायेगा। जिस तारीख से कब्जा ले लिया उस दिन से लगान नहीं वसूल किया जायेगा। नोटिस जारी कर दिया और नाप तोल आदि करने से काश्त के अन्दर कोई हर्ज पैदा नहीं होता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय मंत्रीजी की जानकारी किस आधार पर है कि लगान वसूल नहीं किया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस आधार पर है कि कोटा डिविज़न से खास तौर से मेरे पास कोई शिकायत नहीं थी। उसके बाद आदेश दिये। उसके बाद भी जानकारी कर ली कि आदेशों का पालन हुआ है। उसके बाद मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है इसलिए कह सकता हूँ कि लगान नहीं वसूल हो रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं, माननीय अध्यक्ष, जानकारी देना चाहूँगा कि अब भी वसूल हो रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि जानकारी दे दें तो उसकी जानकारी करके बता सकता हूँ।

प्रश्न संख्या ८६५

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह पंवार।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक १७—३—६१)

प्रश्न संख्या ३५६

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५५२

(दिनांक २७—३—१९६१)

श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

(दिनांक ३१—३—६१)

जयपुर शहर का भिक्षुक गृह

६५८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(डॉ० चन्द्रकला)

(क) जयपुर शहर में वर्तमान भिक्षुक गृह की स्थापना कब हुई ?

(ख) इस भिक्षुक गृह पर अब तक कुल कितना किस प्रकार खर्च हुआ ?

(ग) अब तक कितने भिखारियों ने यहां पर आश्रय लिया ? उनकी वर्तमान संख्या कितनी है ?

(घ) भिक्षुक गृह की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं ? इसके विकास की सरकार की क्या योजना है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) दिनांक २८-३-६० को ।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) ७६ भिखारियों ने अब तक आश्रय पाया है तथा वर्तमान में भिखारियों की संख्या ३६ है ।

(घ) भिक्षुक गृह की प्रवृत्तियां निम्न हैं :

१. भिक्षावृत्ति के विरूद्ध वातावरण बनाना ।

२. भिक्षुकों में परिश्रम करने की वृत्ति को बढ़ावा देना ।

३. भिक्षुकों में आत्म-निर्भरता बनाना, योग्य व्यक्तियों को नौकरी दिलवाना तथा धन्धों में लगाना ।

४. भिक्षुकों को साक्षरता के साथ साथ सामाजिक शिक्षा देना ।

५. भिक्षावृत्ति को अपनाने की मानसिक भावनाओं को जानना तथा उनका परिहार करना एवं तदनुसार भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए विचार करना ।

६. गृह उद्योग एवं हस्तकला; जैसे अम्बर चर्खा, निवार, दरी बनाना इत्यादि सिखा कर उनका पुनर्वास करना ।

भिक्षुक गृह के विकास के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में भिक्षुक गृह के साथ साथ एक वर्कशोप का प्रावधान किया गया है जो प्रथम वर्ष सन् १९६१-६२ में भिक्षुक गृह के साथ ही लगाया जायेगा; जिसके लिए ३०,००० रु. का प्रावधान है ! इस उद्योग-शाला में भिक्षुकों को उद्योग सिखाने की योजना है । उद्योगों के लिए निर्णय अभी हुआ नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : इस भिक्षुक गृह में कुल कितने स्थान हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : अमुक संख्या तक भिक्षुक इसमें रह सकते हैं, यह तो पता होगा ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : डाइमेन्शन बता दीजिये ?

Page No 18

श्री दामोदरलाल व्यास : मकान का डाइमेन्शन बता दिया है।

डॉ० चन्द्रक : अब तक कुल ७६ आदमी भर्ती हुए और अब ३६ रह गये हैं उनका किस तरह से सुधार हुआ, यह बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Rehabilitation by employment-3

Rehabilitation by employment in private institutions and industries-80

Admitted into Blind School-2

Admitted into Hospital-2

Handed over to Police in theft cases-1

डॉ० चन्द्रकला : जिस तरह से श्रम की व्यवस्था है उसी तरह से रोग ग्रस्त भिक्षुकों को रोग मुक्त कराने की क्या व्यवस्था है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, रोगियों के इलाज की व्यवस्था है ?

डॉ० चन्द्रकला : किस जगह इलाज की व्यवस्था है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान में हर जगह इलाज की व्यवस्था है।

डॉ० चन्द्रकला : जो रोगी रोग—ग्रस्त होते हुए भी भीख मांगते हैं उनके लिये इलाज की क्या व्यवस्था है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : They are admitted in Hospitals. ऐसे मरीज़ जो हॉस्पिटल में दाखिल कराने योग्य होते हैं उनको अस्पताल में दाखिल किया जाता है। जो आउट-डोर के लायक होते हैं उनका इलाज आउट-डोर में होता है और जिनको वहीं पर डॉक्टर को दिखाना होता है उनके लिये वैसी व्यवस्था कर दी जाती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : भिक्षा-वृत्ति के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको तरह तरह के काम सिखाये जाते हैं। उनके लिये एग्ज़ीक्यूटिव और टैक्निकल ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टीरियल स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, वे लोग उनको काम सिखाते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : ये तो जो लोग वहां जाते हैं उनके लिये है, लेकिन दूसरे जो बेगिंग करते हैं उनके लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बैगर एक्ट की कार्यवाही चल रही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : जिनको भिक्षक बनने का रोग है उनके लिये क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके लिये कानून की व्यवस्था बनाई जा रही है।

Page No 19

(दिनांक ३–४–६१)

भूमिहीन भूतपूर्व सैनिकों द्वारा गंग केनाल क्षेत्र में भूमि आवंटन हेतु प्रेषित प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही

७१७. **श्रीमती सतवन्तकौर** (श्री करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) गंग केनाल क्षेत्र में भूमिहीन भूतपूर्व सैनिकों द्वारा जो भूमि स्थाई रुप में लेने के लिये प्रार्थना–पत्र पेश किये गये थे उस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

(ख) क्या यह सच है कि श्री करणपुर तहसील में उन्हें भूमि नहीं दी जाकर उनके प्रार्थना-पत्र राजस्थान केनाल बोर्ड के पास भेज दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : तहसील गंगानगर व अनूपगढ़ में अलॉटमेंट किया जा चुका है। सहकारी समितियों के आधार पर भूमि आवंटन के आदेश होने के कारण तहसील श्री करणपुर तथा रायसिंहनगर में आवंटन नहीं की गई है।

(ख) जी हां। भूमि खाली न होने से प्रार्थना-पत्र राजस्थान केनाल बोर्ड में भेज दिये गये हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र आपके पास आये हैं कि उनको जमीन दी जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आवेदन-पत्रों की तादाद मेरे पास, माननीय अध्यक्ष, अभी नहीं है।

श्रीमती सतवन्तकौर : उनको कब तक भूमि दिलाई जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान केनाल में अलॉटमेन्ट होगा तब उन पर विचार किया जायेगा।

श्री चुन्नीलाल (रायसिंहनगर) : राजस्थान केनाल के लिये कितनी दर्ख्वास्तें भेजी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अभी अर्ज किया था कि तादाद मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री बेनाराम गहलोत : ८४३

गुढ़ा एन्दला के पास की सूकड़ी नदी से निकाली गई नहर

८४३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) [श्री बेनाराम गहलोत (खारची) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या पाली तहसील के गांव गुढ़ा एन्दला के पास सूकड़ी नदी से गांव के निवासियों ने कोई लम्बी नहर खसरा नम्बर ३६२ में निकाली है ? यदि हां, तो वह कब से निकाली हुई है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि वह नहर किसी के खातेदारी को जमीन में है ? यदि हां, तो किसकी ?

(ग) सैटलमेंट रेकॉर्ड में यह नहर गुढ़ा एन्दला की कांकड तक ही दिखलाई गई है

Page No 20

(श्री मूलचन्द डागा)

या आगे तक ? यदि आगे तक, तो कहां तक ?

(घ) क्या यह सत्य है कि इस नहर से गुढ़ा एन्दला के काश्तकारान के बहुत पुराने खालिये निकले हुए हैं ? यदि हां, तो इन खालियों से किन किन के जीवों की पिलाई होती है ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि यदि यह नहर नहीं हो और खालियों से पिलाई न हो तो वहां की जमीन खारी होने से कुछ भी वहां पर पैदावार नहीं हो सकती ?

(च) क्या यह सत्य है कि गिरवर जागीरदार व कुछ लोगों ने इस नहर को छोड़ कर सारा पानी अपने गांव की ओर ले जाना चाहा तथा गुढ़ा एन्दला के मीना लोगों ने इसकी शिकायत कलेक्टर, पाली के समक्ष पेश की ? यदि हां, तो कब और उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जी हां, एक नहर सी बनी हुई है और कदीमी मालूम होती है ।

(ख) नहर श्री परखुड़ा, सीमरथा, लूम्भिया के खातेदारी में थी परन्तु एस. डी. ओ. के आदेश दिनांक १६. २. ६१ के अनुसार खसरा नं० ७६२ खालसा दर्ज कर दिया गया ।

(ग) नहर सैटलमेंट रेकॉर्ड में गुढ़ा-एन्दला तक ही दिखाई गई है ।

(घ) पुराने खालिये निकलेहुए हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि काश्तकारान गुढ़ा एन्दला ने ही खालियों को निकाला है । खालियों से काफी जावों की पिलाई होती है ।

(ङ) जमीन खारी जरूर है, लेकिन इस पानी के बगैर कुछ पैदा नहीं हो सकता; यह सही नहीं । इस पानी से फसल अच्छी होती है ।

(च) गिरवर ग्रामवासियों ने नहर को खोद कर आगे ले जाना चाहा था । गुढ़ा-एन्दला के मीने लोगों ने जिलाधीश के कार्यालय में दिनांक १—८—६० को शिकायत पेश की जिसकी जांच करके एस. डी. ओ., पाली ने पेश कर दी है जो जिलाधीश के कार्यालय में जेर तजवीज़ है ।

श्री बेनाराम गहलोत : उस जांच का क्या रिज़ल्ट निकला ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच करके रिपोर्ट दे दी है वह जिलाधीश के जेर गौर है ।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर—सु०) : जेर गौर कब तक पड़ी रहेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कलेक्टर के पास दिनांक १—८—६० को शिकायत पेश हुई थी । उसकी जांच करके कलेक्टर ने राय दी कि मौके पर नाला मौजूद है । सैटलमेंट के रेकॉर्ड में नहीं आया है तो सैटलमेंट के रेकॉर्ड में और नक्शे में दर्ज करने का आदेश दिया है ।

प्रश्न संख्या ८४४

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

अकाल पीड़ित क्षेत्रों के पशुओं को चारा व पानी की व्यवस्था

८४६. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) [श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या मन्त्री, अकाल विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) राजस्थान के अकाल पीड़ित क्षेत्रों के पशुओं एवं किसानों का किस तारीख को मध्य प्रदेश तथा बम्बई के जंगलों में जाना प्रारम्भ हुआ ?

(२) सरकार ने जंगलों को ले जाये जाने वाले पशुओं के लिए किस तारीख को कहां कहां चारा डिपो खोले ?

(३) यह चारा किस भाव से खरीदा गया था ?

(४) क्या यह सही है कि प्रति पशु ३ सेर चारा दिया गया ? यदि हां, तो यह मात्रा किस विशेषज्ञ ने निर्धारित की थी ?

(५) जाने वाले पशुओं के लिये पानी की क्या व्यवस्था की है ?

अकाल सहायता मन्त्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : (१) अकाल पीड़ित क्षेत्रों के पशुओं एवं किसानों का माह अक्टूबर, सन् १९६० के पहले सप्ताह से ही जाना आरम्भ हो गया था ।

(२) सूची संलग्न है ।

(३) चारा अधिकतर जंगलात की बीड़ों से लिया गया था । बहुत थोड़ी मात्रा में चारा बाजार से खरीदा गया था जिसका औसत भाव ३।) रु० से ४।) रु० मन आता है ।

(४) जी हां, यह सही है । यह मात्रा फेमिन कोड की धारा १०० के अनुसार निर्धारित की गई थी ।

(५) जहां जहां पर पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी वहां पर खेलियां भराई गई थीं ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री मोगजी भाई : घास के बारे में किन किन जिलों मे अभाव था और कहां कहां भेजी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सवाल में पूछा गया था, "सरकार ने जंगलों को ले जाने वाले पशुओं के लिए किस तारीख को कहां कहां चारा डिपो खोले ?" इसकी सूचना सूची में दी है ।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : वन विभाग से आपने जो घास ली है उसकी कीमत क्या लगाई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह घास फेमिन डिपार्टमेंट की ही है जिसे फोडर बैंक में कलेक्ट करते हैं और यह इसी काम के लिये है ।

श्री तनसिंह : पब्लिक को देते हैं तब क्या वसूल करते हैं ?

Page No 22

श्री दामोदरलाल व्यास : डिपोज़ में फ्री दिया गया है।

नाथद्वारा मन्दिर से सोने की सिकोरी व जवाहरात की चोरी

८५५. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) [श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड द्वारा नाथद्वारा मन्दिर श्रीनाथजी का चार्ज लेने के पश्चात् एक सोने की सिकोरी व कुछ जवाहरात चोरी गये या कम पाये गये ?

(ख) यदि हां, तो किस किस वजन तथा कीमत के और कब कब किस किस प्रकार से गुम हुए हैं ?

देवस्थान मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) यह सही नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम देवड़ियावास (देवली) में स्थित तालाब

८५७. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) [श्री लक्ष्मीचन्द जैन (सांचोर) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम देवड़ियावास, तहसील देवली, जिला टोंक में आबादी के पास कोई तालाब था जो ग्राम की जनता के और मवेशियों के पानी पीने व नहाने–धोने में काम आता था ?

(२) अगर हां, तो क्या वह तालाब अब भी उसी काम में आता है ? अगर नहीं, तो किस काम में ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त तालाब को अलॉटमेंट कमेटी ने किसी को अलॉट कर दिया है ? अगर हां, तो किसको और कब ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह जमीन अलॉट नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको अर्ज किया, नम्बर एक में आपने पूछा, उसका जवाब दिया, 'जी हां'।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा

(अनुपस्थित)

श्री जेठमल बरवाड़।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री महेन्द्रसिंह पंवार ।

श्री सूरजमल (फलोदी—सु.) : ८६५ ।

अजमेर जिले की हरिजन शरणार्थियों की कॉलोनीज़

८६५. **श्री महेन्द्रसिंह पंवार** (अजमेर पूर्व) [श्री सूरजमल (फलोदी—सु०) द्वारा पूछा गया] : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) अजमेर जिले में हरिजन शरणार्थियों की कितनी कॉलोनीज़ रहने के लिये हैं ?

(ख) क्या उपरोक्त कॉलोनीज़ को नगरपालिकाओं को दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या उपरोक्त कॉलोनीज़ में पानी, बिजली तथा सड़क का प्रबन्ध कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक करने का सरकार का विचार है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) दो ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ब्यावर कॉलोनी में १६ पानी की टूटियां लगा दी गई हैं और अजमेर कॉलोनी में पानी का प्रबन्ध आशागंज मुहल्ले तक कर दिया गया है । कॉलोनी ऊंचाई पर होने के कारण अभी पानी उसमें नहीं पहुँच रहा है ।

स्ट्रीट लाइटिंग का प्रबन्ध दोनों कॉलोनीज़ में कर दिया गया है और पक्की सड़क (uncemented) दोनों कॉलोनीज़ में बना दी गई हैं, गलियां कच्ची हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलाया जाय ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): कौनसा प्रश्न ?

श्री अध्यक्ष : ३५६ ।

हिन्दी परीक्षाओं को अंग्रेजी परीक्षाओं के समकक्ष प्रदत्त सरकारी मान्यता

३५६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) [श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार ने किन किन हिन्दी की परीक्षाओं को अंग्रेजी की किन किन परीक्षाओं के समकक्ष मान्यता दी है ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या सरकार ने इन्हीं मान्यताओं के अनुसार हिन्दी की परीक्षा पास अध्यापकों को अपेक्षित ग्रेड्स में नियुक्त कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) ये नियुक्तियां अब कब तक हो जावेंगी और इनको अब तक न करने के लिये कौन जिम्मेदार है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) इसकी सूची इस प्रकार है:— हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद—प्रथमा और मध्यमा विशारद और उत्तमा-प्रथमा मध्यमा मैट्रिक के बराबर और विशारद बी. ए. के बराबर, उत्तमा 'साहित्य रत्न' higher than B. A but not equvalent to M. A. राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा—परिचय मेट्रिक के बराबर, कोविद इन्टर के बराबर और रत्न बी. ए. के बराबर; प्रयाग महिला विद्यापीट, इलाहाबाद·विदूषी इन्टर के बराबर, सरस्वती बी. ए. के बराबर; हिन्दी विद्यापीट, देवगड़—प्रवेशिका मेट्रिक के बराबर, साहित्य भूषण इन्टर के बराबर, साहित्यालंकार बी. ए. के बराबर, ट्रावनकोर हिन्दी प्रचार सभा प्रवेशिका मेट्रिक के बराबर, भूषण इन्टर के बराबर; आसाम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति·प्रवेश मेट्रिक के बराबर, विशारद इन्टर के बराबर; हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद-भूषण इन्टर के बराबर, विद्वान् बी. ए. के बराबर; बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, बम्बई रत्न इन्टर के बराबर, साहित्य विद्यालंकर बी. ए. के बराबर; महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा, पूना—प्रवेश मेट्रिक के बराबर, प्रवीण इन्टर के बराबर; हिन्दी परिषद-प्रवेश मेट्रिक के बराबर, विशारद इन्टर के बराबर; अखिल भारतीय परिषद्, आगरा—पारंगत बी. ए. के बराबर; मैसूर हिन्दी परिषद प्रवेश मेट्रिक के बराबर, उत्तमा इन्टर के बराबर, रत्न बी. ए. के बराबर गुजरात; विद्यापीठ, अहमदाबाद, दक्षिण भारतीय हिन्दी परिषद—प्रवेशिका मेट्रिक के बराबर, विशारद इन्टर के बराबर, प्रवीण बी. ए. के बराबर और हिन्दुस्तानी प्रचार सभा बम्बई—काबिल मेट्रिक के बराबर; विद्वान् इन्टर के बराबर।

इसमें शर्त यह है कि यह सिर्फ उनको नौकरी देने के लिए जो दूसरे एक्ज़ामिनेशन हैं उनके बराबर माना है लेकिन उनकी एज्यूकेशनल क्वालिफिकेशन, ऐकेडेमिक क्वालिफिकेशन फुल फ्लेज्ड होंगी, उनके बराबर नहीं मानी जायगी।

नौकरी के लिए बराबर मानी जायेगी।

श्री दलीपसिंह (बारां) : गुरुकुल कांगड़ी की विद्या वाचस्पति और साहित्य वाचस्पति की परीक्षाओं को मान्यता क्यों नहीं दी है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वे संस्कृत की हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वे हिन्दी की हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : प्रयाग महिला विद्यापीठ की विदुषी परीक्षा को बी. ए. के बराबर नहीं, इन्टर के बराबर माना है, तब पहले वाली परीक्षा को मेट्रिक के बराबर न मानने के क्या कारण हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कौन सी ?

डॉ० चन्द्रकला : प्रयाग महिला विद्यापीठ की विदुषी परीक्षा को इन्टर के बराबर माना है, फिर पहली वाली परीक्षा को मेट्रिक के बराबर न मानने के क्या कारण हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : होगी नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : है कैसे नहीं। वह है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसका स्टेन्डर्ड उसके बराबर नहीं होगा, यह कह नहीं

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

सकता। इसके बारे में अलग से सवाल पूछती तो मैं बता देता।

डॉ० चन्द्रकला : प्रयाग महिला विद्यापीठ की विद्या विनोदिनी को हाई स्कूल के बराबर माना है और विद्या विनोदिनी पास महिलाओं को मेट्रिक की योग्यता की नौकरियों में सब जगह स्थान मिला है। उसको सरकार ने क्यों इग्नोर किया है, यह समझ में नहीं आता ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इतने एक्ज़ामिनेशन्स हैं, उनको अलग अलग संस्थायें अलग अलग कन्डक्ट करती हैं। कौनसा रह गया, किस कारण से रह गया, यह अलग से प्रश्न है। इसके लिए अलग से प्रश्न पूछतीं कि वाकई नहीं माना है, तो क्यों नहीं माना है, चल रही हैं तो क्या कारण है, तो मैं बता देता।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट पूछा है कि उन परीक्षाओं के समकक्ष मान्यता दी है; तो जो बी. ए. का ग्रेड है, वेतन है और जो चीजें हैं, वे इन हिन्दी वालों को दी जाती हैं या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसमें ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, बी. ए. हिन्दी के लिए है। अगर हिन्दी के अध्यापकों की जरूरत होती है तो उनको बी. ए. का ग्रेड दिया जा सकता है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उनको पढ़ाने की योग्यता नहीं है, इसलिए नौकरी में लेते वक्त विचार किया जा सकता है कि लिया जाय या नहीं, उस कक्षा को पढ़ा सकता है या नहीं; यह अलग से प्रश्न है। यदि हिन्दी की जगह हैं तो उसके लिए हम उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं और वह ग्रेड दिया जाता है।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु): हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता दे रखी है और वह ग्रेड उनको मिल रहा है। जिन इम्तिहानों को मान्यता दे रखी है उनको सरकार वह वेतन क्यों देती आ रही है जब कि जवाब यह दिया है ? इसका क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपकी समझ में पूरी बात नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : वे समझायेंगे।

श्री हरिप्रसाद यादव : साहित्य रत्न डिग्री वालों को बी. ए. अंग्रेजी का ग्रेड मिल रहा है, जो हिन्दी विशारद पास हैं उनको भी वह वेतन मिल रहा है। गवर्नमेंट ने इन्हें मान रखा है और पांच वर्ष से हमारा एक सेन्टर चलता है उसके विद्यार्थियों को यह ग्रेड दे रहे हैं, फिर आपने जवाब दिया है कि यह ग्रेड नहीं मिल पायेगा, इसका क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने यह निवेदन किया....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा है कि जो हिन्दी के साहित्य रत्न हैं और वे हाई क्लॉसेज़ को उनको अब भी मेट्रिकका दिया जा रहा है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसके लिए यह है, अध्यक्ष महोदय, जब से वे नौकरी में आये उसके बाद उन्होंने परीक्षा पास की है। तो परीक्षा का आगे का ग्रेड है। उसमें जब जगह हों उस वक्त प्रमोशन दिया जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट में पोस्ट्स लिमिटेड हैं। कोई आदमी बी. ए. हो सकता है; वह चाहे कि उसे बी. ए. का ग्रेड मिले, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट्स पर डिपेन्ड रहना पड़ता है।

डॉ० बहादुरसिंह : गुरुकुल कांगड़ी की विद्या वाचस्पति, उसके बारे में क्या विचार है; विद्या वाचस्पति और साहित्य वाचस्पति के बारे में ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमने सारी परीक्षायें देख कर यह सूची १९६० अक्टूबर में निकाली है; उस वक्त जिसको ठीक समझा उसको रिकॉग्निशन दिया है। ऐसा प्रश्न आये कि ऐसी परीक्षा और है, तो उसको देखेंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षा में वे सारे विषय होते हैं जो अंग्रेजी की बी. ए. परीक्षा में होते हैं, इन्टर में होते हैं; इसलिए अंग्रेजी की परीक्षा के समकक्ष नहीं मानते हैं और वह भी सारे विषयों को जानते हुए....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि कई पोस्ट्स हैं सरकार की, जिनमें उपयुक्तता की दृष्टि से इनके लिए बार नहीं है। लेकिन मान लिया जाय कि ऐसे एग्ज़ामिनेशन में सब विषय पढ़ाते हैं, उसको मानने में हमें बाधा नहीं, हम इक्वल ट्रीट करते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बी. ए. में पढ़ाये जाते हैं; सोशियोलोजी, इकॉनोमिक्स वह ये नहीं पढ़ा सकते। इसी तरह एक तरफ बी. ए. नौकर हैं जिनमें एजूकेशन पूरी है; लेकिन वे ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकते, इसलिए उनको पोस्ट नहीं दी जाती है। वैसे बराबर मानने में बाधा नहीं होगी, हमने इसको बी. ए. के बराबर कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५५२।

(दिनांक २७-३-६१)

राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ द्वारा काश्त की भूमि में गोदामों का निर्माण

५५२. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) [श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ ने जयपुर नगर तथा राजस्थान में अन्य कई स्थानों पर काश्त की भूमि में कई गोदाम बनाये हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही है कि काश्त की भूमि में गोदाम बनाने के लिये राजस्थान सरकार से कोई पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई है ? यदि नहीं, तो कहां कहां के लिये और कब कब स्वीकृति ली गई ?

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) क्या यह सही है कि बिना स्वीकृति गोदाम बनाने के कारण सरकार द्वारा इन गोदामों को डिमोलिश करने की आज्ञा दी गई है ? यदि हां, तो कहां कहां के लिये इस आज्ञा का किस हद तक पालन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां। जयपुर तहसील के ग्राम सुदर्शनपुरा तथा हथरोई तथा अलवर जिले के किशनगढ़ बास में।

(ख) जयपुर तहसील के ग्राम सुदनर्शपुरा तथा हथरोई में गोदाम बिना स्वीकृत के बनाये। अलवर जिले के ग्राम किशनगढ़ बास में दिनांक २-१-६१ को गोदाम बनाने की राज्य आज्ञा दी गई।

(ग) जयपुर तहसील में बनाये हुए गोदामों के सम्बन्ध में धारा ९१ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही जारी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कब से जारी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास: कार्यवाही जारी है। तारीख तो नहीं बता सकता, पर कार्यवाही जेर दफा ९१ में जारी है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

(१२. म.)

जनलेखा व प्राक्कलन समितियों के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जनलेखा समिति सन् १९६१-६२ के लिये निम्नांकित सदस्य चुने हुए घोषित किये गये :—

१. श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
२. श्री तनसिंह
३. श्री नाथूलाल करोल
४. श्री भवानीशंकर नन्दवाना
५. श्री भीमसेन
६. श्री भैरोंसिंह (१४)
७. श्री मोतीलाल चौधरी
८. श्रीमती सुमित्रा देवी
९. श्री श्रीभानसिंह
१०. श्री हरिदेव जोशी।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्राक्कलन समिति सन् १९६१-६२ के लिये निम्नांकित सदस्य चुने हुए घोषित किये गये :—

१. श्री अनूपसिंह
२. श्री अब्दुलगफारखां
३. श्री अमृतलाल यादव
४. श्री किशनलाल शर्मा

Page No 28

(श्री अध्यक्ष)

५. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

६. श्री परसराम मदेरणा

७. श्री पी. के. चौधरी

८. श्री प्रभुलाल पुरोहित

६. श्री भैरोंसिंह 'खेजड़ला'

१०. श्री भोलानाथ

११. श्री मुरलीधर व्यास

१२. श्री रामचन्द्र (डग-सु.)

१३. श्री रामप्रसाद लड्ढा

१४. श्री रावतमल पारीक

१५. श्री विद्यासागर

राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १६६०

(खण्डशः विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स बिल, १६६० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स बिल, १६६० जो प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, को एक नई प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था वह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक था और इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयक के सम्बन्ध में सिलेक्ट कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस सिलेक्ट कमेटी ने जो कुछ चैंजेज़ इस बिल में किये हैं, मैं निवेदन करूंगा कि जिन मुख्य मुद्दों पर सिलेक्ट कमेटी को विचार करना चाहिए था उन मुद्दों पर सिलेक्ट कमेटी ने विचार नहीं किया। मैं कुछ विशेष धाराओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर अभी तक विचार नहीं किया गया जिन पर कि विचार किया जाना आवश्यक था। यह हो सकता है कि सिलेक्ट कमेटी ने ४ दिन की बैठकें कीं और उन बैठकों में इतने बड़े और महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार जिस तरह करना आवश्यक था वह उस तरह से विचार नहीं कर सकी। नहीं प्रवर समिति की चार बैठकें हुईं, इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा निवेदन करना नहीं चाहता पर जिस प्रकार की उपस्थिति थी और जिस प्रकार कार्यवाही हुई उससे मुझे ऐसा लगता है कि इस विधेयक के महत्वपूर्ण अंगों पर जितना विचार करना चाहिये था उतना नहीं किया गया। लगभग आधे सदस्य और इससे भी कम संख्या में सदस्य बैठकों में उपस्थित रहे

Page No 29

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और उनकी सारी बुद्धि का उपयोग उस दृष्टि से नहीं हो सका जिस दृष्टि से कि सदन ने इस विधेयक को उस प्रवर समिति के सुपुर्द किया था । इसलिए मैंने प्रस्ताव किया है कि एक नई प्रवर समिति, ऐसी प्रवर समिति, बनाई जाय कि जिन लोगों पर इस बिल का एक्ट बनने पर असर पड़ेगा उन लोगों में जिन सदस्यों की दिलचस्पी हो, उन सदस्यों की प्रवर समिति बनाई जाय ।

एक तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट के पेज नं० २ पर यह लिखा है :

"Sub-clause (1) Part (i)The Committee with a view to widen the scope of the definition of 'agricultural produce' decide to replace the expression of 'agriculture, horticulture and animal husbandry' by the expression 'whether of agriculture, horticulture, animal husbandry, or otherwise, as.'

अध्यक्ष महोदय, पहले तो मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार का यह बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था, मेरी ऐसी मान्यता है कि इस सदन के द्वारा जिस रूप में बिल भेजा जाता है, जहां तक किसी बिल के स्कोप का सवाल है, सिलेक्ट कमेटी उसके स्कोप को चौड़ा नहीं कर सकती, उसके स्कोप को बढ़ा नहीं सकती । एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की डेफिनिशन जैसी इस सिलेक्ट कमेटी ने की है और उसको विस्तृत किया है उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी को ऐसे अधिकार हैं क्या कि सदन द्वारा जो बिल उसके सुपुर्द किया जाता है उसके स्कोप को वाइडन कर सके ? सदन की आज तक जो परम्परा रही है और जो नियम हैं उनको देखें तो किसी प्रवर समिति को अधिकार नहीं होता कि किसी विधेयक के स्कोप को किसी प्रकार वाइडन कर सके । जितने संशोधन हों, उनके अनुसार तब्दीलियां वह कर सकती है, पर आश्चर्य की बात इस पर्टिकुलर बिल की प्रवर समिति की यह है, जिसके सुपुर्द कि यह बिल किया गया है, उस प्रवर समिति ने इस बिल के स्कोप को बढ़ाया है । जिस प्रवर समिति को इस बिल को भेजा था उस प्रवर समिति को इस बिल के स्कोप बढ़ाने का, विस्तृत करने का कतई अधिकार नहीं था । इसलिए प्रवर समिति ने किसी हद तक अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है । बिल के स्कोप कि अन्तर्गत ही अमेंडमेंट देने चाहिये थे पर इस बिल के स्कोप को वाइडन कर दिया गया है ।

कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं उन्हें रखूंगा । इसमें शिड्यूल है । पहली डेफिनिशन दी है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में कृषि उद्यान कर्म तथा पशुपालन से होने वाली, अनुसूची में निर्दिष्ट समस्त उपज सम्मिलित है । तो पुराने शिड्यूल की जगह नया शिड्यूल रख दिया है, इसमें कई नये आइटम्स जोड़ दिये हैं और कुछ बातों को उड़ा दिया है । जिस प्रकार की परिभाषा सदन के सामने प्रस्तुत की है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बारे में तो, उसके कारण कहीं ऐसा न हो कि शिड्यूल में कुछ बातें बढ़ा दी जायं । उन बातों पर यह बिल लागू हो जायेगा । हमें कानून में वे

Page No 30

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बातें लाने की आवश्यकता नहीं होगी, शिड्यूल में जिस प्रकार की बातें इन्क्लूड कर देंगे उनको कानून में रखने की जरूरत नहीं, वे लागू हो जायेगी। पहले ग्रास और फोडर को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में रखा था। ग्रास और फोडर जानवरों के लिए चारे के काम में आता है, जिसकी बिक्री मार्केट कमेटी के तहत रखी थी। नये शिड्यूल में से इसको हटा दिया है। जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बारे में, होर्टीकल्चर, एनिमल हस्बेन्डरी के बारे में कानून बनाने जा रहे हैं वहां ग्रास एण्ड फोडर के बारे में जो बिक्री होती है उसको मार्केट कमेटी से अलग रखा जाय, यह उचित नहीं। चारे के बारे में सदन में कई बार चर्चा हुई है आज राजस्थान में चारे की समस्या है। अनाज की बात छोड़ दें पर राजस्थान में आज पशुओं के लिए चारे का अभाव रहता है। जहां अच्छी कीमत मिल सकती है वहीं चारा बेचने ले जाते हैं। किसानों के शोषण को रोकना चाहते हैं तो उन नहीं बोलने वाले मूक पशुओं की दृष्टि से भी इन मार्केट्स के अन्दर में ग्रास और फॉडर को रखना चाहिये। तो मेरी समझ में नहीं आता कि सिलेक्ट कमेटी ने इस प्रकार का संशोधन क्यों किया ?

और कई चीजें हैं जिनमें पुरानी चीजों को हटा कर नई चीजों को शिड्यूल में रखा है। यह मैं उचित नहीं समझता। अध्यक्ष महोदय, एक-दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर सिलेक्ट कमेटी में विचार नहीं किया गया है, उन पर विचार किया जाना आवश्यक है। हमने यह रखा है, एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन दी है :

"Agriculturist' means a person who ordinarily by himself or by his tenants or hired labour or otherwise is engaged in the production or growth of agricultural produce, but does not include a trader or broker in agricultural produce, elthough such trader or broker may also be angaged in the production or growth of agricultural produce."

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही अहम मसला हमारे सामने है। एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन रखी है उसमें एग्रीकल्चरिस्ट उसको माना है जो खुदकाश्त करता है, दूसरों से काश्त करवाता है, जो मजदूरों से खेती करवाता है उसको हमने एग्रीकल्चरिस्ट माना है। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहूँगा कि इस प्रगति के युग में जिस प्रकार टिनेन्सी लॉ का रेगुलेशन, तब्दीली सरकार करती जा रही है कि हमारे यहां जमीनें हैं उन जमीनों का मालिक वही होगा जो उस जमीन पर खुद खेती करता है, जो जमीन पर खुद खेती नहीं करता उसको हम जमीन पर अधिकार नहीं देने वाले हैं, जब इस प्रकार के विचार सदन में प्रकट किये जाते हैं और राजस्थान सरकार की नीति यह है कि जो टिलर ऑफ दी सोइल है हम उसको ही एग्रीकल्चरिस्ट मानेंगे,

हम उसको एग्रीकल्चरिस्ट मानेंगे जो खुदकाश्त करता है। एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन में जितने रिलीफ और जितनी राहत किसान को हम देना चाहते हैं वह उन्हीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को देंगे जो किसान काश्त करेगा, जो जमीन पर काबिज रहेगा और जमीन पर हल जोतता होगा। हम उस किसान को किसान नहीं मानेंगे जो मजदूरों से खेती कराता हो, जो खुद खेती नहीं करता हो। हम बीच के, मध्यवर्ग के लोगों को हटाना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि आज एग्रीकल्चरल फील्ड के अन्दर इस प्रकार के किसान हैं जो दूसरों से मजदूरी कराते हैं, उस तबके को हम रोकना चाहते हैं और बीच से हटाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आज एग्रीकल्चरिस्ट वह होगा जो वास्तविक रूप से ज़मीन पर काबिज़ होगा या जो अपनी मेहनत से काम करता होगा और उस जमीन में पानी देता होगा या बीज डालता होगा और अपने परिवार के द्वारा जमीन में खेती करेगा। जो व्यक्ति एक्चुअली खेती करेगा उसको हम किसान मानेंगे और बीच के लोगों को जो खेती नहीं करते और दूसरों से खेती कराते हैं और उसका फायदा उठाते हैं उनको हम किसान मानने वाले नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रकार की परिस्थिति है। हम देखते हैं कि एक्चुअल टिलर बहुत कम हैं। आज राजस्थान में अधिकांश इस प्रकार के एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिनका मुख्य धन्धा खेती करना नहीं है। जो लोग खेती करते नहीं, गांवों में रहते नहीं और गांवों से हजारों और सैकड़ों मील दूर रहते हैं लेकिन फिर भी जिनके यहां पर फार्म और खेत चलते रहते हैं, मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि ऐसे लोग, जो कभी हल चलाते नहीं, कभी खेत में बीज डालते नहीं, कभी जमीन में पानी देते नहीं, खलिहान में जाते नहीं, ऐसे लोग, जो फसल को लेकर बाजार में जाते नहीं, जो हजारों मील खेतों से दूर बंगलों और बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, को क्या आप किसान मानेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, यदि हम उनको किसान मानेंगे तो फिर हम किस प्रकार से उन काश्तकारों को राहत देंगे ? जब हम इस प्रकार के किसानों के शोषण की बात करते हैं और उनको राहत देने के लिए कानून बनाये इसलिए कि किसानों को अपने माल को मार्केट में ले जाने और वहां पर बेचने पर, अच्छी कीमत मिल सके, तो मैं यह कहूँगा कि हमें इस डेफिनिशन को बदलना होगा। आज हमें राजस्थान के सारे एग्रेरियन प्रोसेस और रिफॉर्म में यह तय करना होगा कि एग्रीकल्चरिस्ट किसको माना जाये।

आज सदन में भूमिहीन किसानों का प्रश्न पैदा होता है कि भूमिहीन किसानों को जमीन नहीं मिलती है। सरकार कहती है कि हमने इतनी भूमि भूमिहीन किसानों के लिये रखी है। आज सदन में आवाज उठाई जाती है उसका एकमात्र कारण यह है कि आज हमारी एग्रीकल्चरिस्ट या टिनेन्ट की डेफिनिशन से हम उनको भी काश्तकार मानते हैं जो मेहनत करते नहीं, जो मिनिस्टर बने रहें, जो बंगलों में बैठे रहें। मैं समझता हूँ कि ऐसा करना भी एक प्रकार का किसानों का शोषण है। हम इस प्रकार का कानून बनाने जा रहे हैं कि किसान को अपनी प्रोड्यूस की अच्छी कीमत मिल सके। हमने उनको रिलीफ देने के लिये रिलीफ

Page No 32

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फ्रोम इन्डेटनेश के लिये कानून बनाया, उनके लिये रिटिनेन्सी रूल्स बनाते हैं। मैं यह कहूँगा कि इस प्रकार की डेफिनिशन से उसमें बड़ी गड़बड़ी होगी। इसलिये हम एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन में किसको लेते हैं। यह समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि सिलेक्ट कमेटी ने जिसके पास यह गया था उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम इन्टरमीजियरीज़ को हटाना चाहते हैं, जिससे उनका शोषण रुके।

अगर हम इनको रोकना चाहते हैं कि उनका शोषण बन्द हो तो हमें इस मध्यम-वर्ग और बिचोलियों को और दलालों को उनके बीच से हटाना चाहिये। आज के जो दलाल हैं वे वे लोग हैं जो खुद खेती करते नहीं, किसानों से खेती करवाते हैं और मजदूरों को उनकी मजदूरी का पूरा हिस्सा देते नहीं और सारी पैदावार खुद हड़प जाते हैं। क्या आप उनको एग्रीकल्चरिस्ट मानेंगे? मैं समझता हूँ कि वे एग्रीकल्चरिस्ट नहीं माने जा सकते।

अध्यक्ष महोदय, सदन में इस प्रकार के कई प्रश्न उठे और मैंने भी इस प्रकार के प्रश्न उठाये कि आज इस प्रकार के लोग हैं, हायर ऑथोरिटी और हाइरेस्ट ऑथोरिटी के लोग हैं जिन्होंने राजस्थान में जमीन देखी होगी लेकिन उनको यह मालूम नहीं कि किस प्रकार से पैदावार होती है? क्या आप उनको इसमें लेंगे? अगर आप इस प्रकार के लोगों को इस डेफिनेशन में लेंगे तो मैं यह कहूँगा कि आप किसानों को क्या राहत देना चाहते हैं? जो काश्तकार कभी जमीन पर खेती करते नहीं, कभी जमीन पर आते नहीं, बीज बोते नहीं, खलिहान में जाते नहीं, कभी फसल काटते नहीं तब क्या आप ऐसे लोगों को एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन में लेते हैं? मैं यह निवेदन कर सकता हूँ कि आज राजस्थान में हजारों लोग इस प्रकार के हैं जो जमीन पर रहते नहीं, काश्त करते नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहां केन्द्र के मंत्री श्री एस० के० डे हैं वे भी इस डेफिनिशन में आवेंगे? वे यहां रहते नहीं। क्या राज्य सरकार को यह इच्छा है कि जो व्यक्ति यहां रहते नहीं, जमीन पर रहते नहीं, हल कभी चलाते नहीं, बीज कभी डालते नहीं, फसल को गाड़ी में कभी भरते नहीं और खलिहान में जाते नहीं, मैं कहता हूँ कि क्या आप उनको एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन में एग्रीकल्चरिस्ट मानने को तैयार हैं? मैं यह कहूँगा कि हमारे एस. के. डे आज यहां से ५०० मील की दूरी पर रहते हैं, भूमिहीन की बात को छोड़ दीजिये, आज मजदूर उनके यहां पैदावार करते हैं, क्या आज उनको एग्रीकल्चरिस्ट मान कर राहत देने वाले हैं? अध्यक्ष महोदय, यह मौलिक प्रश्न है। मैं यह कहता हूं कि इस प्रकार के लोगों को हम एग्रीकल्चरिस्ट मानेंगे तो किसानों को राहत नहीं दे सकते। अगर हमें किसानों को राहत देनी है तो किसान उन्हीं को मानना है जो खेती करते हैं। अगर हम गरीब किसानों को पैदावार से अच्छी कीमत दिलाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि इस तरह से गरीब किसान को अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, इस प्रकार के लोगों को मिलेगी जो बंगलों में बैठे रहेंगे और वहां बैठ कर अच्छी कीमत लेना चाहते हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि यह बड़ा मौलिक प्रश्न है और इसलिये मैंने प्रस्ताव रखा है कि यह सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये क्योंकि यह जैसा कि प्रश्न है एग्रीकल्चरल इकॉनोमी रिफॉर्म एन्ड रिलीफ की जितनी बातें हैं, मैं समझता हूँ कि जो परिभाषा रखी है उसमें जब तक एक्चुअल टिलर ऑफ दी सोइल को इसमें नहीं लेते तब तक यह डेफिनिशन बेकार है। आप किसानों को राहत देने की बात कह रहे हैं, उनको कोई राहत नहीं मिल सकेगी।

एक दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि हमने इसमें मार्केटिंग कमेटी बनाई है। उसके कॉन्स्टीट्यूशन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस कानून के द्वारा आपके कानून के अन्तर्गत बनने वाले बाइ लॉज को फोर्स में लाने का अधिकार उसको दिया है। इसलिये मैं कहूँगा कि अगर इस कानून की कोई जान है तो मार्केटिंग कमेटी है। इसका कॉन्स्टीट्यूशन और कम्पोज़िशन जिस प्रकार का होगा इसके लिये मैं सदन का ध्यान कानून की क्लॉज़ ८ की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है। अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ ८ में कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ मार्केट कमेटी का उल्लेख है, उसमें लिखा है :

"Constitution of market committees : (1) Every market committee shall be constituted as prescribed and shall consist of the following fifteen members, namely :

(i) Seven shall be persons elected by such recognised organisations of agriculturists in the market area for which it is established as the State Government may prescribe and, where no such organisations exist, by the agriculturists paying not less than ten rupees per year by way of rent or revenue and residing in the market area in the manner prescribed,

(ii) Two shall be persons elected by the traders licenced by the market committee in the prescribed manner,

(iii) Two shall be representatives of the Co-operative Marketing Societies and Co-operative Central Financing Agency in the market area for which it is established as the State Government may prescribe,

(iv) Two shall be elected by local authorities."

और फिर इसमें दो होंगे लोकल बॉडीज़ के और दो होंगे स्टेट नॉमीनीज़। मैं उनमें ज्यादा न जाता हुआ यही निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ एन्ड कोऑपरेटिव सेन्ट्रल फाइनेन्सिंग एजेन्सी के दो प्रतिनिधि होंगे। यह इसमें लिखा हुआ है। राजस्थान में कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी नाम की कोई सोसाइटी अभी तक तो है नहीं। फिर कहां से उनके प्रतिनिधि आवेंगे ? कुछ स्थानों पर होंगी। लेकिन इसके साथ साथ कोऑपरेटिव सेन्ट्रल फाइनेन्सिंग एजेन्सी से आपका क्या मतलब है। ऐसी इन्स्टीट्यूशन कोऑपरेटिव सेन्ट्रल

Page No 34

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फाइनेन्सिंग एजेन्सी तो अभी तक कोई राजस्थान में है नहीं। यदि आपका लैंड मार्टगेज और सेन्ट्रल बैंक से मतलब है, तो यह मैं नहीं समझ पाता क्योंकि सेन्ट्रल फाइनेन्सिंग एजेन्सी ऐसा कोई ऑर्गेनाइज़ेशन अभी तक तो राजस्थान में है नहीं। जिस हाइपोथेटिकल सोसायटी या एजेन्सी के बारे में सदन को जानकारी न हो, जो राजस्थान में कहीं इस प्रकार की एजेन्सी एस्टेब्लिश्ड न हो, राजस्थान में कहीं इस प्रकार की सोसाइटी या एजेन्सी इन्कॉर्पोरेटड और एस्टेब्लिश्ड न हो, इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन के लिए इस कानून में प्रावधान करना उचित मालूम नहीं देता है। माननीय मंत्रीजी इसकी जानकारी देंगे और बतायेंगे सदन को कि सेन्ट्रल फाइनेन्सिंग एजेन्सी, ट्रेड एजेन्सी कहां कहां एस्टेब्लिश्ड हैं अथवा हुई हैं, इसका हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट कहां है, इसके पदाधिकारी कौन हैं और इस प्रकार रिप्रेजेन्टेशन किस प्रकार से होगा ?

इसके साथ साथ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मार्केटिंग कमेटी में १५ आदमियों को रखा गया है—दो ट्रेडर्स, दो होंगे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ एन्ड कोऑपरेटिव सेन्ट्रल फाइनेन्सिंग एजेन्सी के, दो होंगे लोकल बॉडीज़ के और दो होंगे गवर्नमेंट नॉमिनीज़ और इन सबसे ज्यादा रिप्रेजेन्टेशन है, सात आदमी उनके द्वारा चुने हुए होंगे जो रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन्स ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं। यह किसानों का कौनसा रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है ? सदन को तो मालूम नहीं है। किसी ने किसान सभा बना ली, किसी ने किसान पार्टी बना ली और किसी ने किसान दल बना लिया और किसी ने किसान और कृषक समाज बना लिया ! कौन से समाज, संघ, पार्टी, सभा–दल को किसानों की पार्टी, रिकग्नाइज्ड सभा या पार्टी दल मानते हैं ? या हमें जिस इन्स्टीट्यूशन को फेवर करना है, जिस इन्स्टीट्यूशन को हमको प्रोत्साहन देना है, या जिस इन्स्टीट्यूशन को हमको एन्करेज करना है या जिस इन्स्टीट्यूशन का हमको राजस्थान के सारे किसानों पर, उस सारे इलाके के किसानों पर दबदबा जमाना है, उसको उस दृष्टि से किसानों की रिकग्नाइज्ड इन्स्टीट्यूशन मानेंगे ? मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूँगा कि मेरी जो यह मान्यता है कि जिस प्रकार सिलेक्ट कमेटी ने कानून पेश किया है, माननीय सदस्यों या माननीय मंत्रीजी का जिस किसी इन्स्टीट्यूशन की दृष्टि से यह ध्यान था और जिस किसी इन्स्टीट्यूशन को रिकग्नाइज्ड माना है, उनकी ओर से मान्यता दी है, वह कौन सी इन्स्टीट्यूशन है और किस कानून के तहत वह रिकग्नाइज्ड है और करने वाले हैं ? इसका मतलब स्पष्ट है। इसमें लिखा है—रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरिस्टस, जो ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड है। कौन से कानून में है ? आपका मतलब कृषक समाज से है या आपका मतलब किसी फार्म फोरम से है या आपका मतलब कृषक समाज से है; आपका मतलब आपके द्वारा बनाये हुए किसी कृषिक समाज से है, संघ से है, सभा से है या उस पार्टी से है जो दलबन्दी के आधार पर बनायी हुई संस्था है, जिसके द्वारा आप राजस्थान के किसानों में अपना दबदबा बनाना चाहते है ? फिर आप इसमें साफ ही लिख दीजिये। रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

"Seven shall be persons elected by the Rajasthan Krishak Samaj," मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। सदन के सामने आप साफ बतायें। कौनसी इन्स्टट्यूशन्स से आपका मतलब है ? आपको बैकडोर से घुसने की आवश्यकता नहीं है। But let us come and say streaight away. Let us say frankly in this House that हमारा मतलब कृषक समाज से है, फार्मर्स फोरम से है। सात प्रतिनिधि उसके रहेंगे। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे इसका स्पष्टीकरण करें और सदन से निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस प्रकार की बैक डोर एन्ट्री को अलाऊ नहीं करे। सरकार साफ तौर पर सामने आये कि एग्रीकल्चरिस्ट्स की कौनसी इन्स्टीट्यूशन को रिकग्नाइज्ड कर सकते हैं ? ऐसी कई इन्स्टीट्यूशन्स हो सकती हैं, कृषक, फार्मर्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट्स हो सकते हैं जो खेती नहीं करते, जो घर पर बैठे रहते हैं और इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स बना सकते हैं, अपने इन्ट्रेस्ट को सेफ गार्ड कम करने के लिए जो इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स बना सकते हैं। वे सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करें। एग्रीकल्चरिस्ट्स की डेफिनिशन में जो आते नहीं फिर भी बने हुए हैं, लेबर जो करते नहीं, इनको आप एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन में मान कर, जो इस प्रकार के बने हुए काश्तकार हैं, उनको आप किस कानून के तहत रिकग्नाइज्ड इन्स्टीट्यूशन्स के आधार पर, एग्रीकल्चरिस्ट के आर्गेनाइजेशन के नाम पर प्रतिनिधि के रूप में लाना चाहते हैं ? यह एक विचारणीय प्रश्न है।

इसके साथ साथ एक और वस्तु स्थिति है। इस कानून में लिखा है और वह यह है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन वहां पर न हो, विशेष क्षेत्र में तो ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट् हैं जो 'paying not less than ten rupees per year by way of rent or revenue and residing in the market area in the manner prescribed' ऐसे काश्तकार और ऐसे किसान जो दस रुपया से कम लगान नहीं देते हैं उनके द्वारा सात व्यक्तियों को चुना जावेगा। मैं यह पूछना चाहूँगा सरकार से कि आप किसान और किसान में भेद क्यों करना चाहते हैं ? जो किसान है वह किसान है, चाहे वह दस रुपया लगान देता हो, चाहे वह एक रुपया ही लगान क्यों न देता हो या पांच सौ रुपया लगान देता हो। दस रुपये से कम लगान देने वाले काश्तकार को आप उसके मौलिक अधिकारों से क्यों वंचित करना चाहते हैं ? मार्केटिंग कमेटी जिस एरिया के लिए बनेगी, उसके लिए आप यह साफ ही कह दीजिये कि दस रुपया से कम लगान देने वाला किसान है, उस पर वह लागू नहीं होगी या आप कह दीजिये कि उसको उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं रहना होगा और जो मार्केटिंग कमेटी बनेगी वह उसमें अपनी फसल को नहीं बेच सकेगा यदि किसान उसमें अपनी फसल बेच सकता है। उस मार्केटिंग कमेटी का उस क्षेत्र में जुरिस्डिक्शन होगा, उस पर भी यह कानूनी प्रावधान लागू होगा, तो दस रुपये की सीमा किस आधार पर आपने तय की जिसमें आपने कहा कि दस रुपये से ऊपर लगान देने वाले ही किसान को रिप्रजेन्टेशन का मौका देंगे। आज आप इस प्रकार वर्तमान में यह कहते हैं तो यह कैसे कहा जा सकता है कि यह प्रोग्रेसिव है ? किस प्रकार से यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रोग्रेसिव कदम है ? यह तो एक बड़ा प्रतिगामी कदम है। या तो आप यह कह दीजिये कि उस किसान को ज्यादा जमीन देंगे जो ज्यादा जमीन देंगे, जो ज्यादा लगान देगा। लेकिन आप उनको ज्यादा जमीन देना नहीं चाहते । और दूसरी ओर एक दस रुपये से कम लगान देने वाले किसान को इलेक्शन से प्रतिनिधि चुनने से वंचित रखना चाहते हैं। किसान किसान में आप एक भेद डालना चाहते हैं कि तुमको इलेक्शन में वोट देने का अधिकार नहीं है, मार्केट कमेटी में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं है, चूंकि तुम दस रुपये से कम लगान देते हो। हमने विधान सभा में चुनाव के लिए एक रुपया और उससे कम लगान देने वाले किसान को वोट देने का अधिकार दिया है, जो मजदूर है और मजदूरी कमाता है उसको वोट देने का अधिकार दिया है। वह विधान सभा के लिए वोट दे सकता है, पार्लियामेंट के लिए वोट दे सकता है, पंचायत के लिए वोट दे सकता है, म्युनिसिपैलिटी के लिए वोट दे सकता है। लेकिन इस बिल के द्वारा दस रुपये से कम लगान देने वाला गरीब काश्तकार और किसान मार्केटिंग कमेटी में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सके, उसके लिए अधिकार नहीं दिया है। उसको अधिकार नहीं दिया है। क्यों ? आप यह स्पष्ट कह दीजिये कि मार्केटिंग कमेटी बड़े बड़े किसानों और बड़े बड़े लोगों की है। मेरे सारे तर्क और सन्देह इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। क्योंकि आप यह कहते हैं कि मार्केटिंग कमेटी में उनका होल्ड होगा जो बड़े होंगे, जो बड़े बड़े किसान होगे जो बड़े बड़े काश्तकार होंगे बड़े किसान और बड़े बड़े काश्तकार कौन होंगे, कैसे होंगे ? जैसा मैंने निवेदन किया था कि बड़े किसान और काश्तकार वे होंगे जो खुद काश्त नहीं करते, जो खुद खेती नहीं करते, जो खुद मजदूरी नहीं करते, बल्कि जो बड़े बड़े बंगलों में पंखों की हवा में बैठे रहते हैं। यह कोई गरीब के लिए, किसान–काश्तकार के लिए कानून नहीं बनाना है, उनका उसमें रिप्रेजेन्टेशन नहीं कराना है केवल इस कारण से कि दस रुपये से कम लगान देते हैं। आज के इस वर्तमान समय में इस प्रकार का प्रावधान जस्टीफाइड नहीं कहा जा सकता है और, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए एक जो बेसिक चीज़ है उस पर विचार करने के लिए इसको नयी प्रवर समिति को भेजें जो प्रवर समिति इस सारी बातों पर विचार करे।

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, इसमें मुख्य बात और है वह बात यह है कि मार्केटिंग कमेटी जो बनाई है उसमें हमारा रुख इस प्रकार का है कि इस प्रकार के जो पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स हैं, वॉलन्टियरी इन्स्टीट्यूशन्स हैं, जिन्हें पैदा करते जा रहे हैं। सारे काम का इन्तजाम वे स्वयं अपने आप करें। हम ब्युरोक्रेटिक व्यवस्था को हटाकर डेमोक्रेटिक व्यवस्था की ओर उन्हें ले जा रहे हैं। आज हम सम्पूर्ण समाज का गठन और नियमन इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर करते हैं जिससे हमारा समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल हो जाय। अगर हम उन संस्थाओं का नियमन ब्युरोक्रेटिक आधार पर करने लगे तो उसका अन्त प्रारम्भ से ही होने लग जायगा। इसी प्रकार की व्यवस्था हमने इसमें रखी है, मार्केट कमेटीज़ जो इलेक्ट होंगी, जिसमें किसानों के सात प्रतिनिधि होंगे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दो कोआॅपरेटिव सोसाइटीज के, दो राज्य सरकार के, दो लोकल बॉडीज के, सारे इन व्यक्तियों के ऊपर हमने राजस्थान के एग्रीकल्चर विभाग के डाइरेक्टर को रखा है। वह किसी भी आॅर्डर को बदल सकता है, उसमें तरमीम कर सकता है, सस्पेन्ड कर सकता है। इस प्रकार से डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स को ब्युरोक्रेटिक हैन्ड्स में व्यवस्था देना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। राजस्थान लेवल पर जहां डेमोक्रेटिक आधार पर इन्स्टीट्यूशन्स बन सकती है, वहां इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स का रेग्युलेशन करा रहे हैं। वह कंट्रोल करें, मार्केटिंग कमेटी के, रिजोल्यूशन को वह सस्पेन्ड कर सकता है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के पॉवर्स डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को देना किसी भी प्रकार से वाजिब नहीं कहा जा सकता, वह भी उन स्थितियों में जब कि यहां पर कई बार चर्चा हो चुकी है। हमने पहले भी इस प्रकार के कानून बनाये थे, उसमें डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर और मार्केटिंग अफसर की अलग अलग पोस्टस रखो थी। दोनों अलग अलग प्रकार की टैकनिक है; जमीन को बोना उस पर काश्त करना अलग टैकनिक है और मार्केट में वह माल लाकर बेचना, उसका क्या मूल्य आ सकता है, यह अलग टैकनिक है, यह अलग इकॉनोमिक्स है, अलग साइन्स है। इसलिये मैं समझता हूँ, एक आदमी जो खेती करने में, बीज बोने में समर्थ और सक्षम हो सकता है, चतुर हो सकता है वह आदमी उस पैदावार को बेचने में चतुर नहीं कहा जा सकता और इसीलिये यह विधेयक लाया गया है। बड़े बड़े इकॉनॉमिस्टस एग्रीकल्चर कल्टीवेशन की increasing returns and diminishing returns ये सारी बातें समझ सकता है। ये एस्टेब्लिश्ड प्रीन्सिपल्स हैं इन्हें वह जानता होगा। जहां तक मार्केटिंग का सवाल है, कॉमर्शियल आस्पैक्ट का सवाल है, वह उतना निपुण नहीं हो सकता इसलिये हमने इस प्रकार की सेपरेट इन्स्टीट्यूशन्स पैदा की हैं। इसी चीज के लिये जो एग्रीकल्चर का महकमा है और वह आदमी जो एग्रीकल्चर विभाग का इन्चार्ज है मार्केटिंग की दृष्टि से उपयोगी होगा, यह मैं कदापि मानने के लिये तैयार नहीं। इकोनॉमिक क्वालिफिकेशन और कॉमर्शियल क्वालिफिकेशन दोनों में भेद है। एग्रीकल्चर क्वालिफिकेशन का आदमी इस तरफ सफल नहीं हो सकता। इस बारे में सिलेक्ट कमेटी को विचार करना चाहिये। एग्रीकल्चर की दृष्टि से वह बी० एस सी० एग्रीकल्चर काफी हो सकता है, लेकिन मार्केटिंग की दृष्टि से बी.काम. होना जरूरी है, एग्रीकल्चर कॉमर्स का होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, नहीं तो जिस ढांचे पर हम महल खड़ा करने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं होगा तो सारा महल ही ढह जायगा।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, एक बात और आखिर में निवेदन करना चाहता हूँ, वह यह है कि हमने इसमें यह भी रखा है कुछ एरियाज़ के लिये कि सरकार चाहे तो मार्केट कमेटीज बना सकती है। मैं इसको सिद्धान्ततः गलत समझता हूं! अगर आप राहत देना चाहते हैं, पैदावार की अच्छी कीमत दिलाना चाहते हैं और राजस्थान के एक भाग में कानून को लागू करें और दूसरे भाग में न करें तो मैं समझता हूं यह एक बेसिक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्वेश्चन है, इस पर विचार करना होगा। जब हम राजस्थान के काश्तकारों के लिये कानून बनाना चाहते हैं, तो सबके लिये एक कानून बनाना होगा। इस प्रकार की डिस्क्रिमीनेशन की पॉलिसी को छोड़ना होगा। बाकी राजस्थान के हिस्से में लागू न करें, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ना होगा। यह प्रवृत्ति निन्दनीय प्रवृत्ति है, यह नहीं होनी चाहिये। जहां सम्पूर्ण राजस्थान के किसानों को राहत देने का सवाल है, इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स के स्थापित करने का सवाल है, आप राजस्थान की रिकग्नाइज्ड इन्स्टीट्यूशन्स के सात प्रतिनिधि इसमें ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो आप कृषक समाज की शाखायें सब जगह नहीं खोल सके हैं और खोलने में समय लग सकता है इसलिये आप चाहते हैं कि जहां शाखायें खुल चुकी हैं वहां तो यह लागू कर दिया जाय और ज्यों ज्यों शाखायें खुलती जांय दूसरे हिस्सों में भी लागू करते जाय। आप शायद इस इन्तजार में है। अगर इस प्रकार की बात नहीं है तो आप इसे सम्पूर्ण राजस्थान में लागू करने का विचार क्यों नहीं करते? ये सब बातें है कि जिस पर सिलेक्ट कमेटी ने विचार नहीं किया। अतः इसको दूसरी प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो इन सारी बातों पर विचार करके संशोधित रूप में फिर से इस विधेयक को प्रस्तुत करें। इतना ही मैं अपने संशोधन प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोलता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में फिर से भेजने के लिये प्रस्ताव रखा है उसके समर्थक में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष, हमको यह देखना पड़ेगा कि आखिर राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बिल की क्यों जरूरत पड़ी? जहां तक मैं समझ सका हूं इस बिल के सिद्धांत बहुत अच्छे हैं और इसकी जरूरत इसलिये है कि राजस्थान के अन्दर, हमारे देश के अन्दर काश्तकारों को जो वे पैदा करते हैं उसको सही सही कीमत मिले। साथ में यह भी सिद्धांत है कि जो इस प्रोड्यूस को खरीदते हैं उनको भी वह प्रोड्यूस फेअर प्राइसेज़ पर मिले। इन दो सिद्धांतों को लेकर मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिये, एडीशनल चैक करने के लिये इसकी आवश्यकता है। मगर इस आवश्यकता की पूर्ति, जो हमने इस बिल के अन्दर क्लॉजेज़ रखे हैं उससे नहीं होती और जब तक इन क्लॉजेज़ को हटाया न जाय या इसमें परिवर्तन न किया जाय या मोडिफाइ न किया जाय तब तक जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस तक नहीं पहुँच सकेंगे। सबसे पहले हम देखें, राजस्थान के अन्दर दो पंचवर्षीय योजनायें लागू हुई हैं, दोनों योजनाओं के अन्दर कृषि पर हमने काफी खर्चा किया है, मगर उसका नतीजा यही रहा कि उत्पादन शक्ति जो काश्तकारों की होनी चाहिये, उसके लिये जो इन्सेन्टिव पैदा होना चाहिये, वह इनसेन्टिव हम पैदा नहीं कर सके हैं। इसका नतीजा बहुत से यह मानते हैं कि पर एकड़ ईल्ड कम हुआ। बहुतों का यह ख्याल है कि काश्तकारों के माल की प्राइसेज़ इतनी फ्लकचुएट हो जाती हैं कि कभी कम हो जाती हैं, कभी ज्यादा हो जाती है और जब कम हो

(श्री श्रीभानसिंह)

जाती हैं तो काश्तकारों में असन्तोष पैदा होता है । दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद भी हम फूड टार्गेट्स को अचीव नहीं कर सके हैं और काश्तकारो के पास पैसा नहीं पहुँच सका है । इसका सबसे बड़ा कारण मार्केट का रेगुलेट नहीं किया जाना है । जब हम मार्केट को रेगुलेट करते हैं तो इस प्रकार की कमेटीज़ जो होंगी उनमें किसका रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये, किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिये, उसके क्या क्या फंक्शन होने चाहिये इन सब चीजों को लेकर चलते हैं तो एग्रीकल्चर की जो डेफीनिशन है वह एक प्रकार से डिफेक्टिव मालूम होती है । मैं जहां तक समझ सका हूं टिनेन्सी एक्ट में जो डेफीनिशन है वही इसमें ली गई है । मगर कमेटीज़ के अन्दर हम सिद्धांत रखते हैं कि एग्रीकल्चर ग्रोअर है उसके प्रोड्यूस की कीमत उसको बराबर मिले तो उसमें किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं रखना पड़ेगा । कमेटीज़ के अन्दर एक्चुअल जो ग्रोअर हैं उनको रिप्रजेन्टेशन देना पड़ेगा मार्केट कमेटीज़ के अंदर। और जब हम ग्रोअर पर आते हैं और प्रोड्यूसर पर आते हैं तो यह मतभेद नहीं कर सकते कि कोई दस रुपया रेवेन्यू देता है या पांच रुपया देता है, दस रुपया देता है तो रिप्रेजेन्टेशन होगा और पांच रुपया देने वाले का रिप्रेजेन्टेशन नहीं होगा क्योंकि आर्थिक स्थिति हमें सुधारनी है, राजस्थान में इन्सेटिव देना है कल्टीवेटर्स को । एग्रीकल्चरिस्ट को तो इसमें फिर पांच रुपये देने वाला भी आता है, दस रुपये देने वाला भी आता है और हजार रुपये तक देने वाला भी आता है । अगर रिप्रेजेन्टेशन हमें ग्रोअर को देना है तो इस आधार पर हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते । मुझे ताज्जुब है कि हम एक तरफ इसमें एग्रीकल्चरिस्ट की डेफीनिशन देते हैं और दूसरी तरफ मार्केटिंग सोसाइटियों में उनको हम भूल जाते हैं जो भले ही खुद हार्ड लेबर करते हों या इन्डाइरेक्ट कराते हों और जो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं उनको रिप्रेजेन्टेशन देते हैं । तो हमें अगर इस एम को अचीव करना है तो प्रोड्यूसर को मार्केट कमेटियों में लेना होगा, अधिक से अधिक उनको रिप्रेजेन्टेशन देना होगा और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो शायद इसमें एक चीज है, मैं कह नहीं सकता, कि उनको भी रिप्रेजेन्टेशन काउन्टर बैलेन्स पर दिया गया है । जिसके जहां तक प्रोड्यूसर का सवाल है, उनकी मेजोरिटी रहनी चाहिये । अगर १५ सदस्य हों तो इसमें से ८।६ प्रोड्यूसर्स को देनी चाहिये और बाकी के लोग माइनोरिटी में होने चाहिये। हमारा यह मकसद नहीं है कि दूसरे एलीमेंट्स को ही रिप्रेजेन्टेशन देना चाहते हों; पर साथ में जब हम पूरा रिप्रेजेन्टेशन देना चाहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट को तो इनको मेजोरिटी देनी होगी ।

इसके अन्दर एक सिस्टम एडॉप्ट किया है कि जो कमेटीज़ का ट्रान्जेक्शन होगा, ऑक्शन के द्वारा होगा । मैं नहीं समझ सकता कि आखिर एक मार्केट कमेटीज़ तीन पद्धतियों को एडॉप्ट करती है । एक तो है, मार्केट कमेटी हो पर वे डाइरेक्टली पर्चेज़ कर लें काश्तकार से, उसकी रिस्क लेकर सेल करें और जो पैसा आये; कम आये, ज्यादा आये, नफा हो, नुकसान हो उसे नहीं भुगते। दूसरा है ऑक्शन का तरीका, जो इसमें लिया गया है । तीसरा हो सकता है, जो मेम्बर हैं कोऑपरेटिव

(श्री श्रीभानसिंह)

सोसायटी, मार्केटिंग सोसाइटी के, उनका जितना प्रोड्यूस हो उसको वह मार्केटिंग सोसायटी में पूल कर दे और वह उसे बेच दे। अब इन तीन तरीकों में से यह ऑक्शन का तरीका ही क्यों रखा है ? यह समझ में नहीं आता। हो सकता है ऑक्शन के मैथड को एडॉप्ट करने में कम से कम नुकसान हो। पर अगर हम पूलिंग सिस्टम और ऑक्शन सिस्टम दोनों को रख लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि किस तरह से मार्केटिंग कमेटी को नुकसान होगा ? तो सिलेक्ट कमेटी को इसे दिया जावे ताकि वह देखे कि इन तीन सिस्टमों में से कौनसा अधिक बेनीफिशियरी होगा ?

दूसरा यह कि एरेटा और कोरिन्जेन्डम इसका निकाला गया है, तो इतना इलड्राफ्टेड बिल सदन के सामने नहीं आ सकता। यह इलड्राफ्टेड हो नहीं, एक बड़ा वेग बिल भी है। यह समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार इसे क्यों पास कराना चाहती है ? अगर हम एग्रीकल्चर मार्केट को रेगुलेट और कन्ट्रोल करना चाहते हैं, तो थ्री टायर सिस्टम सब जगह हो। थ्री टायर सिस्टम का मतलब है एक बेसिक यूनिट रखना सब जगह पड़ेगा। प्राइमरी यूनिट है यह विलेज लेवल पर होगी, चाहे इसे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कह लीजिये या प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन कह लीजिये। कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। यह प्राइमरी यूनिट विलेज लेवल पर होगी। इसको ऊपर से लिंक-अप करना पड़ेगा तहसील लेवल से लेकर जिला लेवल और स्टेट लेवल तक। सबको एक दूसरे से प्राइमरी लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक लिंक–अप करना होगा। तो यह एक रेगुलर फोर्स होगी और इससे नीचे से ऊपर तक सबको लाभ होगा। पर अगर हैप–हेजार्ड वे में आप मार्केटिंग सोसाइटी या कमेटी बनाते हैं, तो जो फायदा हम प्रोड्यूसर्स को पहुंचाना चाहते हैं वह फायदा उनको नहीं पहुंचा पावेगा। स्टेट लेवल पर एक फेडरेशन होना चाहिये। कन्ज्यूमर स्टेट लेवल पर आकर अगर अपना माल बेचेगा तो एक वाइड स्कोप मिलेगा। अब राजस्थान में और दिल्ली में जरूरत है एक फेअर प्राइस की। आखिर यह फेअर प्राइस क्या है ? स्टेट लेवल पर और सब जगह लिंक होकर अगर कन्ज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स में सम्पर्क रहेगा तो एक फेअर प्राइस रहेगी, नहीं तो एक जगह मार्केट को आपने रेगुलेट किया तो हो सकता है एक जगह फेअर प्राइस कुछ और हो और दूसरी जगह कुछ और।

(१२.४७ म. प.)

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

तो यह एक फेअर प्राइस भी आपको रखनी पड़ेगी और यह तभी हो सकेगी जब स्टेट लेवल पर उनका संगठन हो जो नीचे तक लिंक–अप हो।

अब कोई ऑर्गेनाइजेशन आप अगर डाइरेक्टर एग्रीकल्चर विभाग के नीचे रख देते हैं तो दिक्कत होगी। सीड डिस्ट्रिब्यूशन दूसरी संस्थाओं को यह डिपार्टमैन्ट कर रहा है। यह कर सकता है, पर मार्केट को रेगुलेट करने के लिये अलग डाइरेक्टोरेट होना चाहिये। इससे फूड प्रॉब्लम को भी रेगुलेट और सोल्व करना है। तो एक सेपरेट मार्केटिंग डाइरेक्टोरेट रखेंगे तब जाकर हम इसे सोल्व कर सकते हैं। एक मार्केट रेगुलेट करने का कानून बना देना और इससे ही यह समझ

Page No 41

(श्री श्रीभानसिंह)

लेना कि सभी हमारी समस्याएं हल हो गई भारी भूल होगी ।

इसमें सबसे पहला सिद्धान्त है एफीशियेन्सी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन । अगर यह नहीं कर सकते तो आप अपने लक्ष्य की पूर्ति किसी तरह नहीं कर सकते और यह एफीशियेन्सी तभी आ सकती है जब आप फैडरल स्ट्रक्चर करें और इसको सेपरेट स्टेट लेवल पर रखें । हो सकता है मार्केट कमेटी भी इस का सोल्यूशन हो । जैसे आपने कहा, कोऑपरेटिव सोसाइटी है । पर यह निश्चय कौन करेगा ? हमें कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटियों को इस मार्केटिंग सोसाइटी में स्थान देना होगा । अब कितना स्थान दें, यह कौन तय करेगा ? आखिर हमको सारे स्ट्रक्चर को लिंक–अप करना है । एक तरह से यह चीज हो सकती है जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, वह क्रेडिट एडवान्स करती हैं । तो इसके लिये हमें यह कम्पलशन रखना चाहिये कि प्रोड्यूस उसकी मार्फत सेल किया जाय । प्रोड्यूस भी उसको दिया जाय । वह एक तरफ क्रेडिट देती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिये तो दूसरी तरफ हमें यह कम्पलशन रखना चाहिये कि मार्केट के अन्दर इसी के थ्रू सेल करावे । इससे डाइरेक्ट लिंक–अप भी हो जाता है ।

अब आपने मार्केटिंग सोसाइटीज़ बना दीं, मगर जब तक आप कम्पलशन नहीं रखेंगे तब तक कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि यह कम्पलसरी है कि मार्केटिंग सोसाइटीज़ के थ्रू ग्रेन को वे बेचें । अगर कम्पल्शन नहीं है तो ये मार्केटिंग सोसाइटीज़ बनी रहेंगी और जो मिडलमैन हैं और जो काश्तकारों से कॉन्टेक्ट रखते हैं और उनको लोन देते हैं वह इस शर्त पर देते हैं कि आप का जो प्रोड्यूस है वह इस प्राइस पर आप देंगे । इस प्रकार से आपकी यह मार्केटिंग सोसाइटीज़ होलो और एम्पटी रहेंगी । तो हमको यह कम्पलशन भी रखना है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से लोन लें उनको मार्केटिंग सोसाइटी के थ्रू जो भी उनकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है बेचनी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें जैसे फेसिलिटी के बारे में बताया है, स्टोरेज फेसिलिटी रखी है और स्टेन्डर्डाइजेशन भी रखा है । हमको क्वालिटी की तरफ भी ध्यान देना है । इसके अलावा एक चीज और होती है जो मुझे इसमें नहीं मिली और वह होती है प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ दी सोसाइटी । इसके लिए समझ में नहीं आता कि इसको क्यों अवोइड कर दिया? क्योंकि अगर मार्केटिंग सोसाइटीज़ बनती हैं तो उसके पांच–सात फंक्शन्स होते हैं । उनके अन्दर स्टेन्डर्डाइजेशन है, स्टोरेज है और प्रासेसिंग भी एक फंक्शन है और सबसे बड़ा राजस्थान में फंक्शन है जो हम इम्पोज़ करें कि काश्तकार को क्विक ट्रान्सपोर्ट मिले अपनी चीजों को देने के लिए । जो टाइम कल्टीवेटर को अपनी प्राड्यूस कन्ज़्यूमर के पास ले जाने में लगाता है उसको नैरो किया जाना चाहिए । अगर हम उसको नैरो करना चाहते हैं तो हमको ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी भी उनके लिए प्रोवाइड करनी पड़ेगी और वह फेसिलिटीज़ कमेटी किस तरह से प्रोवाइड कर सकती है, यह भी हमको देखना है । साथ में ही जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टीट्यूशन इसका बनाया गया है, लोकल बॉडीज़ का रिप्रेजेन्टेटिव भी इसमें लिया गया है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जो मार्केटस म्युनिसिपल एरियाज़ में हैं उनको भी क्यों नहीं रेगुलेट

(श्री श्रीभानसिंह)

किया जाये ? उनको क्यों एक्सक्लूड कर दिया है, यह समझ में नहीं आता....

कुछ माननीय सदस्य : है ।

श्री श्रीभानसिंह : नहीं है, एक्सक्लूड किया हुआ है ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : Not excluded.

श्री श्रीभानसिंह : They have been excluded.

जब तक म्युनिसिपैलिटीज़ अपनी विश नहीं दे देती, अपनी कन्सेन्ट नहीं दे देती कि हम आपसे रेगुलेट कराना चाहते हैं तो वह रेगुलेट नहीं कर सकते । मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें म्युनिसिपैलिटीज़ की कन्सेन्ट की क्या जरूरत है ? फूड्स और वेजीटेबल्स क्या म्युनिसिपल एरिया के अन्दर नहीं आती हैं ? सारी जितनी एग्रीकल्चरिस्ट की चीजें हैं वे म्युनिसिपल एरिया के अन्दर भी आती हैं और मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा एडल्टरेशन होता है, काश्तकार को लूटा जाता है तो वह अर्बन एरिया के अन्दर ही लूटा जाता है । फेयर्स को आप रेगुलेट करना चाहते हैं तो इससे काश्तकारों को राहत नहीं मिलती है । म्युनिसिपैलिटी एरिया के अन्दर जो काश्तकार अपने सामान को लाते हैं उनको कितनी चीजें देनी पड़ती हैं यानी एक ऑर्डिनरी सेलर के पास जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि धर्मादा खाते और न जाने कितनी चीजें एग्रीकल्चरिस्ट के डिडक्ट करने के बाद उसकी प्रोडयूस बिकती है । जो भी आढ़तिये की मर्जी आती है वह उसी प्राइस पर बेच देता है, उसकी भी कोई प्राइस नहीं होती । तो सबसे ज्यादा हमें इस बात की जरूरत है कि म्युनिसिपल एरिया में सबसे पहले रेग्युलेट करने की जरूरत होती है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस म्युनिसिपल एरिया के अन्दर ही आती हैं । इन समस्याओं को देखते हुए इस बिल में इतनी खामियां हैं कि इन खामियों को दूर करना है। अगर राजस्थान के एग्रीकल्चरिस्ट को इन्सेन्टिव देना है और प्रोडयूस को रेगुलेट करना हैं कि जिस चीज की जरूरत है जैसे राजस्थान में व्हीट की ज्यादा जरूरत है तो व्हीट प्रोडक्शन को इन्सेन्टिव देना है व कामर्शियल क्रॉप्स को इन्सेन्टिव देना है और एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा पहुंचाना है तो मेरा यह कहना है कि जो मैंने पॉइन्ट्स बताये उनको लेकर फिर सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाये जिससे कि राजस्थान की जो खाद्यान्न की स्थिति है वह ठीक हो और जो हमारे प्लान्ड टार्गेट्स हैं या फूड पॉलिसी है उसके एचीवमेंट के लिए यह अनिवार्य है कि हम मार्केट को रेगुलेट करें और अडल्टरेशन में कमी करें और जो प्रोडयूसर की कीमत है उसके मिलने के लिए इन्तजाम करें । उसके लिए जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए मैं उसका समर्थन करता हूँ ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए जो प्रस्ताव आया है मैं उसके विरोध में बोल रहा हूँ । जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए प्रस्ताव पेश

Page No 43

(श्री पी० के० चौधरी)

किया है उनका भाषण मैंने सुना और उससे यही महसूस हुआ कि इस बिल को जिस उद्देश्य से लाये हैं उसको बराबर उन्होंने नहीं समझा और कुछ बातें ऐसी रहीं जैसा उन्होंने कहा कि....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैं समझता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी में इनका खुद नाम था, फिर भी आप बोल रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : मैं तो सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव के विरोध में बोल रहा हूँ और मेरा नोट ऑफ डीसेन्ट है, so I am free to speak in any way I like.

श्री मदनसिंह : जो मेम्बर्स 'एनी वे' में बोल सकते हैं और आप चाहते हैं कि ठीक ढंग से विचार किया जाये....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : Convention of the House be referred to. I think it is consistently followed in the House that those who are members of the Select Committee do not usually speak in order to give chance to the other members. So far as his note of dissent is concerned it relates only to one point that the period of office of the nominated Committee should be one year instead of two years.

श्री मदनसिंह : Then he should oppose it.

श्री सभापति : The Hon'ble member is opposing the motion which is to the effect that the Bill be re-submitted to the Select Committee. As a member of the Select Committee he is supporting the report of the Select Committee.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Those who are the members of the Select Committee are not supposed to participate in the daba te.

श्री सभापति : He is opposing the motion which is before us.

श्री पी.के.चौधरी: I will clarify the doubts which are in the Hon'ble member's mind. The convention is not this that a person who is member of the Select Committee cannot speak on the Bill. The convention is that if he does not give a note of dissent, then he cannot speak against the principles of the Bill. But any member of the Select Committee is at liberty to support the Bill.

तो सभापति महोदय, उन्होंने यह कहा कि राजस्थान में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज़ नहीं हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि करीब करीब सब इम्पोर्टेन्ट एरियाज़ में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज़ आज मौजूद हैं। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि सेन्ट्रल फाइनेन्सिंग एजेन्सी क्या होती है? यह उनकी इग्नोरेन्स का परिचायक है। सेन्ट्रल फाइनेन्सिंग एजेन्सी सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। इसलिए महसूस होता है कि इस बिल के सम्बन्ध में न तो उन्होंने इसके उद्देश्यों को समझा है और न उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया है या जिन

(श्री पी० के० चौधरी)

संस्थाओं के ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम लिया गया है उनके सम्बन्ध में उनको पूरी जानकारी है।

अब सभापति महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ और वह यह है कि यह जो बिल है उसके लाने का उद्देश्य क्या है? उन्होंने यह कहा कि हम मार्केट रेगुलेट कर रहे हैं लेकिन उसका फायदा एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं दे रहे हैं, दूसरों को देते हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि मार्केट रेगुलेट करने का सवाल इसलिए पैदा होता है कि जब तक मार्केट रेगुलेट नहीं होता है, मार्केट के रेगुलराइज़ेशन का मतलब यह है कि मार्केट में जो प्रॉड्यूस आती है उसका स्टेन्डर्डाइज़ेशन हो जाये ताकि किसी स्थान से भी जो व्यापारी लोग हैं या कन्ज्यूमर्स हैं वे मण्डी चाहे रामगंज मण्डी हो, चाहे गंगानगर की मण्डी हो, चाहे भरतपुर की कोई मण्डी हो, लेकिन आज जयपुर में बैठे हुए भी किसी भी मण्डी में सौदा मैं कर सकता हूँ, ऐसी हालत पैदा कर लें। अगर यह मार्केट रेगुलेट होता है जो मार्केट रेगुलेट नहीं है, उसकी एक कॉन्क्रीट एग्ज़ापल देकर मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मान लें कि एक बम्बई का व्यापारी गेहूँ खरीदना चाहता है या कॉटन खरीदना चाहता है, तो इसके खरीदने के लिए या तो आपको राजस्थान के किसी बाजार से सेम्पल लेकर जाना पड़ेगा। उसके पास जो गेंहू या कॉटन है उसका मिलान करके देख लो कि आप जिस नम्बर का गेहूँ खरीदना चाहते हैं उससे मिलता है या नहीं, तब जाकर वह सौदा कर सकता है। लेकिन जब मार्केट रेगुलेट हो जाता है तो रेगुलेटेड मार्केट में स्टेंडर्डाईज्ड प्रॉड्यूस आता है जो कॉटन मार्केट को रेगुलेट किया है तो जितना कॉटन उस बाजार में आता है, या व्हीट मार्केट को रेगुलेट किया है तो जितना व्हीट उस मंडी में आता है उसका नम्बरिंग हो जाता है, उसका ग्रेडिंग हो जाता है, उसको स्टेन्डर्डाइज़्ड कर दिया जाता है कि यह एक नम्बर का कॉटन है, यह दो नम्बर का कॉटन है, या एक नम्बर का व्हीट है या दो नंबर का व्हीट है। उसका नम्बरिंग ऑल इंडिया स्टेण्डर्ड के नम्बर पर होता है। जो बम्बई का व्यापारी है उसको एक हजार बोरी खरीदनी है तो वह इत्मिनान से बम्बई में बैठे हुए एक टेलीफोन के जरिये फलां नम्बर या फलां नम्बर के कॉटन की जितनी बेल चाहिए या जितने हजार बोरी गेहूं चाहिए, खरीद सकता है, और उसमें उसको इत्मिनान या भरोसा रहता है क्योंकि कॉमोडिटी को वह रेगुलेटेड मार्केट से खरीदता है तो रेगुलेटेड मार्केट में जो नम्बर दिया गया है कि जो प्रॉड्यूस इस नम्बर से बिकेगी वह सही मायने में उस क्वालिटी का गेहूं होगा या उस क्वालिटी का कॉटन होगा या जो भी पैदावार हो उसका जो स्टेन्डर्डाइज़ेशन होगा उसको उसमें शक नहीं रहेगा। १,००० या ५०० बोरी का ऑर्डर देगा तो इस भरोसे या इत्मिनान से दे सकता है कि सही मायने में इस क्वालिटी का गेहूं या कॉटन मिलेगा। लेकिन स्टेन्डर्डाइज़ेशन नहीं होता है, रेगुलेटेड मार्केट नहीं होता है तो इस प्रकार से बम्बई में बैठ कर बम्बई का व्यापारी यहां से खरीद नहीं कर सकता है या दिल्ली का व्यापारी यहां से खरीद नहीं कर सकता है जब तक कि कोई एजेन्ट न आये और एक एक बोरी का चैकिंग करके ले जाय क्योंकि इसमें हर प्रकार का गेहूं या कॉटन आयेगा।

(श्री पी० के० चौधरी)

तो रेगुलेटेड मार्केट का मतलब यह है कि यह मार्केट रेगुलेटेड हो गया तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि सारा अनाज रेगुलेटेड हो गया। कहीं किसी चीज का रेगुलेटेड मार्केट होता है तो कहीं किसी का। गंगानगर का मार्केट शायद गेहूं के लिए रेगुलेटेड हो तो बाजरे, ज्वार और जौ के लिए रेगुलेटेड नहीं हो, चने के लिए रेगुलेटेड नहीं हो। भीलवाड़े की मण्डी हो सकता है कि सिर्फ कॉटन के लिए ही रेगुलेटेड हो, और और चीज के लिए रेगुलेटेड नहीं हो, बाकी की चीजें फ्री सेल में हों, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं हो। उनके लिए लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं हो। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब है कि पर्टीक्यूलर कॉमोडिटी के लिए उस मार्केट को रेगुलेट करेंगे उस मार्केट में इस कॉमोडिटी की जो बिक्री होगी, जो पर्चेजेज़ और सेल्स होंगे वे सेल्स होंगे रजिस्टर्ड लाइसेन्सड ट्रेडर्स के ज़रिये और वह लाइसेन्सड ट्रेडर सिर्फ ग्रेडेड जो कॉमोडिटी है उसके अलावा दूसरी कॉमोडिटी वहां पर बेचेगा नहीं।

तो उससे क्या होता है कि जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है कि हम एग्रीकल्चरिस्ट्स को एक फेयर प्राइस उसकी कॉमोडिटी जो कि वह अपनी जमीन पर पैदा करता है के एवज में देना चाहते हैं और वह फेयर प्राइस हम कैसे देंगे ? फेयर प्राइस इस प्रकार दे सकते हैं कि जो भी चीज़ जितनी ज्यादा वाइडर सर्किल में पहुंचेगी उतनी इक्वलाइजेशन आफ प्राइसेज़ की वजह से उसको ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिल सकती है। एग्रीकल्चरिस्ट को मान लें कि जो कॉमोडिटी अपने मकान से, अपने गांव से १० मील की दूरी की मण्डी तक ले जा सकता है, लेकिन १० मील दूर मण्डी की जो प्राइस हो सकती है उससे आज जयपुर की मण्डी में ज्यादा प्राइस हो सकती है, बम्बई की मण्डी में उससे भी प्राइस १० पर्सेन्ट ज्यादा है, लेकिन उसकी कॉमोडिटी ग्रेडेड नहीं है इसलिए बम्बई का व्यापारी उसको बम्बई की प्राइस उसी टाइम नहीं दे सकता है। प्राइस वह तभी दे सकता है जब कि एजेन्ट आयेगा, कम्पेयर करके सेम्पल देखेगा और एक एक बोरी को चैक करके लेगा। तब जाकर वह प्राइस मिल सकती है उससे हायर प्राइस उसको नहीं मिलती है। लेकिन ग्रेडिंग हो जाने के बाद, स्टेण्डर्डाइज़ेशन के बाद, मार्केट रेगुलेट हो जाने के बाद कॉमोडिटी १० मील दूर रेगुलेटेड मण्डी में लायेगा it can be purchased anywhere in India. यानी उसका एरिया बढ़ जाता है सर्क्यूलेशन का। इसलिए ज्यादा पैसा मिलता है, हायर प्राइस मिल सकती है।

दूसरी बात यह है कि जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं उन मार्केटस में इन्टेलीजेन्स की व्यवस्था रखी है। रेगुलेटेड मार्केट में रोजाना जो इन्सपेक्टर जायेगा वह रेडियो पर सारे हिन्दुस्तान की मण्डियों के भाव आते हैं उन भावों को वहां डिस्प्ले करेगा, उन भावों को नोटिस बोर्ड पर लगायेगा। प्रॉड्यूसर या एग्रीकलचरिस्ट जो हैं जो उस बाजार में सामान बेचने को आते हैं, जिनका सामान ग्रेडेड हो गया, नम्बरिंग हो गया है कि फलाने नम्बर का गेहूँ या फलां नम्बर का कॉटन है उसकी बम्बई के मार्केट में यह प्राइस है उसको यदि वह प्राइस नहीं मिलेगी तो मंडी में सेल नहीं करेगा और नेचुरली

Page No 46

(श्री पी० के० चौधरी)

ऐसा हो जायेगा कि बम्बई की जो प्राइस है उसमें और यहां की प्राइस में खास फर्क नहीं होगा, सिवाय ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज़ और दूसरा जो व्यापारी के कमीशन के थोड़े बहुत चार्जेज़ आते हैं मिडलमैन के उसके सिवाय ज्यादा फर्क नहीं रह सकता है। तो सारे रेगुलेटेड मार्केट का आइडिया जो है वह इस ख्याल से किया गया है कि ग्रेडिंग और स्टेन्डर्डाइज़ेशन हो जाने की वजह से it reaches the farthest corner of India. फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया के जो भाव है वह कॉमोडिटी फेच कर सकती है, ला सकती है। ऐसी स्थिति उसमें पैदा होती है और उसका नतीजा यह होगा कि आज जो भाव मिलते हैं उनसे हायर प्राइस मिलेगी और उनकी इन्कम जो है वह बढ़ेगी। तो यह जो बनाया गया है उसका एक मुख्य उद्देश्य तो यह है।

दूसरी बात इसमें यह कही गई है कि उसमें एग्रीकल्चरिस्ट्स का रिप्रेजेन्टेशन है नहीं। जैसा कि बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मार्केट कमेटी होगी वह बिल्कुल एग्रीकल्चरिस्ट्स की होनी चाहिए और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि १० रुपये से नीचे लगाने देने वाले भी वहां आने चाहिए। सारे लोग आने चाहिए। यह बात सही है कि एग्रीकल्चरिस्ट्स भी हों लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह मार्केट कमेटी जो है यह सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट्स की ही नहीं होनी चाहिए। आज सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट्स की मार्केटिंग कमेटी बनती है तो वह कन्ज्यूमर्स के साथ में एक प्रकार की गैर-इन्साफी होती है क्योंकि एग्रीकल्चरिस्टस जो है, जब वह प्रॉड्यूस ले आता है then he has got an interest. उसका इन्ट्रेस्ट है और जो कन्ज्यूमर है जो कि उसको कन्ज्यूम करता है, जो अनाज नहीं पैदा करता है उसका जो इन्ट्रेस्ट है दोनों के इन्ट्रेस्ट में कान्फ्लिक्ट है इसलिए मार्केटिंग कमेटी में एग्रीकल्चरिस्ट्स का पूरा रिप्रेजेन्टेशन रखते हैं। किन्तु जिनाइन कन्ज्यूमर्स जो है उसका कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं रखा जाय, मैं समझता हूँ, वह भी उचित नहीं होगा। हम जो दूसरे कन्ज्यूमर्स हैं, जो एग्रीकल्चर कॉमोडिटी को कन्ज्यूम करते हैं चाहे वह कॉमर्शियल क्रॉप हो तो उसको कन्ज्यूमर को चाहे एग्रीकल्चर क्रॉप हो तो जनरल कन्ज्यूमर्स के रिप्रेजेन्टेटिव आने चाहिए। लेकिन फिर भी इस कमेटी के कम्पोज़िशन को देखेंगे तो हम देखते हैं कि ७ तो रखे हैं एग्रीकल्चरिस्ट्स के ऑर्गेनाइज़ेशन या एग्रीकल्चरिस्टस के रिप्रजेन्टेटिव्ज और दो रखे गये हैं उस कॉआपरेटिव सोसाइटीज़ के रिप्रेजेन्टिटिव। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी यहां पर जो है वह प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है वह भी एग्रीकल्चरिस्ट्स की है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रिप्रेजेन्टेटिव आता है व एग्रीकल्चरिस्ट्स का रिप्रेजेन्टेटिव आता हैं। इस प्रकार से ७ और २–९ एग्रीकल्चरिस्ट्स के होते हैं। दो रखे हैं आपने पंचायत समिति के या म्युनिसिपैलिटी के तो उसमें अगर एग्रीकल्चररिस्टस नहीं आये तो भी ९ उनके होंगे। दो पंचायत समिति के होंगे और दो गवर्नमेंट के हैं। यानी मेजोरिटी रिप्रेजेन्टेशन जो रखा है वह एग्रीकल्चरिस्ट्स का रखा गया है। जहां तक

(श्री पी० के० चौधरी)

सवाल है कि १०) रु० से नीचे लगान देने वाले को क्यों नहीं रखा गया है, यदि १०) रु० से नीचे लगान देने वाले को रखते हैं तो एक कमेटी बनती है उसमें यह भी देखने का है कि यह कमेटी उन एग्रीकल्चरिस्ट्स के रिप्रेजेन्टेटिव की होनी चाहिए जो कि वहां जाकर ट्रान्सेक्शन करते हैं। जिनके प्राड्यूस को लेकर। १०) रुपये से कम देने वाले एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनका जो प्रोडक्शन है that is mainly for their own consumption वह खुद जितना प्रोड्यूस करते हैं उनके खुद के कन्जम्पशन में लग जाता है उतना बच नहीं रहता है जो मार्केट में जाकर बेच सके। दूसरे सारे एरियाज़ को इन्क्ल्यूड कर दें तो उनका चुनाव करना पड़ेगा और वह पंचायत समिति के चुनाव जैसी बड़ी भारी चुनाव की पद्धति हो जाती है, क्योंकि मार्केट एरिया सिर्फ मंडी ही नहीं है, उसमें पूरी तहसील आ सकती है, बड़ी मंडी हो तो आसपास के....

श्री **श्रीभानसिंह** (बयाना) As a member of the Select Committee, will you please explain कि राजस्थान के एग्रीकल्चरिस्टस कितने हैं जिनको आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कमेटी की मंशा क्या है ?

श्री पी० के० चौधरी : जहां तक एग्रीकल्चरिस्ट के बारे में रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चरिस्ट रखा है, नोट ऑफ डीसेन्ट मैंने दिया है उसमें लिखा है, representative and recognised organisation of the agriculturists"

सिलेक्ट कमेटी की मंशा यह है कि जो भी आज मौजूद नहीं हैं उनको एग्ज़िस्टेन्स में लावेंगे। नया कानून बना रहे हैं उसके अनुसार एग्जिस्टेन्स में लायेंगे। जैसे पंचायत समितियां बनाईं उनके लिये कानून बनाया, रूल्स बनाये और उनके माफिक सब कार्य किया, इसी प्रकार से जो एग्रीकल्चरिस्ट रिकॉग्नाइज्ड रखते हैं तो रिकॉग्निशन की कन्डीशन क्या है ? उसको गवर्नमेन्ट प्रेस्क्राइब करेगी, फलां फलां मार्केट एग्रीकल्चरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनिशन में आते हैं या नहीं आते हैं। जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें इतने पर्सेन्ट एग्रीकल्चरिस्ट मेम्बर्स हैं तो रिकॉग्नाइज किया जाय और नहीं हो तो रिकग्नाइज नहीं किया जाय। यह मान कर नहीं चलते हैं कि आज जो ऑर्गेनाइजेशन्स हैं उनको रिकग्नाइज किया ही जायगा, यह कहना गलत है। जो रूल्स फ्रेम किये जायेंगे उनमें जो कंडीशन होगी वही मानी जायेगी। मैंने अपने नोट ऑफ डीसेन्ट और अमेन्डमेन्ट में यही रखा है। रिकॉग्नाज्ड एग्रीकल्चरिस्ट के लिए रूल्स के अनुसार मान्यता होगी। किसी के दिमाग में यह हो कि इतने पर्सेन्ट मेम्बर हों तो उनको रिकॉग्नाइज किया ही जायेगा ऐसी बात नहीं है। जैसे ट्रेड यूनियन्स होती है उनके लिये कानून है। उसमें जो पद्धति है उसके अनुसार रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन कानून पहले लगाया जाता है, उसमें जो कंडीशन्स होती हैं उनको फुलफिल करने के बाद रिप्रजेन्टेटिव करेक्टर होता है। आज हमने प्रेस्क्राइब किया और प्रेस्क्राइब करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन इन कंडीशन्स को फुलफिल करेंगे उनको रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन माना जायेगा। आज कुछ माननीय

(श्री पी० के० चौधरी)

सदस्यों ने ऐसा समझ रखा है कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन्स हैं उनको माना जायेगा, यह गलत है। जो कंडीशन्स रहेंगी और उनको जो फुलफिल करेंगे तो जरूर उनको रिकॉग्निशन मिलेगा और यदि फुलफिल नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन यह मान कर चलना कि उनको मिलेगा ही, यह न तो इस बिल की मंशा है न सिलेक्ट कमेटी की मंशा ऐसी थी। जो इन कंडीशन्स को फुलफिल करेगा उसको ही दिया जायेगा। आपके सन्देह का निराकरण करने के लिये मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जहां इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन्स नहीं हैं वहां किसान खुद वोट देकर भेजेंगे। उनको मानना होता तो यह नहीं कहते कि जहां ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वहां खुद चुनेंगे। इसलिये यहां जो धाराएं हैं उनके बावजूद भी ऐसा मानना उचित नहीं है।

दूसरी, एक बात बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि प्रोसेसिंग का प्रावधान आना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रोसेसिंग या तो मार्केटिंग सोसाइटीज का काम है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज का काम है, मार्केटिंग कमेटी का यह फंक्शन नहीं है। मार्केटिंग कमेटी का तो मेन फंक्शन इतना ही रहेगा कि वह मार्केट को रेगुलेट करेगी मार्केट को रेगुलेट इस प्रकार से करेगी कि जो गुड्स जायेंगे उनका प्रोपर ग्रेडिंग करके फिर मार्केट में आने देंगे और दूसरी बात वह यह देखेगी कि जो अनऑथोराइज्ड ट्रेडर्स हैं वे उन पर दखल नहीं करेंगे, उन पर कंट्रोल रखेंगे। एक तो यह फंक्शन रहेगा और दूसरा अनऑथोराइज्ड अलाउन्सेज वगैरह हैं वे नहीं रहेंगे। ग्रेडेड चीजें सामने आयेंगी जैसे ऐग मार्का घी आता है जिसको आंख मींच कर लोग ले लेते हैं और दूसरा घी जो ऐग मार्का नहीं होता है तो उसको आप चखेंगे, टेस्ट करेंगे और १० आदमियों को दिखावेंगे तब खरीदेंगे। मिसाल के तौर पर यह बताया है कि ऐग मार्का की तरह उन पर छाप लगेगी और लोगों में कॉन्फीडेन्स रहेगा, ग्रेडेड कॉमोडिटीज को हम सेल कर पायेंगे।

दूसरी बात यह कही गई कि म्युनिसिपल एरियाज में मंडी हैं उनके लिये बिल में जो प्रावधान है वह साफ है। म्युनिसिपल एरियाज में रिकॉग्नाइज्ड कमेटीज रहेंगी उनके लिये यह जरूरी नहीं है कि म्युनिसिपल कमेटीज को कन्सल्ट करने के बाद उनकी राय को माने ही। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उनकी राय इनको मजबूर करेगी। ऐसा इसमें कहीं नहीं है। 'After consultation with them' का मतलब यह है कि उनकी सलाह लेगी लेकिन इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि म्युनिसिपैलिटी खिलाफ राय देगी तो वह उसको मान्य होगी। मैं आपका ध्यान सेक्शन ३ की ओर आकर्षित करता हूँ, इसमें लिखा है :–

"Provided that no area within the limits of a municipality shall be included in the area specified in such notification except after consultation with the municipal board or council concerned as the case may be."

हमने कहीं नहीं कहा है कि म्युनिसिपैलिटी की कन्सेन्ट लेकर किया जायेगा। कन्सल्टेशन

(श्री पी० के० चौधरी)

का मतलब यह है कि म्युनिसिपैलिटी को पूछ लेंगे क्योंकि वहएक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है इसलिये उससे सलाह करना उचित होगा लेकिन यह नहीं है कि उसकी सलाह को मान कर ही चलेंगे, ऐसा कहीं नहीं रखा है। रिकॉग्नाइज्ड मार्केट्स म्युनिसिपल एरियाज़ में बनाये हैं इसलिये म्युनिसिपैलिटी को कन्सल्ट करना ठीक रहेगा, लेकिन वह बाइन्डिग होगा, ऐसा कुछ नहीं रखा गया है।

दूसरी बात अपील के लिये है। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटीज़ को डाइरेक्टर्स के नीचे रख दिया गया है, यह भी गलत है। मार्केट कमेटीज़ को सस्पेन्ड करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। अगर स्टेट गवर्नमेंट यह समझे कि कोई मार्केट कमेटी बराबर काम नहीं करती है तो उसको सस्पेन्ड कर सकती है, लेकिन डाइरेक्टर्स को कोई अधिकार नहीं दिया है। सिर्फ लाइसेन्स किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया है तो अपील डाइरेक्टर्स के पास करेंगे और वे लोग निर्णय देते हैं। वह निर्णय फैक्ट्स एण्ड फिगर्स, स्टेटिस्टिक्स के आधार पर होगा, ट्रेडर्स के एन्टिसिडेन्ट्स के बेसिस पर देंगे। अपील का मतलब यह नहीं है कि मार्केट कमेटीज़ डाइरेक्टर्स के नीचे आ जाती हैं। आज पंचायत समितियों के फैसले को रिव्यू करने का अधिकार कलेक्टर्स और एस. डी. ओज़. को है। तो रिव्यू करने का अधिकार उनको दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि न्याय पंचायतें एस. डी. ओ. के नीचे आ गई या ए. डी. एम. के नीचे आ गई। इसी प्रकार लाइसेन्स की अपील को रिव्यू करने का अधिकार डाइरेक्टर को दिया है, न कि मार्केटिंग कमेटी को। मार्केटिंग कमेटी इन्डीपेडेंट रहे, जो रूल्स और बाइलॉज़ हैं जिनको सरकार ने मन्जूर किया है उनके अनुसार वह काम करेगी। जो मार्केटिंग कमेटी इसके माफिक काम नहीं कर पायेगी उसको गवर्नमेंट सस्पेन्ड कर सकती है और इतना अधिकार गवर्नमेंट को रखना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस बिल का सभी माननीय सदस्यों को स्वागत तो करना ही चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी पास करना चाहिए क्योंकि जैसा हम एग्रीकल्चरिस्ट्स के लिए कहते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा मिलना चाहिए तो इस बिल के पास होने से, रेगुलेटेड मार्केट बनने से एग्रीकल्चरिस्ट्स को फायदा मिल सकता है। जितनी डिले इसको बनाने में करेंगे उतनी ही डिले उसमें भी हो सकती है बस, इन शब्दों के साथ, यह जो मोशन है सिलेक्ट कमेटी में भेजने का, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : On a Point of information, Sir, I would like to know one thing from the Hon'ble member so that I can understand what he says. Except in the 'definitions' clause, do the words 'regulated market' occur anywhere in the text of the whole Bill?

श्री पी.के. चौधरी(फुलेरा): The Market Committee will regulate the market.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : 'Regulated market' has been defined and used in the 'Definitions' clause only, but the entire body of the Bill makes no provision for setting up of such

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

'regulated markets'. Can you show me a single clause in the text of the Bill?

श्री सभापति : It has been defined in clause 2, but in the Bill itself it is nowhere mentioned.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I want to know whether in the Bill there is any provision for 'regulated markets'?

श्री पी० के० चौधरी : In Clause 9A it is given. "A market committee shall-

(b) control and regulate-

(i) the running of the market in the interests of agriculturists and traders operating in the market."

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह मंडी कमेटी का काम है, मंडी कमेटी का वर्क है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : They can regulate, but who will establish it ?

श्री पी० के० चौधरी : The Government will establish it.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Show me any provision that the Government will establish it.

श्री पी० के० चौधरी : Under clause 3 (1), they will establish and under clause 4 (1) they will declare a market area. In that market area there will be a Market Committee and that will regulate the market.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : The market area itself presupposes the establishment of regulated market, but the Bill does not make any mention of it.

श्री पी० के० चौधरी : The Bill makes a provision for establishing a market committee to regulate the market.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : But when there is no regulated market, what shall the market committee regulate ?

श्री पी० के० चौधरी : The market regulated by a market committee is the regulated market.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप–मंत्री, शिक्षा) : इस डिस्कशन की इस स्टेज पर क्या आवश्यकता है ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्रीमान्, यह इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहता हूँ कि इसके बारे में जितनी बहस हो रही है वह इस इन्फॉर्मेशन के बिना समझ में नहीं आती कि अब रेगुलेटेड मार्केट जिस पर्पज़ से बनाये हैं उसका पर्पज़ इसमें नहीं है।....

श्री सभापति : You can very well raise this...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : कमेटी बना दी रेगुलेटेड मार्केट को रेगुलेट करने के लिए वह एक्जिस्टेन्स में आयेगी, कैसे करेगी ?

श्री सभापति : You can very well speak on this point when clause 2 is discussed.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I only wanted the information. If the Hon'ble member is not capable of giving the information. he can say so.

श्री पी० के० चौधरी : I am giving the information but you are not following it. The market committee has to regulate and control a market and the Bill provides for the establishment of market committee.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : We can appoint a Forest Officer without demarcating a forest ?

श्री पी० के० चौधरी : It is there.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): How does Forest Officer come in the market ?

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : सभापति महोदय, अभी एक प्रस्ताव है कि इस बिल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स बिल को पुन: सलिक्ट कमेटी में भेजा जाय। जौहरी बाजार से आये हुए माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा, उसके बाद भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को पुन: सिलेक्ट कमेटी में भेजने के पक्ष में कहते हुए बहुत सी बातें कहीं और बहुत सी दलीलें रखीं, लेकिन मैं उन दलीलों को सुनने के बाद भी इस स्थिति में हूँ कि इसमें कोई तथ्य नहीं है कि हम इस बिल को पुन: सलिक्ट कमेटी में भेजें। इसलिए मैं उस प्रस्ताव के विरोध में बोलते हुए आपके द्वारा हाउस से निवेदन करूंगा कि हमको इस बिल के प्रति बहुत शांति के साथ, बहुत गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सदन में और होता क्या है, गम्भीरता से विचार होता है।

श्री मोतीलाल : हमको इस तरह के विचार नहीं रखने चाहिए क्योंकि यह बिल इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान जिन चीजों का उत्पादन करते हैं, उन चीजों की कीमत, उन चीजों की क्वालिटी के साथ साथ कन्ज्यूमर की हालत को देखते हुए उनके लिए अच्छा प्रबन्ध करने के लिए कानून है और कन्ज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के इन्ट्रेस्ट को प्रोटेक्शन देने का कानून है। हम देखते हैं प्रोड्यूसर का आर्थिक विकास और हम देखते हैं कन्ज्यूमर की कन्डीशन। इन दोनों बातों को देखते हुए इस बिल की दस साल पहले जरूरत थी। जब हम इस बिल की आवश्यकता को मानते हैं और चाहते हैं कि हम किस तरह की चीजें पैदा करें; उसको किस कीमत में बेचें, उसको कैसे रेगुलेट करें, ताकि कन्ज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को फायदा हो। हम इन चीजों पर गौर कर चुके हैं, फिर हम दुबारा सलेक्ट कमेटी में भेज कर गौर करें, यह मेरे ख्याल से राजस्थान प्रोड्यूसर्स और कन्ज्यूमर्स के साथ अन्याय करना होगा।

(श्री मोतीलाल)

उन्होंने इस प्रस्ताव को रखते हुए और उसके पक्ष में बोलते हुए इस बात पर बहुत जोर दिया....

श्री सभापति : I think there is no quorum in the House.

(गण पूरक घंटी)

(कुछ माननीय सदस्यों के आने के पश्चात्)

Yes.

श्री मोतीलाल : सभापतिजी, इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए दो, तीन चीजें ऐसी कहीं कि चूंकि राजस्थान के अन्दर अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसके साथ इतना और कहा कि जिन संस्थाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा मार्केट कमेटी बनेगी. वे संस्थायें नहीं हैं इस राजस्थान में और इस कारण से इस अवस्था में इस बिल की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेज दें, ताकि कुछ समय और लगे और तब तक इस तरह की संस्थायें बन जायं राजस्थान में जिनके द्वारा हम काम कर सकें। माननीय सभापति, आपके द्वारा, मैं अदब के साथ, हाउस के सामने कहना चाहूँगा कि राजस्थान में मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जिन जिन प्रतिनिधियों की जरूरत है उनकी संस्थायें बनी हुई हैं। वे राजस्थान में ही बनी हुई नहीं हैं, सारे हिन्दुस्तान में इस तरह की रिकॉग्नाइज़ संस्थायें है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, अगर हम ध्यान दें तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के अन्दर हमने क्या लिया है, खाली उसमें हमने गन्ना या गेहूँ नहीं लिया है। उसमें हमने लिया है कैटल, कैटल के प्रोडक्शन को लिया है, पॉल्ट्री को लिया है, फोरेस्ट प्रोडक्ट को लिया है, उसके साथ ही खेती की प्रोडक्ट वेजीटेबल्स, फ्रूट्स को लिया है। मैं समझता हूं कि सारे राजस्थान में वेजीटेबल्स और फ्रूट्स एसोसियेशन हैं, शीप एण्ड वूल प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन हैं, पौल्ट्री एसोसियेशन बनी हुई हैं जो प्रोडक्शन के ग्रेडेशन के लिए, प्रोडक्शन के डेवलपमेंट के लिए बनी हुई है। केटल ब्रीडर्स एसोसियेशन्स राजस्थान के लेवल में बनी हुई हैं, ऑल इंडिया लेवल में बनी हुई हैं। राजस्थान के लेवल पर फ्रूट्स का बारह साल से कम्पीटिशन हो रहा है। फ्रूस का, केटल का, पौल्ट्री का और इवन फ्लॉवर्स का, फूल तक का कम्पीटिशन हो रहा है। उनको संस्था बनी हुई हैं, जो संस्था पिछले दस सालों से चल रही है। उसके बावजूद भी माननीय सदस्य कहें कि इस तरह की संस्था नहीं है, यह समझ में नहीं आता। माननीय सभापतिजी, मैं आपके द्वारा अदब के साथ निवेदन करूंगा कि कम से कम मेरे ख्याल में इतनी संस्था राजस्थान में है जिनके लिए माननीय सदस्य ने कहा, फार्मर्स फोरम राजस्थान और ऑल इंडिया बोडी है, यूथ फार्मर्स एसोसियेशन, जिसकी राजस्थान बॉडी है और ऑल इंडिया बॉडी है, फल-सब्जी के उत्पादन के लिए राजस्थान लेवल पर बॉडी है और ऑल इंडिया लेवल पर बॉडी है, इसी तरह से पौल्ट्री एसोसियेशन राजस्थान लेवल पर बॉडी है, केटल ब्रीडर्स एसोसियेशन। उसके बाद प्रोग्रेसिव फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद शीप एन्ड वूल प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन है। इतनी संस्थायें हैं, उसके बाद कहें और एक बात कह कर टाल दें कि एक

(श्री मोतीलाल)

फार्मर्स फोरम बना हुआ है, उसको रखेंगे। मैं समझता हूँ कि उनको संस्था के बारे में जानकारी नहीं। जानकारी न होते हुए भी अगर वे जानकारी लेना चाहें तो उसमें आपत्ति नहीं। वे अपनी दृष्टि से जानकारी लें या न लें, उसके बारे में उनका खुद का अधिकार है, लेकिन जानकारी न रख कर यह कह देना कि ऐसी संस्था नहीं है इस देश के अन्दर, इस राज्य के अन्दर और किसके प्रतिनिधि उसमें रखेंगे, कैसे बनेगी, क्या होगा, यह कहना उचित नहीं है। उन संस्थाओं ने बार बार सरकार के सामने ऐसी मांगें रखी हैं कि रेगुलेटेड मार्केटिंग होना चाहिए। मैं समझता हूं कि वह देश सभ्य नहीं होता जिस देश में प्रोडक्ट्स का ग्रेडेशन नहीं होता, जहां उचित कीमत पर बिक्री नहीं होती। यह बड़ा अनुचित होगा कि हमारे राजस्थान की ८० प्रतिशत जनता काश्तकार है, जो प्रोड्यूसर है और जिसकी मेहनत के ऊपर हमारी खाद्य समस्या निर्भर करती है, उन काश्तकारों की प्रोड्यूस की कीमत को आंकने के लिए कोई मार्केट कमेटी नहीं हो, कोई समिति नहीं हो। जहां इन्डस्ट्रीज़ चलाने वाले दो–तीन पर्सेन्ट आदमी हैं उनकी इन्डस्ट्रीज़ की प्रोड्यूस की कीमत आंकने के लिये बोर्ड बना हुआ है कि उनका माल किस कीमत पर बेचा जायेगा। इन्डस्ट्रीज़ डेवलप करने से पहले ही सरकार तय करती है कि इनको किस रेट पर बिजली दी जायगी, कितने इन्ट्रेस्ट पर लोन दिया जायेगा, किस रेट से जमीन दी जायेगी। सब कुछ बातें पहले से ही तय की जाती हैं। तो जो दो, तीन पर्सेन्ट लोग हैं उनके लिए सब इस प्रकार की व्यवस्था होती है, उनके माल की कीमत आंकने के लिए बोर्ड बना हुआ है। उनकी प्रोड्यूस की किस प्रकार को क्वालिटी का कितना कितना मूल्य होगा, यह सब तय करने के लिए बोर्ड बना हुआ है और दूसरी ओर हमारे यहां ८० प्रतिशत जनता किसान है, काश्तकार है, जिस पर सारा देश निर्भर करता है उसके लिये किसी भी प्रकार का प्रबन्ध नहीं है। और इस प्रकार की व्यवस्था के लिए कोई बिल सदन में लाया जाय उस समय यह कहा जाय कि इसे फिर प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और इस तरह इस प्रकार के कानून को और टालने की कोशिश की जाय तो मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। सरकार की तरफ से इस प्रकार का बिल लाया गया है तो उस बिल का सदन के सभी माननीय सदस्यों को स्वागत करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य जो प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि इसमें चुनी हुई संस्थाओं के प्रतिनिधि नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ५ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स संस्था के प्रतिनिधि, दो कोऑपरेटिव मार्केटिंग के, दो पंचायतों और म्युनिसपैलिटियों के प्रतिनिधि रहेंगे। तो वे इलेक्टेड बॉडीज़ के प्रतिनिधि हैं, कन्ज्यूमर्स हैं........

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : That means this Bill is for consumers and not for agriculturists.

श्री मोतीलाल : मैंने शुरू में ही कहा था कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो यह बिल आया है उसका एग्रीकल्चरिस्ट्स और कन्ज्यूमर्स दोनों को लाभ पहुँचाने का मकसद

(श्री मोतीलाल)

है। सारे कन्ट्री में एक तरह की अच्छी चीज चले, प्रोड्यूसर्स और कन्ज्यूमर्स दोनों को नुकसान न हो, उपज करने वाले और उपभोक्ता दोनों को फायदा हो; यह इस बिल का मकसद है। हम कहते हैं कि गौ रक्षा होनी चाहिये, अच्छा घी मिलना चाहिये; पर हिन्दुस्तान में अच्छा घी मिलने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है, घी के मार्केट का रेगुलेटिंग नहीं है, चाहे जो व्यापारी दूकान खोल सकता है, डालडा मिला सकता है। तो अच्छा घी नहीं मिलने का कारण यह है कि रेगुलेटिंग नहीं है।

गेहूँ को ही लीजिये। कुछ हजार मन गेहूँ गंगानगर से लेने का गवर्नमेंट ने तय किया। रेग्यूलर मार्केटिंग नहीं था, जो इस बिल में व्यवस्था करने जा रहे हैं उस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, इस कारण से कुछ व्यापारियों ने काश्तकारों से गेहूँ लेकर उनमें कंकर रेत डाल दी। यहां यह हमेशा होता है। रामगंज मन्डी को ले लीजिये, चाहे चांदपोल मन्डी को ले लीजिये, व्यापारी रात को १२ बजे के बाद में मिक्स करते हैं, गंगानगर के गेहूँ के साथ कोटा का गेहूँ, पाली का गेहूं मिलाते हैं और कंकर रेत मिक्स करते हैं। इस सब का कारण यही है कि कोई रेगुलेटिंग कमेटी नहीं है। ८० प्रतिशत काश्तकार हैं। वे काश्तकार होने के साथ साथ कन्ज्यूमर्स भी तो हैं। वे लोग गेहूं प्रोड्यूस करते हैं तो गेहूं खाते भी हैं। तो इस तरह वे प्रोड्यूसर्स और कन्ज्यूमर्स दोनों हैं। अगर फिर भी किसी माननीय सदस्य का सुझाव हो कि अमुक व्यक्ति अमुक तबके से प्रतिनिधि हो तो सरकार तय कर सकती है। पर हम यह दुहाई दें कि मार्केटिंग कमेटी नहीं हो, ऐसी संस्थायें नहीं हों तो यह ठीक नहीं। राजस्थान के हर एक एरिया में लोकल बॉडीज़ हैं, कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां पर कि लोकल बॉडीज नहीं हों। गवर्नमेंट डिसाइड करले कि अमुक एरिया को मार्केटिंग एरिया मुकर्रर करते हैं अगर उस एरिया में ऐसी संस्थायें हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। यह बिल कन्ज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों के हित के लिए है, इसलिये इसको डिले करना चाहेंगे तो इसके माने यह होंगे कि प्रोड्यूसर्स और कन्ज्यूमर्स दोनों को हम नुकसान पहुँचाना चाहते हैं।

इसलिये जिन माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को फिर दूसरी प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापिस ले लें। जयपुर में प्रोड्यूसर्स भी हैं और कन्ज्यूमर्स भी हैं। जयपुर के आसपास के इलाके में प्रोड्यूसर्स भी हैं, जयपुर के महाराजा मानसिंहजी भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर हैं। इस कानून का दृष्टिकोण देखते हैं तो साफ है कि यह प्रोड्यूसर्स और कन्ज्यूमर्स दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए है।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने साफ कर दिया कि संस्थायें बनी हुई भी नहीं हैं तो संस्थाओं के बनने में देर क्या लगती है। संस्थाएं अगर नहीं भी हैं तो संस्थाएं बन सकती हैं। नियमानुसार तरीके से अपने संगठन बना कर लोग अपनी संस्थाओं को

(श्री मोतीलाल)

रिकॉग्नाइज़ करवा सकते हैं और बाकायदा रिकॉग्नाइज़ हो जाने के बाद में गवर्नमेंट उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को ले लेगी।

अजमेर से आये हुये माननीय सदस्य ने कहा कि मार्केटिंग कमेटी बना दी, फॉरेस्ट का प्रतिनिधि चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स को रख दिया। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट को डिक्लेयर करने का निर्णय लिया है, वह कौन करेगा? सेक्शन ३ और ४ साफ हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ मार्केट एरिया होगा, उसके बाद में, after declaration of market area १५ आदमियों की कमेटी होगी....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व): On a point of information, Sir, चूंकि माननीय सदस्य ने जिक्र किया है तो मैं कुछ निवेदन कर दूं। सेक्शन २ के सब क्लॉज़ (2va) में मार्केट की डेफिनिशन दी है वह है:

"(va) 'market' means a regulated market established under and for the purposes of this Act for a market area and includes a market proper as well as a principal market yard or a sub-market yard."

इसके लिये चार चीजों की आवश्यकता है। "regulated market established under and for the purposes of this Act for a market area and includes a market proper as well as a principal market yard or a sub-market yard." अब दफा ५ में आप देखेंगे उसमें सब मार्केट यार्ड का प्रोविजन है लेकिन रेगुलेटेड मार्केट का कोई भी प्रोविजन नहीं है।

श्री मोतीलाल: वह भी बात हम लेते हैं। वह एक अमेन्डमेंट की बात है। मेरे ख्याल से इसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी में जाने की जरूरत नहीं है। प्रिन्सीपली इसका उद्देश्य ठीक है। एक मैटर है जिसमें अमेन्डमेंट करने की जरूरत है वह मेरे ख्याल से होगा। मैं इस सम्बन्ध में इतना स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन इस बारे में सरकार जवाब देगी, इसका उत्तर देगी। मगर मैं यह मान कर चलता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं है कि जो इसको सिलेक्ट कमेटी में दुबारा भेजा जावे क्योंकि इस कानून की जनता को जरूरत बहुत है। वे कहते हैं कि जनता को इस कानून की जरूरत नहीं है या इतनी बातें क्लीयर नहीं हैं, इसलिये इसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे। मगर मैं यह कहूँगा कि आज जनता की मांग है कि इस प्रकार का बिल जल्दी से जल्दी लाया जाए, इसको पास करना चाहिये। इसके अलावा यह बिल इतना एम्बीगुअस नहीं है। हम यहां बैठ कर भी इसको तय कर सकते हैं। इसलिये इन दोनों दृष्टिकोणों को देखते हुये मैं चाहूँगा कि सदन इस पर विचार करे और सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव है उसको माननीय सदस्य वापिस ले लें और अगर नहीं लेते हैं तो हाउस उसके प्रति विचार नहीं करेगा और बिल को पास करेंगे।

श्री सभापति: श्री मदनसिंह दांता।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): सभा-

Page No 56

(श्री मदनसिंह)

पति महोदय, इस बिल को प्रवर समिति में भेजे जाने के लिए जौहरी बाजार, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि राजस्थान विधान सभा में जितने कानूनों में अमेन्डमेंट हुये हैं, राजस्थान विधान सभा में जो कानून बन कर आते हैं उसके नीचे जो आॅफिसर्स हैं उनके कानून को न समझने की बात थू आउट एड-मिनिस्ट्रेशन में आई है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बात हिन्दुस्तान के किसी भी भाग में नहीं दिखाई देगी कि आॅफिसर्स कानून को नहीं समझें और उस वजह से ऐसे अमेन्डमेंट लाने की जरूरत हो। हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अमेन्डमेंट यहां पर आये हैं। इसका कारण यह है कि विधान-सभा में जब चर्चा होती है और सिलेक्ट कमेटी में जाते हैं और वहां पर, जैसा कि श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंहजी ने दो-चार रोज पहले कहा था, माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी में बहुत कम पधारते हैं और वहां पधारते हैं तो विधेयकों पर विचार नहीं होता और जब विरोधी दल के सदस्य कहते हैं तो कुछ मौका होता है, जैसा अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बातें कही हैं। इसलिये, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एक अच्छे लेजिलेशन की बात नहीं है कि हमारे यहां कानून में बराबर अमेन्डमेंट आते रहें। जिनके लिये अच्छाई के कानून बनाये जाते हैं उन लोगों को भी दिक्कत आती है। गांवों में कानून लागू होंगे, कमेटी बनेगी और कानून में फिर कोई अमेन्डमेंट आएगा। जिस प्रकार पंचायत समिति में भी आपने देखा होगा उसमें इलेक्शन वाले फंक्शन की धारा ऐसी है जिसमें दो विचार रखे गये हैं। मैं समझता हूँ कि किसी कानून का चाहे, जैसा मतलब ले लें ऐसा नहीं होना चाहिये। जैसे यहां दो चीजें कहीं उसी तरह आगे भी बताऊंगा। यहां मार्केट कमेटी और उसके फंक्शन लिखे हैं, उसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि वह इतना खर्चा करेगी और आगे चल कर कहा है कि मार्केट कमेटी पूरा खर्चा करेगी। जहां उसके फंक्शन की बात लिखी है वहां उसके सम्बन्ध में कोई बात नहीं बताई गई है कि वह क्या क्या कार्य करेगी, कितना रुपया खर्च करने का उसको प्रोविजन है या क्या सजा देगी। इस प्रकार का कोई प्रोविजन वहां नहीं दिया है मगर जो फन्ड का क्लॉज़ है वहां पर दिया है कि इस इसमें खर्चा करेगी। मैं यह कहूँगा कि यह कमी-बेशी जो इसमें रह गई है जब तक यह वापिस प्रवर समिति में नहीं जावेगा उसकी पूर्ति नहीं होगी। जैसे एग्रीकल्चरिस्ट कौन होगा, इसके लिये इतना वाइड स्कोप रखा है और वाइड टर्म में रख दिया है कि जिससे आज गरीबों की आवाज नहीं रहेगी। आपने टीनेन्सी एक्ट में अलग परिभाषा रखी है और आज यहां हम देखते हैं कि बिल्कुल अलग ही परिभाषा रखी हुई है। मैं समझता हूँ कि गरीबों के लिये कोई फायदे की चीज नहीं होगी। एक किसान दस रुपये लगान देता है वह भी सदस्य हो सकता है और उसको भी अधिकार हो सकता है, लेकिन यह विचार नहीं किया कि यहां कोआॅपरेटिव फार्मिंग होगी तब वे १० रुपये लगान देनेवाले आगे

(श्री मदनसिंह)

जाकर बहुत बड़ा प्रोडक्शन करेंगे। मैं समझता हूं कि इसमें उनका नम्बर नहीं आवेगा। इसलिये इस पर विचार नहीं हुआ।

अब सैद्धान्तिक दृष्टि से स्टेट ट्रेडिंग होगा। उस समय इस बिल का क्या महत्व और जरूरत होगी, स्टेट ट्रेडिंग में इसका क्या महत्व होगा ?

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : कोऑपरेटिव बेसिस....

श्री मदनसिंह : आप बोल चुके हैं। मैं समझ गया।

आगे कानून बनाये हैं उनमें डेफिनिशन अलग दी हुई है। टीनेन्सी एक्ट में एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन अलग है और इससे दूसरा मतलब निकलता है। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने महाभजन ले रखा है जो काश्त करेगा, जिसके हाथ में नारों (बैल) की रस्सी होगी और हल जोतेगा वही किसान रहेगा। जो ट्रेक्टर में बैठ कर काश्त करेगा या दिल्ली में बैठे हुए मिनिस्टर की खेती करेगा वह क्या किसान नहीं समझा जावेगा ? मैं समझता हूँ कि यह क्लीयर नहीं है और यह क्लीयर होना चाहिये।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपैलिटी का नाम लिया है कि म्युनिसिपैलिटी को पूछा जावे, यह इसमें इन्क्ल्यूड होना चाहिये। माननीय सदस्य जब बहस करते हैं उस समय शिड्यूल को भूल जाते हैं। सबसे ज्यादा मुर्गी अन्डे की बात शिड्यूल में रखी है। मच्छियों आदि सभी को उसी में रखा है। मुर्गे-मुर्गी पालना है, ये सारी चीजें शिड्यूल में आई हैं। इसलिये मैं समझता हूँ कि म्युनिसिपैलिटी को पूछने की बात नहीं होनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं यह समझता हूँ कि कानूनी कमी न रह जावे जैसे प्रेक्टिकल काम करने में कमी रह गई है। क्योंकि इसमें काश्तकारों की परिभाषा अलग है और टीनेन्सी एक्ट में काश्तकार की अलग परिभाषा है। इसलिये इस पर विचार करना चाहिये। मैं समझता हूँ कि हाउस इस चीज को महसूस करता होगा कि कानून इस ढंग का होना चाहिये कि उसको एक मामूली आदमी भी अच्छी तरह से समझ सके। सिलेक्ट कमेटी के सदस्य खुद भी खड़े होकर कहते हैं इसके विरोध में। जैसा कि अभी अजमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा, जब इस पर विचार करते हैं तो यह न कहें कि इस पर विचार हो सकता है और दूसरे पर नहीं हो सकता। कानून कोई घर की चीज नहीं है। अमेंडमेंट मूव नहीं किये गये हैं तो आज अमेंडमेंट आ जावेंगे। इसमें यह कमी रह गई, इसलिये मैं समझता हूँ कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिये और अगर यह सिलेक्ट कमेटी में जाता है तो इस पर गौर से विचार किया जा सकता है और ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है। प्रोड्यूसर के लिये बिल बना हुआ है, उधर माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी में कह रहे हैं कि कन्ज्यूमर्स के लिए ज्यादा अधिकार होने चाहिये। बात चल रही है, कानून बना रहे हैं प्रोड्यूसर्स के लिए और आराम देना चाहते हैं कन्ज्यूमर्स को और माननीय सदस्य जो काश्तकारों के रिप्रजेन्टेटिव्ज़ हैं उनको आराम

(श्री मदनसिंह)

देने के बजाय कन्ज्यूमर्स की हिमायत कर रहे हैं और इतने आदमी उनके रख रहे हैं। जिन लोगों के लिए कानून बनाये जाते हैं, गरीबों को राहत देने की बातें तो खूब की जाती हैं लेकिन वास्तव में उनको इससे राहत नहीं पहुंचती। जब टैक्सेज़ का सवाल आता है तो बस सीधा गरीबों पर वह पहुंच जाता है, रुपये चूसने का जहां सवाल आता है बस सीधा गरीबों पर वह पहुँच जाता है। चुनावों में वोट का सवाल आता है तो सीधा गरीब काश्तकारों तक वह पहुँच जाता है। जब सवाल आता है गरीबों का अपने प्रोड्यूस को मार्केट में पहुंचाने का तो कन्ज्यूमर्स के प्रतिनिधि ज्यादा हो जाते हैं। यह तो उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। जो लोग स्वतन्त्रता से अपनी प्रोड्यूस को बेच सकते हैं उनको तोड़-मरोड़ कर बीच के पिंजरे में लाना चाहते हैं जिससे उनको जो राहत मिलनी चाहिये वह भी न मिल सके।

सभापति महोदय, इसको यदि प्रेक्टिकल रूप में देखें तो आपको यह मालूम होगा कि जितने बनिये, महाजन या इस प्रकार के इन्टरमीजियरीज़ हैं और नये नये रूप में बन कर आ जावेंगे, वे काश्तकारों के हिमायती बन कर आ जावेंगे। बड़ी बड़ी इस प्रकार की कमेटीज़ बना कर उनमें अधिक उनको रख कर रिश्वत का बाजार गर्म करेंगे। जैसा चाहेंगे उस प्रकार से मार्केट रेट्स कन्ट्रोल करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज तक ऐसा कोई कानून बनाया नहीं है कि जिससे वाकई गरीबों को राहत मिली हो। नये इलेक्शन्स आ रहे हैं, हर ढंग से उन लोगों को, काश्तकारों को, कन्ट्रोल करना है, सेठ साहूकारों को उनके रिप्रजेन्टेटिव्ज़ नोमिनेट करके, पूरे पॉवर देकर उनका सम्बन्ध बांधा जा रहा है। डीसेन्ट्रलाइजेशन हुआ तो पब्लिक को फिर इसके भी अधिकार देने चाहिये। आप कहते हैं कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़ कन्ट्रोल नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? क्या विधान सभा के सदस्य उन पर विश्वास नहीं करते? आप अभी तो पंच और सरपंच को जिता कर उनके बीच दुहाई देते नहीं अघाते थे कि अब भारत का राज्य आपके हाथों सौंपा जाता है। फिर मार्केट पर कन्ट्रोल कैसे होगा, इसके लिए उन पर आप विश्वास नहीं करना चाहते हैं। उनके दो रिप्रजेन्टेटिव्ज़ लाये जाते हैं। सही रूप में जिन लोगों के हाथों में देश का और राज्य का कन्ट्रोल है, पब्लिक का कन्ट्रोल है, उनको तो कानून एन्ट्रस्ट नहीं किया जावेगा। जिन पंचायत समितियों को आप टैक्स लगाने का अधिकार देते हैं उनको आप यह अधिकार नहीं देना चाहते हैं। जहां सही चीज़ आती है उसके लिए तो सरकार अपने रिप्रजेन्टेटिव्ज़ थोपना चाहती है। यह तो एक अन्याय और जुल्म की बात है। इस प्रकार का बिल रखने से उन लोगों को फायदा नहीं होने वाला है, उनके साथ तो अन्याय ही है। अच्छे कानून बनाने के लिए विरोधी दल की ओर से कहा जाता है उसका तो रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्य विरोध करते हैं। सिलेक्ट कमेटी में इसको वापिस रखने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रिन्सिपल की दृष्टि से समझने और मानने के लिए तैयार नहीं हैं, गरीबों को राहत मिल सके उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका मतलब यही है कि आपकी मेजोरिटी

(श्री मदनसिंह)

है और उसके बल पर पंखों के नीचे बैठ कर ठंडी हवा में इसको आप पास कर लें । यह बड़ा हानिकर होगा आगे जाकर । जब खुद आपकी समझ में यह पूरी तरह नहीं बैठा है तो सिलेक्ट कमेटी में जाकर कोई न कोई नयी बात आवेगी ही । माननीय सदस्य उसको ठीक तरह से बना कर रख सकते हैं, कानून को ज्यादा जानने वाले हैं वे अच्छी बातें रख सकते हैं । जब हम यह बात कह रहे हैं तो आखिर उसके अन्दर कोई न कोई विचार तो है ही । मेरा जैसा साथी तो इसका प्रिन्सिपली विरोध कर रहा है । सारे के सारे अधिकार ही पंचायत समिति में जाने चाहिये, न कि मार्केट कमेटी इस प्रकार बना कर गरीबों के साथ खिलवाड़ करे । पंचायत समिति मार्केट रेट्स को कन्ट्रोल कर सकती है, प्रोड्यूस को कन्ट्रोल कर सकती है । किसानों के वास्तविक रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ को अधिकार होना चाहिये, कंज़्यूमर्स को भी अधिकार होने चाहिये और जिनको बड़े न्याय के अधिकार दिये हैं, सजा देने के अधिकार दिये हैं, रेस्पोन्सिबिलिटी दी है उनके भी रिप्रेन्टेटिव्ज़ इसमें आने चाहिये । यह तो एक बीच की ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें पूंजीपति छोटे छोटे गांवों में सेठ साहूकार हैं उनको यह सब राहत देने की मंशा है, उनके हाथ में यह अधिकार देने की मंशा है । उन लोगों को कन्ट्रोल करके सही माने में गरीब काश्तकार को फायदा हो और उसका उसमें रिप्रेजेन्टेशन हो, यह तो नहीं हो रहा है । इसलिए सिलेक्ट कमेटी में ले जाकर थोड़ा स्क्रुटिनाइज़ कराया जाय तो उससे हाउस का समय भी बचेगा और सही रूप में गरीबों को आराम दिया जा सकता है ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा): सभापति महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को नई प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है । मैं उसका विरोध करते हुए कुछ बातें निवेदन करना चाहूँगा ।

हमारे प्रान्त और देश में ३।४ आबादी ऐसी है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है । उस ३।४ आबादी के कन्धों पर यह जिम्मा है कि वह ३।४ आबादी अपना खुद का भी पेट भरे और बची हुई जो १।४ आबादी है उसका भी पेट भरे । यह एक दुःख की बात है कि ३।४ आबादी कृषि व्यवसाय करती है फिर भी करोड़ों रुपयों का अनाज बाहर के देशों से मंगाना पड़ता है और और वह भी उन देशों से जहां की आबादी का १५ प्रतिशत कृषि कार्य करता है और जो ८५ प्रतिशत का पेट भर बाहर अनाज ले भेजता है । इस प्रकार अपना पेट बाहर के मंगाये हुए अनाज से भरना पड़ता है । आबादी बढ़ती जा रही है, यह एक जटिल समस्या है और उसका हल किस प्रकार से हो, इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए ।

राष्ट्र की सबसे बड़ी सम्पत्ति उत्पादन है और राष्ट्र के उत्पादन में कृषि-उत्पादन बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है । हम किस प्रकार इस माने में स्वावलम्बी बन सकते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिये । जमीन की उपलब्धि, सिंचाई के साधन, सुधरा खाद और बीज आदि ऐसी सुविधायें हैं जिनसे

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कृषि-उत्पादन बढ़ सकता है। इस ओर राज्य सरकारें सजग हैं। निरन्तर प्रगति हो रही है लेकिन फिर भी जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। प्रति एकड़ प्रोडक्शन हमारा बढ़ना चाहिए। वह प्रति एकड़ प्रोडक्शन न बढ़ कर उल्टा घटा है, चाहे ओन दी होल टार्गेट्स राजस्थान में अचीव कर लिये हों, उपज ज्यादा बढ़ा ली हो। उपज बढ़ाना एक बात है और प्रति एकड़ प्रोड्यूस करना दूसरी बात है। हमारा प्रति एकड़ प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है बल्कि घाटा ही है। इस पर हमको गहराई से विचार करना पड़ेगा। यदि हम इसके कारण को खोजें तो तुरन्त हमको उत्तर मिल जाता है कि हम अधिक उत्पादन की प्रेरणा नहीं दे सके हैं, अधिक उत्पादन करने के लिए काश्तकारों में इन्सेन्टिव क्रियेट नहीं कर सके हैं, हम यह इन्सेन्टिव पैदा नहीं कर सके हैं कि कृषि उपज़ बढ़े ! हमें इस समाज में क्रान्ति लानी है, सोशियल इवोल्यूशन लाना है जिससे वह इन्सेन्टिव प्राप्त करें और प्रोडक्शन बढ़ायें। तो इन्सेन्टिव क्रियेट करने का महत्वपूर्ण जरिया और समाज में क्रान्ति लाने का महत्वपूर्ण जरिया यदि कोई हो सकता है तो वह रेगुलेटेड मार्केट हो सकता है। मार्केट को यदि रेगुलेट करें तो पैदा करने वाले उत्पादकों को अधिक कीमत अपनी उपज की मिलेगी अधिक कीमत से मेरा मतलब उचित मूल्य से है। इससे उनमें इस बात का इन्सेन्टिव पैदा होगा कि वे अधिक पैदा करें और साथ साथ प्योरिटी ऑफ उपज़ भी हो, उपज में शुद्धता भी आवे। समाज में एक इन्सेन्टिव पैदा करने की दृष्टि से, समाज में आर्थिक समानता लाने की दृष्टि से, समाज में एक सोशियल इवोल्यूशन की दृष्टि से यह रेगुलेटेड मार्केट का एक जरिया है जिससे बिचोलिये दूर हो जावेंगे और प्रॉडक्शन में एक स्वाधीनता भी आवेगी। यह जो कमी है उसको इस बिल के द्वारा दूर करना है। सन् १९२८ में रेगुलेटेड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स के लिए एक रॉयल एग्रीकल्चरल कमीशन बना था। उस कमीशन की यह रिपोर्ट थी कि रेगुलेटेड मार्केट देश में होने चाहिये।

(२ म. प.)

हमें अफसोस है कि हम ३२ साल के बाद उस कमीशन की राय को कार्यान्वित कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात की खुशी है कि ३२ वर्षों में जहां जहां भी इस प्रकार रेगुलेटेड मार्केट बने, विधान बने उनके अनुभवों का लाभ उठाने का मौका हमें मिल रहा है। काफी देर से लेजिस्लेशन हम ला रहे हैं। इस कारण उनके अनुभवों का लाभ उठाने में हम समर्थ हुए। ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक सरकार और माननीय मंत्री महोदय लाये हैं, उसके लिये वे बधाई और सराहना के पात्र हैं। हमारे माननीय मंत्री महोदय एक काश्तकार होने के नाते, काश्तकारों को क्या कठिनाइयों हैं, उनकी उपज बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जानी चाहिये, उनकी उपज का उन्हें पूरा मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है, उसमें अडल्ट्रेशन क्यों हो रहा है आदि जितनी भी कठिनाइयां प्रोड्यूसर को हैं, उन कठिनाइयों को दूर करना चाहते हैं और उसी के लिये उन्होंने इस विधेयक को सम्पूर्ण तौर से प्रगतिशील बनाया है और इसमें उन प्रावधानों का समावेश किया है जिससे

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

काश्तकारों की समस्या का हल हो सके। उनकी उपज बढे, उसकी सही कीमत मिले और उपज में स्वच्छता आये।

अब सवाल यह है कि हम इस प्रकार का इन्सेन्टिव प्रोड्यूसर में क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं, काश्तकारों को प्रेरणा क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि वे अधिक अन्न उपजाएं ? इसका क्या कारण है ? आज हमारे काश्तकारों की व्यवस्था दयनीय है कि आज वे गरीब हैं, अशिक्षित हैं, डरपोक हैं, उनमें बार्गेनिंग केपेसिटी नहीं है। बाजार में जब वे अपनी प्रोड्यूस ले जाते हैं उनको मालूम नहीं कि बाजार का क्या भाव है, क्या क्या ट्रेड अलाउन्सेज़ लिये जाते हैं, ट्रेडिंग की क्या प्रेक्टिसेज़ हैं। इसलिये वह चतुर व्यापारियों के चंगुल में फंस जाते हैं। ट्रेड्स अलाउन्सेज के नाम पर, धर्मादा आढ़त, दलाली, तुलाई, मंदिर आदि के नाम पर, अन्य अन्य प्रकार के उनसे ट्रेड अलाउन्सेज लिये जाते हैं। उसके बाद जो नेट रकम उसको अपने प्रोड्यूस की मिलती है वह इतनी कम होती है कि उनको इन्सेन्टिव नहीं मिल पाता है, अधिक अन्न उपजाने का, अधिक पैदावार करने का। इन सब बातों से काश्तकार बेखबर है। वह इतना सीधा है कि खेत पर, खलिहान पर या गांव में भी जिस किसी भी कीमत पर उससे लेना चाहे अपनी उपज बेच देता है। उसको दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहता, वह दुनिया की कोई खबर नहीं रखता। इसलिये किसानों को यह विश्वास नहीं कि उनकी उपज बढ़ने से जो उपज की बिक्री होगी उस बिक्री में उसकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। उस उपज की उपयुक्त कीमत तय करने का इस कमेटी को अधिकार होगा। वैसी हालत में उसको अविश्वास नहीं होगा कि बाजार में उसके माल के जाने से क्या भाव मिलेगा क्योंकि उसमें उसका प्रमुख हाथ है। अधिक अन्न उपजायेगा तो बिक्री में जब उसका प्रमुख हाथ होगा तो उससे उसको लाभ होगा। यही विश्वास पैदा करने के लिये प्रोड्यूसर का उसके माल की बिक्री में प्रमुख हाथ होगा, उचित मूल्य मिलेगा उसको, एक्सप्लोइट नहीं किया जायेगा ट्रेडर्स क्लास द्वारा। ट्रेडर्स अलाउन्सेज के नाम पर भिन्न भिन्न लागत उससे नहीं लेंगे, एडल्टरेशन रुक जायेगा, उसकी उपज का उसे उचित मूल्य दिया जायेगा। इतना होने पर यह नहीं होगा कि उसमें इन्सेन्टिव पैदा न हो। यही विश्वास काश्तकारों को दिलाने की दृष्टि से यह विधेयक हाउस में प्रस्तुत किया गया है। प्रोड्यूसर को विश्वास दिलाया जाय कि आप जो उपज बढ़ायेंगे, आपके कहने के अनुसार निर्धारित भावों से उचित मूल्य पर उसको बेचा जायेगा। उसी के लिये यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार यह विधेयक वक्त की अहम् जरूरत एवं सरकार की मुश्तकिल जिम्मेदारी को पूरा करने की ओर सक्रिय कदम है।

यह विधेयक जो विचाराधीन है उसके संबन्ध में कई आपत्तियां उठाई गई हैं। लेकिन मेरी मान्यता यह है कि यह विधेयक, जो हम राजस्थान में ला रहे हैं, हिन्दुस्तान के सभी कानूनों की बनिस्बत अधिक प्रगतिशील और अधिक रूप से सम्पूर्ण है। इसके अन्दर हमने भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पादकों का बहु मत रखा है। इसकी प्रणाली हमने इलेक्शन को रखी है जब कि अन्य

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

राज्यों में नोमीनेशन की प्रणाली है। इसमें रेशो इस प्रकार का रखा गया है जिसके कारण उत्पादकों को कभी अविश्वास नहीं हो सकता। इस दृष्टि से मार्केटिंग कमेटी का जो गठन होगा वह जनता को विश्वास दिलाने में, प्रोड्यूसर्स को विश्वास दिलाने में कामयाब होगा। यह विधेयक सम्पूर्ण और प्रगतिशील है। इसके पारित हो जाने के बाद इसके तहत जो मार्केट कमेटी बनेगी, मेरी निश्चित मान्यता है कि प्रोड्यूसर्स को बहुत लाभ होगा। इससे हमारी मार्केट प्रेक्टिस रेशनलाइज़ हो जायेगी, ट्रेडर्स अलाउन्सेज स्पेसिफिकली डिफाइन हो जायेंगे और साथ साथ प्रोड्यूसर्स को ऐमेनिटीज मिलेगी। ट्रान्सपोर्ट की ऐमेनिटी मिलनी चाहिये, उनको ठहरने की सुविधा मिलनी चाहिये, एडवान्स ट्रान्सपोर्ट की उनके लिये व्यवस्था होगी, पानी पीने के लिये व्यवस्था होगी, हैल्थ सेनीटेशन वगैरह की व्यवस्था मार्केट कमेटी द्वारा अपने फन्ड्स से की जायेगी और इस तरह से कोई भी ट्रेडर्स प्रोड्यूसर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा। ट्रेडर्स को रिप्रेजेन्टेशन दिया जाय, यह भी व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन ट्रेडर्स ही इस पर हावी हो जायं, इस स्थिति से इसको बचाया गया है। साथ ही साथ जब कि सब जगहों पर नोमीनेशन है यहां हमने इलेक्शन की प्रणाली रखते हुए भी सरकार का इन्टरफियरेन्स बहुत कम रखा है। केवल एक-दो मेम्बर होंगे जो हावी नहीं हो सकते किसी भी प्रकार से इस व्यवस्था पर। लेकिन उनका रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि जब तक स्टेट का कन्ट्रोलिंग हाथ नहीं रखेंगे उस वक्त तक हम स्वतन्त्रतापूर्वक काम नहीं कर सकेंगे। इसीलिये सरकार का इसमें कुछ हाथ रखा जाना चाहिये। इससे सब प्रकार की सहूलियतें एक प्रोडयूसर को मिल सकेगी, उसको इस मार्केट कमेटी से इस पद्धति से शिक्षण मिलेगा, उससे एक वातावरण पैदा होगा कृषि में उपज बढ़ाने का। कृषि की उपज का उचित मूल्य मिलेगा, उसमें एडल्टरेशन मिटेगा, स्टेंडर्डाइजेशन ऑफ क्रॉप्स होगी। ये सारे एडवान्टेजेज़ इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद मार्केट कमेटी से मिलेंगे।

जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने इसके बारे में दो-तीन आपत्तियां उठाई। एक आपत्ति तो यह कि एग्रीकल्चरिस्ट की जो डेफीनेशन दी है वह इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधक है। जहां तक इसकी डेफीनिशन का सवाल है मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के जितने भी लेजिस्लेशन मार्केटिंग के बारे में हैं उनमें तीन शब्द इस्तेमाल हुये हैं-ग्रोअर प्रोड्यूसर और एग्रीकल्चरिस्ट। पंजाब, मध्य प्रदेश, आसाम और राजस्थान में एग्रीकल्चरिस्ट शब्द इस्तेमाल हुआ है। जहां भी एग्रीकल्चरिस्ट शब्द का प्रयोग हुआ है वहां जो डेफीनिशन हमने दी है उसी प्रकार की वहां भी दी गई है।

ग्रोअर्स को जो डेफीनिशन दी है और प्रोड्यूसर की डेफीनिशन दी है वह डेफीनिशन ऐसी है जो हमारे यहां की डेफीनिशन से मिलती जुलती है। उसी तरह से प्रोड्यूसर या ग्रोअर को माना है। जहां एग्रीकल्चरिस्ट की डेफीनिशन दी हैं वहां हमारी डेफीनिशन बिल्कुल उसके अनुकूल है। राजस्थान में जितने भी भूमि सम्बन्धी कानून बने हैं, जमीन सम्बन्धी जितने भी लेजिस्लेशन बने हैं उनमें जो डेफीनिशन दी है उससे हम परे नहीं जा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सकते । टीनेन्सी एक्ट का हवाला देते हुए बहस की गई है । मैं उनकी जानकारी के लिये उसमें जो डेफीनिशन दी है उसको पढ़ कर सुनाता हूँ:—"Agriculturist shall mean a person who by himself or by servants or tenants earns his livelihood wholly or principally by agriculture or by cattle breeding." यह डेफीनिशन दी हुई है । इसके मुकाबले अगर हम दूसरी परिभाषा रखते हैं तो एनोमोली पैदा हो जायेगी । जमीन जो भी अलॉट होती है वह इसी डेफीनिशन के आधार पर होती है । ऋण या तकावी मिलती है इसी डेफीनिशन के आधार पर मिलती हैं और खातेदारी के राइट्स भी इसी डेफीनिशन के आधार पर मिलते हैं । जमीन से तालुक रखने वाले कानूनों के अन्तर्गत जो एग्रीकल्चरिस्ट की डेफीनिशन दी है वह एक है और उससे सब लाभ उठाते हैं । अब उस जमीन से जो उपज होती है उसके विक्रय में इस परिभाषा को बदलते हैं तो इससे तो हमारे सारे पुराने कानूनों की परिभाषा गलत हो जावेगी और अगर उसको सही मानते हैं तो इसके अन्तर्गत वे अपने प्रोड्यूस को कवर करने से महरूम रह जावेंगे । तो पहले के सारे कानूनों से इसकी कनफर्मिटी लाने के लिये यही डेफीनिशन यहां भी होनी चाहिये । इसलिये इस आधार पर इस बिल को उद्देश्य के प्रतिकूल बताना और इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने का कारण बताना न्याय संगत नहीं है ।

सभापति महोदय, दूसरा, कम्पोज़ीशन ऑफ मार्केटिंग कमेटी के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये । इसमें यह लिखा है: 'such recognised organisations of agriculturists in the market area for which it is established as the State Government may prescribe...' सवाल यह उठता है कि आज सरकार के सामने क्या तस्वीर है कि कौनसे ऑर्गेनाइजेशन को रिकाग्नाइज़ किया जाय ताकि वे अपने व्यक्ति चुन कर इसमें भेजें । अव्वल तो यह लिखा है कि ठीक व्यक्ति चुने जावेंगे उन ऑर्गेनाइजेशनों से जिनको सरकार रिकॉग्नाइज़ करेगी ।

अब कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जिसे इस विधेयक में ले लिया गया हो और जो हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों के कानूनों में नहीं हो । यह भी नहीं है कि फार्मर्स फॉरम राजस्थान में ही हो और दूसरी जगह न हो । ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट शब्द की हिस्ट्री मैंने देखी है । देखने से अनुमान होता है कि जो स्टेच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसी कानून के तहत में आर्गेनाइजेशन हैं, जो एग्रीकल्चरिस्टस के हैं और एग्रीकल्चरिस्टस के होने के बाद जो ऐसे हैं जो सरकारी रूल्स के द्वारा प्रेस्क्राइब करके रिकाग्नाइज़ किये गये हैं, तो उनके मेम्बर होंगे वे सात आदमियों को चुनेंगे । अब बम्बई में यह प्रावधान है । फार्मर्स फॉरम वहां हैं । तो इस पर जो एक्सपर्ट कमेटी बैठी उसने अपनी राय दी थी कि जो आर्गेनाइजेशन इस तरह के हैं, चाहे वे प्राइवेट हों, प्राइवेट भी हो सकते हैं, स्टेच्यूटरी भी हो सकते हैं और दोनों प्रकार के आर्गेनाइजेशन्स में समन्वय कैसे रहे, क्या समन्वय का रेशों रहे, किस तरह इनका चुनाव हो, किसके कितने प्रतिनिधि हों-ये सारी बातें रूल्स में बताने की हैं, इसमें बताने की नहीं हैं ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : राजस्थान में स्टेच्यूटरी आर्गेनाइजेशन कौनसा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान में वही है जो बम्बई में है, हिन्दुस्तान में व और जगह हैं। ऑर्गेनाइजेशन से यह मतलब न हो कि फार्मर्स फॉरम....

श्री श्रीभानसिंह : Under which statute there is an organisation in the State ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Co operative Society is a statutory organisation.

श्री श्रीभानसिंह : Then why did you make a different provision in the Act ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : स्टेच्यूटरी बॉडी और नहीं बन सकती क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एग्रीकल्चरिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर मिल कर या प्राइवेट एग्रीकल्चररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको सरकार रिकॉग्नाइज़ करे वह भी चुने। तो वहां तीन को माना है। एक तो माना है एग्रीकल्चरिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, दूसरा माना है इस एरिया की ग्राम पंचायत के उन सरपंच, पंचों को और जिला परिषद् के उन सदस्यों को जो उस एरिया में रहते हों। इन तीन प्रकार के ऑफिसेज़ वाले वोटर होंगे। ऐसा बम्बई के कानून में दिया गया है। इस प्रकार के....

श्री श्रीभानसिंह : I don't think Bombay has got a Zila Parishad ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लिखा है। मैंने इसके एवज में जिला परिषद कह दिया है। पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी वोट देने की मनाही नहीं है। गवर्नमेंट ने उनको भी रिकॉग्नाइज़ किया है। They will be voters and will elect seven members for this purpose. इसलिये इस ऑर्गेनाइजेशन के शब्दों पर ज्यादा आपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती है।

दूसरा यह आता है कि आखिर यह ऑर्गेनाइजेशन को ही क्यों इसमें लिया, all the Agriculturists residing in the area क्यों नहीं कर दिया ? चाहे आठ रुपया लगान देने वाला हो, दस रुपया लगान देना वाला हो, कितने ही रुपये लगान देने वाला हो, पर इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। हम शुरू शुरू में मार्केटिंग कमेटी बनाने जा रहे हैं। इसमें क्या नफा नुकसान होगा, इसकी कल्पना अभी नहीं की जा सकती पर यह अवश्य मान कर चलें कि अभी भले ही थोड़ा घाटा रहे, पर आगे बाद में साधारण नफा होगा। तो इसमें जब फाइनेन्शियल आस्पेक्ट इन्वॉल्व्ड है, जो कि शोचनीय है, ऐसी अवस्था में अगर हम मार्केटिंग कमेटियों के चुनाव के लिये ऐसा बना दें कि हर काश्तकार को इसमें वोट देने का अधिकार है तो इसमें चौदह, पन्द्रह और बीस हजार रुपये तक भी इलेक्शन में ही खर्च हो जावेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : पहले तो नॉमीनेट होंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले का तो

Page No 65

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सवाल ही नहीं है। पर दो साल बाद तो चुनाव कराने होंगे। तो इसके लिये एक्सपर्ट कमेटी बैठी। इसके टैक्निकल सबजेक्ट को उसने देखा और इन्डाइरेक्ट इलेक्शन को ही आखिर ठीक समझा। इसलिये ऑर्गेनाइजेशन शब्द आया। अब इसमें दस रुपया लगान देने वाला भी इसीलिये रखा गया है कि संख्या कम हो। कम संख्या तक कनफाइन करने के लिये दस रुपये की बात रखी है। इसका मतलब यह नहीं कि दस रुपये से कम लगान देने वाले को इस विधेयक से होने वाले लाभ से वंचित रखा जावेगा या रख दिया है, ऐसा नहीं है। उसको वंचित नहीं रखा है, लाभ उसको भी मिलेगा।

इसलिये अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि इसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि जिसकी बिना पर इस पर पुनर्विचार किया जावे। बल्कि इन पॉइन्ट्स पर काफी थ्रेश आउट कर के और काफी शक्ति लगा कर इस विधेयक को तैयार किया गया है। यदि कोई छोटी मोटी चीज हो तो अमेन्डमेंट के जरिये वह आ सकती है। अन्त में, मैं निवेदन करता हूं कि इसे इसी रूप में विचार करने के लिये लिया जाय और प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): राजस्थान....

श्री तनसिंह (बाडमेर) : On a Point of Order, Sir, मैं इस बिल के सम्बन्ध में एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं। क्योंकि इसके द्वारा स्टेट के कन्सोलिडेटेड फण्ड से एक्सपेन्डीचर होगा इसलिये इसके लिये गवर्नर की सेंक्शन आनी जरूरी है। वह सेंक्शन आ गई होगी। मुझे इसमें सन्देह नहीं है। पर जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसके अनुसार क्लॉज़ १३ के अन्दर जो अमेन्डमेन्ट हुआ है उसमें 'फी' के बजाय 'सेस' कर दिया है। फी एक फिक्स्ड सम होता है और इसके लिये लाइसेन्स की फीस के लिये इस प्रकार की सेंक्शन की जरूरत नहीं। पर आर्टिकल २०७ है इसके मुताबिक ऐसे किसी बिल के लिये सेंक्शन नहीं, पर कोई अमेन्डमेंट ऐसा हो जो कन्सोलिडेटेड फण्ड के खर्च से सम्बन्धित हो, जिससे इम्पोजीशन ऑफ टैक्स होता हो तो ऐसे अमेन्डमेंट के लिये भी गवर्नर की सेंक्शन जरूरी है। तो क्लॉज़ १३ में जो अमेन्डमेंट किया है वह तब तक कन्सीडर नहीं हो सकता जब तक गवर्नर की उसके लिये सेंक्शन नहीं आती। तो मेरा यह निवेदन है कि क्योंकि क्लॉज़ १३ है उसमें जो चेन्ज किया है और अमेन्डमेन्ट इस समय सिलेक्ट कमेटी ने प्रपोज़ किया है उसकी नेचर इस प्रकार की हो जाती है कि जिसमें आर्टिकल २०७ के मुताबिक गवर्नर की सेंक्शन जरूरी है। इसलिए इस रिपोर्ट को कन्सीडर करने से पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में गवर्नर को सेंक्शन आई है या नहीं और अगर नहीं आई है तो यह जरूरी है, क्योंकि यह अमेन्डमेन्ट भी आर्टिकल २०७ से गवर्न होता है।

श्री सभापति : Your main objection is with regard to clause 13 of the Bill ?

Page No 66

श्री तनसिंह : जी हां।

श्री सभापति : So yon can very well raise this objection when clause 13 is taken up by the House.

श्री तनसिंह : क्लॉज़ १३ में जो अमेन्डमेन्ट हुआ है....

श्री सभापति : But when......

श्री तनसिंह : अर्ज़ यह है कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट कन्सीडर हो रही है और सलेक्ट कमेटी ने रिकमन्ड किया है कि आर्टीकल २०७ के मुताबिक क्लॉज़ १३ में यह चेन्ज होना चाहिए। तो जब सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट एज़ ए होल ले रहे हैं और यह इसी में इन्वोल्ड है तो उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता।

श्री सभापति : Of course, that is involved but when a particular clause is ultravires according to your contention then that particular clause can be challenged when a particular clause is taken up for consderation.

श्री तनसिंह : हम यह समझ लेंगे कि चलो जब क्लॉज़ १३ आयेगा तब उस समय कर लेंगे। इसके सिवाय मेरा दूसरा एतराज़ यह है कि इसके साथ फाइनेन्शिल मेमोरेन्डम, जो हमारे रूल ६१ के मुताबिक होना चाहिए वह आया है या नहीं, क्योंकि जो रूल ६१ है उसके मुताबिक कितना एक्सपेन्डीचर होगा, कितना नहीं, यह आना चाहिए, क्योंकि यह मनी बिल है।

श्री सभापति : I am furnishing this information to the Hon'ble member that even the President has given sanction to this Bill.

Therefore, there is no force in raising this point as well.

श्री तनसिंह : सैंक्शन है ?

श्री सभापति : जी हां।

श्री तनसिंह : इस अमेन्डमेन्ट के लिए भी है क्या ?

श्री सभापति : You can very well raise this objction when this clause 13 is taken up in the House.

श्री तनसिंह : सैंक्शन तो है लेकिन जो फाइनिन्शियल मेमोरेन्डम होना चाहिए रूल ६१ के मुताबिक, क्योंकि यह मनी बिल है। गवर्नर की सैंक्शन है तो रूल ६१ के मुताबिक है उसमें फाइनन्शियल मेमोरेन्डम आया है या नहीं और दूसरे उसके साथ में सबोर्डीनेट लेजिस्लेशन के लिए जो रूल्स बनाने की डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स का है वह भी मेमोरेन्डम आया है या नहीं ?

श्री सभापति : According to rule 61

श्री तनसिंह : Yes, Sir, according to Rule 61.

श्री सभापति : It has been circulated.

श्री तनसिंह : अण्डर रूल ६१ है ?

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी आने पर सदन को सूचित किया जायेगा।

(विराम)

Yes.

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, जो सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूं और विरोध करने का कारण यह है कि पिछली जो सिलेक्ट कमेटी थी उसने जो अपनी रिपोर्ट दी वह इतनी निराशाजनक रिपोर्ट है कि मैं उचित समझता हूं कि इसको यहीं और इसी सदन में विचार करें, चाहे हम धीरे धीरे विचार करें, लेकिन सिलेक्ट कमेटी को भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिस समय यह बिल सदन में प्रस्तुत हुआ था उस समय भी प्रस्ताव था कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाये उस समय के इसके क्लॉज़ ८ पर काफी वादविवाद हुआ था और उसमें सबसे बड़ा वादविवाद यह था कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसमें कौन कौन से प्रतिनिधि लिये जायं; इस सवाल पर सबसे बड़ा वादविवाद था। राजस्थान के अन्दर, जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने बताया था, अनेक संगठन मौजूद हैं और उन्होंने कई एक संगठनों के नाम भी लिये। मैं अपनी ज़ानकारी या अपनी अधूरी जानकारी से कह सकता हूँ कि वह संगठन केवल कागजों में ही संगठन माने जा सकते हैं।

जैसा कि अभी जो बोलने वाले माननीय सदस्य थे उन्होंने बताया था कि विधिवत् संगठन हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को या पंचायतों को ही मान सकते हैं। मैं उनकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि यदि इसके अन्दर ऐसी व्यवस्था होती कि पंचायत या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ७ सदस्य होंगे और वह इस प्रकार से गठित की जायेगी कि जो पंचायत या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और खास तौर से मार्केटिंग सोसाइटीज़ या और दूसरी कृषि उत्पादन समितियां हैं उनके सदस्य इसमें लिए जायेंगे तो यह बात मानी जा सकती थी कि जो इसका कॉन्स्टीट्यूशन है वह उचित है। मैं समझता हूं कि या तो संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी कि जो कृषि उत्पादन से सम्बन्धित समितियां हैं उनके सदस्य इसके अन्दर हों या केवल किसान ही इसके अन्दर आयें। इस प्रकार की हम व्यवस्था रखते तो अति उत्तम होता। इसके साथ ही साथ इस विधेयक के अन्दर कुल १५ सदस्यों के लिये लिखा है तो ७ तो वे हो गये और दूसरे ८ सदस्य हैं। मैं समझता हूं कि उसके अन्दर भी हमने मार्केट के अन्दर जो लाइसेन्स लेने वाले व्यापारी हैं उनके दो प्रतिनिधि रखे हैं। मैं समझता हूं कि २ प्रतिनिधि पर्याप्त हैं। लेकिन जो म्युनिसिपैलिटी वगैरह के प्रतिनिधि हैं उनकी मैं आवश्यकता महसूस नहीं करता। इसलिये इसका पुनर्वितरण करके इस प्रकार की व्यवस्था कर दें कि ८ प्रतिनिधि तो यहां उन ऑर्गेनाइजेशन्स के हों और ७ प्रतिनिधि उन संस्थाओं से हों, जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या सेन्ट्रल फाइनेन्सिंग एजेन्सीज़ वगैरह के मिला कर बनाये जायं यानी दोनों व्यापार करने वाली संस्था और उत्पादन करने वाली संस्थाओं का इस प्रकार से मिश्रण हो कि उत्पादन करने

(डॉ० बहादुरसिंह)

वालों की तादाद ज्यादा हो और जो व्यापारिक प्रतिनिधि हों उनकी तादाद कम हो जाये, इसलिये ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये । इस विधेयक की जो उपयोगिता है उसके बारे में अनेक बातें बताई गई । मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि कोई भी कठिन से कठिन विधेयक लाया जाये और किसानों के हित में हो तो मैं उसे हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार हूं । लेकिन इस विधेयक के द्वारा यह बताया गया कि फूड एलटेरेशन रोकने के लिए काम करेगा । मैं सदन का ध्यान फूड एलटेरेशन एक्ट, जो हमारा मौजूद है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं । खाद्य पदार्थ की मिलावट के लिये एक कानून मौजूद है और उसके अन्तर्गत हम व्यवस्था भी करते हैं, हमारी नगरपालिकायें भी करती हैं, लेकिन कानून का पालन कहां तक हो पाता है इसलिए इसके अन्दर शंका रहती है । इसलिए मैं समझता हूं कि दूसरी प्रकार की व्यवस्था होने की सम्भावना है तो ऐसी स्थिति में जहां फूड एलटेरेशन का प्रश्न है उस चीज की दुहाई देकर यहां ज्यादा कामयाबी नजर नहीं आती । इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें मण्डियों का निर्माण करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि किसानों का हित किस प्रकार से हो, इसको सोचने की जरूरत है और इसको थोड़ा प्रेक्टिकली लें और उसके बाद अगर कोई कानून प्रोवाइड हो या किसी कानून पर सदन विचार करे तो अधिक उपयुक्त हो । किसानों को मण्डियों के अन्दर जब वह अनाज बेचने के लिए ले जाते हैं तो कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं । सबसे बड़ी कठिनाई जो उनके सामने आती है वह है भाव की । भावों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक भाव नहीं रहते और यह मानी हुई बात है कि भाव हमेशा उत्पादन के ऊपर निर्भर करते हैं । अगर कोई चीज का उत्पादन अधिक हुआ है और लेने वाले कम हैं तो उसके भाव कम होंगे और यदि उत्पादन कम हुआ है और लेने वाले ज्यादा हैं तो उस समय भाव अधिक बढ़ सकते हैं ।

उसी तरह से अनाज की भी स्थिति है । अगर अनाज रखने का, संग्रह करने का स्थान वगैरह, गोदाम ठीक प्रकार से व्यवस्थित नहीं हैं और अनाज को ठीक प्रकार से नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर खराब होता है और आने वाले समय में किसानों को उसकी कम कीमत प्राप्त होती है, क्योंकि भाव हमारे मार्केट के अन्दर इस प्रकार के चलते हैं कि जब किसान की फसल आयेगी तब भाव गिर जायेंगे और बीज बोने की आवश्यकता पड़ेगी उसका भाव तेज हो जायगा । उसका कारण है कि उस वक्त काफी माल का उपभोग कर चुकते हैं और उपभोग करने के बाद केवल थोड़ा बहुत लोगों के पास में बीज के रूप में अनाज बचता है, इसलिये अच्छी कीमत वह उसकी वसूल करना चाहता है, इस प्रकार की व्यवस्था के लिये हमारे यहां मार्केटिंग सोसाइटीज़ जो मौजूद हैं वे केवल किसानों के उसी काम के लिये हैं कि अनाज संग्रह करें । हालांकि इसके लिये अपने यहां पर गोदाम विधेयक भी इस प्रकार का स्वीकार किया था कि जिसके अन्दर हम अपने माल का संग्रह

Page No 69

(डॉ० बहादुरसिंह)

कर सकते हैं। संग्रह के पश्चात् जब समय पर अच्छे भाव आयें तब बेच सकते हैं। लेकिन मण्डियों की जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि मण्डियां बनाने की आवश्यकता है और मण्डियों को रेगुलेट किया जाय वह भी आवश्यक है। लेकिन इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था को उचित नहीं मानता हूं थोड़ा सा, क्योंकि जहां तक मूल विधेयक में यह व्यवस्था थी कि डाइरेक्टर ऑफ मार्केटिंग की व्यवस्था की जायेगी। मैं समझता हूं कि वह ज्यादा उपयुक्त होता। डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को आप मार्केटिंग देते हैं, इसके लिये आप कह सकते हैं कि इस बात की व्यवस्था से खर्चा और बढ़ेगा और राज्य के प्रशासन पर कुछ अधिक भार आयेगा। राज्य के प्रशासन पर भार पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे अपनी स्टेट को, या हम चाहेंगे कि इस प्रकार के एग्रीकल्चरिस्ट्स और दूसरे तबके के लोग हैं उन्हें राहत दें तो अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी, अलग विभाग स्थापित करना पड़ेगा और अगर विभाग स्थापित करते हैं तो निश्चित तौर पर खर्चा होगा। इसमें दो राय नहीं है कि उससे टैक्स भियरर पर बर्डन पड़ता है। लेकिन जहां तक कृषि के उत्पादन की योग्यता और व्यापार का सवाल है दोनों में विभिन्नता है। एक तरफ कॉमर्स है और एक तरफ प्रोडक्शन। किसान का उत्पादन किस प्रकार से बढ़े, उसमें एक व्यक्ति का दिमाग लगा हुआ है। दूसरी तरफ बिक्री का सवाल आता है उसमें यह दलील हो सकती है कि इन दोनों चीजों का समन्वय जब तक नहीं होगा, यह बात कभी भी कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकती। जहां तक समन्वय होने का प्रश्न है, इसके लिए राज्य सरकार स्वयं मौजूद है। एक मन्त्रालय के अन्तर्गत होने की वजह से वहां पर समन्वय हो जाता है लेकिन डाइरेक्टोरेट के प्रश्न पर मार्केटिंग और प्रोडक्शन दोनों को अलग रखने की आवश्यकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि मूल विधेयक के अन्दर जो व्यवस्था थी उसके अन्दर बाद में फॉर दी टाइम बीइंग यह व्यवस्था कर सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का डाइरेक्टर होगा वही एग्रीकल्चर के डाइरेक्टर का ही काम करेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि प्रवर समिति ने जो संशोधन करके हमेशा के लिये रास्ता रोक दिया वह उपयुक्त नहीं था।

इसके बाद धारा १३ के अन्दर जो व्यवस्था है फीस और सेस लेवी की, मैं समझता हूं कि यह किसानों के लिये अलग बर्डन है। किसान स्वयं जब अपने अनाज को घर से लेकर चलता है और जिस वक्त से उत्पादन करके अपने पास रखता है उस वक्त तक उस पर टैक्स इम्पोज़ होना शुरू हो जाता है, चाहे प्रोडक्शन का पैसा पूरा आये या नहीं, उसके अन्दर लगा हुआ लेबर वसूल हो पाये या नहीं। उसको लैण्ड रेवेन्यू बराबर देनी पड़ेगी, इर्रीगेशन चार्जेज़ देने पड़ेंगे, उसके अन्दर जो लेबर होगा वह बराबर देना होगा। इसके अलावा उसके क्षेत्र के अन्दर उसकी जो पंचायत है उसके अनेक टैक्सेज़ हैं और उसके बाद जब माल लेकर शहर के अन्दर आता है तो ऑक्ट्राय देना पड़ता है। और ऑक्ट्राय देने के बाद जहां फीस का प्रश्न

(डॉ० बहादुरसिंह)

था, मैं समझता हूं कि उस वक्त यह निश्चय होता कि हम एक रुपया या निश्चित दर निश्चित कर देते या जो किसान बेचेगा उसको एक प्रकार की फीस देनी पड़ेगी बिक्री करने पर । दूसरी तरफ जो माल खरीदेगा उसको लाइसेन्स लेना पड़ेगा, हालांकि रेगुलेट करने की आवश्यकता है । इस तरह से फीस देकर जो व्यापारी माल खरीदता है या किसान जो माल बेचता है उस पर आम तौर से साधारण तौर पर आजकल जो कमीशन चलता है वह आढ़त कहलाती है । आढ़त की दर साधारण तौर पर एक रुपया सैकड़ा की है, यानी जो फीस या सेस रखा है उसको उप-कर जो एक नाम दिया है, मैं समझता हूं कि यह कुछ उन किसानों के साथ ज्यादती होगी जो इस प्रकार से अपना माल उस बाजार के अन्दर, जिसको कि निश्चित करते हैं वहां बेचने के लिए लायें और उस पर टैक्स लगे । इस पर मैं थोड़ी सी व्यवहारिक तौर पर एक नजीर अपने यहां की देना चाहूँगा । जैसे धौलपुर के कुछ गांवों में गुड़ की पैदावार हुई, और मध्य प्रदेश के कुछ लोग अगर खरीदने के लिए आये, अगर वे लोग मण्डी के अन्दर आते हैं तो निश्चित तौर से मान कर चलिये कि मण्डी में जब लायेंगे तो तोलने वाले को पैसा देना होगा ; उसको ओक्ट्राय का पैसा देना ही होगा । उसके अलावा कुछ और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी मार्केटिंग कमेटी के अन्दर होंगे, जैसा कि आपने इम्पोज़ कर रखा है कि वह आपके प्रतिनिधि होंगे तो इस प्रकार से वह ऑर्गेनाइजेशन इस बात की व्यवस्था कर सकते हैं कि किसान यह पर्सेन्टेज अगर लाये मार्केट के अन्दर तो इस ऑर्गेनाइजेशन को या संगठन को चन्दे के रूप में कुछ देना होगा ।

तो मैं समझता हूं कि इस तरह से काफी बड़ा बर्डन इम्पोज़ हो जाता है । इस-लिए उचित यह होता कि फीस ही निर्धारित कर दी जाती और वह फीस केवल लाइसेन्स फीस होती । क्योंकि हम एक तरफ सहकारिता के आन्दोलन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और चाहते है कि इस प्रकार से सहकारिता के आधार पर जिन किसानों का उत्पादन हो, सहकारी समिति के द्वारा, जैसा कि सहकारी समिति का उद्देश्य है, गांव के उस सामान को खरीद कर, उत्पादन को खरीद कर, जो सेन्ट्रल मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है डिस्ट्रिक्ट की या क्षेत्र की उसको बेच दें । उसके बाद इस प्रकार से टैक्स करने से भारी भरकम लेवी इम्पोज़ नहीं होती है और सारी आफतों और दूसरे बर्डन और दूसरी लाए-बिलिटीज़ से बच जाता है, लेकिन एक तरफ जहां वह माल मार्केट में बेचने के लिए लाये क्योंकि वह यह देखता है कि वहां पर रेट्स का सवाल आयेगा, मंडी के अन्दर कुछ रेट्स फिक्स होंगी, किसान अपना माल उस जगह ले जाना चाहेगा जहां अधिक पैसा मिले । क्योंकि एक तरफ धौलपुर का इलाका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मंडियों के पास में लगा हुआ है तो अगर किसानों को एक, दो रुपये मन अधिक मिलने की आशा है तो वह माल उन मंडियों में ले जानें की कोशिश करेंगे जब तक कि स्टेट से कुछ ले जाने का किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं हो । आपको मंडी में लाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(डॉ० बहादुरसिंह)

अक्सर ऐसा होता है कि जिस वक्त धौलपुर में जो रेटस हैं उनका मुरेना, ग्वालियर और आगरे की मंडियों की रेट्स से मिलान करके किसान अपने माल को बेचने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में आपके रेटस पर बहुत भारी फर्क पड़ने वाला है। आप जो मंडियां बनाने जायेंगे उन मंडियों के फेल होने की संभावनाएं होंगी। तो मैं समझता हूं कि रेटस के बारे में जो एक सा रेट रखने का प्रयास है वह सफल होता नजर नहीं आता है। ऐसा तभी कर सकते हैं कि हम उनको प्रतिबन्धित कर दें। अगर प्रतिबन्धित हम करेंगे तो किसान के साथ में न्याय नहीं हो सकता है। इसलिए ये सारी व्यवहारिक कठिनाइयां टैक्सेज़ के बारे में हैं, यह सारी व्यवहारिक कठिनाइयां रेटस के बारे में हैं क्योंकि किसान हमेशा आकर्षित उस स्थान पर होता है जहां अधिक से अधिक सुविधा मिले। जब तक इस प्रकार के टेक्सेज़ लेंगे या लाइसेन्स या दूसरे प्रकार की कठिनाइयां सामने आयेंगी यह सम्भव नहीं होगा कि आपकी मंडियां सफल हों और मंडियां अच्छी तरह से चल सकेंगी। तो मैं समझता हूं कि सदन में विस्तृत तौर पर विचार करें, उस वक्त गंभीरता से विचार करना चाहिए खण्ड १३, ८ और दूसरे जो क्लॉजेज़ हैं इन सब के ऊपर और जो क्लॉज़ ३ है उस क्लॉज़ के बारे में भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने इसमें व्यवस्था की है, हालांकि वह ड्राफ्टिंग की क्लेवरनैस है। हमेशा यह आया करता था कि क्लॉज १ के अन्दर इस बात की व्यवस्था करते थे कि किन किन क्षेत्रों पर इसको लागू करेंगे। वहां पर नहीं करके सारे राजस्थान में लागू होगा। इस सम्बन्ध में क्लॉज ३ में यह व्यवस्था कर दी कि राज्य सरकार समय समय पर नोटिफिकेशन निकालेगी और मंडी क्षेत्र निर्धारित करेगी और उन मंडी क्षेत्रों के अन्दर मन्डियां स्थापित की जायेंगी मैं समझता हूं कि इस प्रकार का क्लाज तीन, क्लाज पहले के नीचे जोड़ देते हैं, तो जिस प्रकार का बिल रखने की व्यवस्था होती है तो उससे थोड़ा सदन को भी स्पष्ट समझ में आ जाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार की मन्डियां बनाना चाहती है।

अन्त में मैं नगरपालिकाओं के क्षेत्रों के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। जिस वक्त जो भी कानून बने, किसानों को राहत देने के लिये नगरपालिका क्षेत्र का उपयोग करना सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि किसान के लिये अनाज की उपज तो ऐसी है जिससे उसको ज्यादा पैसा मिल सकता है, लेकिन दूसरी चीजों का किसान उत्पादन करता है, जैसे सब्जी, फल, अंडे वगैरह हैं उनका नगरपालिका क्षेत्र में ही अधिक उपयोग हो सकता है और वहां पर ही उसको अधिक पैसा मिल सकता है। लेकिन आज सब्जी और फल आदि बेचने का प्रश्न आता है तो किसान को सबसे कम पैसे मिलते हैं क्योंकि नगरपालिका क्षेत्र में ऑक्शन के तौर पर ये चीजें बिकती हैं, और मैंने आंखों से देखा है कि जिस समय किसान मंडी में अपनी प्रोड्यूस लेकर दाखिल होगा या प्रवेश करेगा उस समय वह अपनी डलिया को जो निश्चित ठेकेदार होते हैं उनके सामने रख देगा और फिर वे लोग उसकी बोली बोलेंगे। चाहे उसमें १० रुपये का माल हो या ५ रुपये का माल हो लेकिन जो अधिक से अधिक

(डॉ० बहादुरसिंह)

बोली लगायेगा वही उसकी डलिया खरीद लेगा और फिर वह रिटेल में उसी चीज को दूसरों को बेचेगा। तो नगरपालिका क्षेत्र में जिन किसानों को साइड बिजनेस के तौर पर जो सब्जी, फल और दूसरी चीजें उत्पादन करते हैं और जो गल्ले के बाद होती हैं उनसे अधिक से अधिक पैसा दिलाने के लिये नगरपालिका क्षेत्र को मंडी क्षेत्र घोषित करें और क्लाज ३ हटा दें। मैं समझता हूँ कि यह उचित होगा और इसके इम्पलीमेंटेशन में भी दिक्कत नहीं आयेगी क्योंकि जो फर्स्ट मंडी होगी उसमें नोमीनेशन की व्यवस्था है। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर इनकी आसानी से व्यवस्था कर सकता है। एक जिले में मुश्किल से ऐसी ३—४ मंडियां होंगी, दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती हैं। इसलिये मैं समझता हूँ कि इसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जब क्लॉज़ बाई क्लॉज़ इस पर विचार करें तब या तो सरकार की ओर से या माननीय सदस्यों की ओर से संशोधन आवें तो ज्यादा अच्छा होगा।

[श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) और श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) बोलने के लिये खड़े हुए]

श्री सभापति : Do you want to speak Mr. Panwar?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Yes, Sir.

श्री सभापति : Let him (Shri Jwala Prasad) first say then you may.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट बिल के सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सिलेक्ट कमेटी में एक मर्तबा जाकर हमारे सामने आया है। इसके बाद दुबारा इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जिनका इरादा है उनके इरादे से यह साफ जाहिर होता है कि वे इस कानून को इस सेशन में पास नहीं होने देना चाहते ! मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि सरकार इस कानून को स्वयं ही देरी से लाई है। उसके बाद और देरी करना, इस रिफार्म के लिये देरी करना, राजस्थान के किसानों के साथ ज्यादती होगी। इसे लंबा क्यों डालना चाहते हैं, इस पर गौर किया जाय। आज मार्केट में मंडियों की क्या स्थिति प्रिवेल करती है इस ओर गौर करें तो इसकी आवश्यकता और भी ज्यादा महसूस होती है। किसान अपनी प्रोड्यूस को लेकर मंडी में आता है और वहां पर जो व्यापारी होते हैं वे आपस में मिले रहते हैं और वे उसके पास से माल को लूटने के सिवाय कोई रास्ता नहीं छोड़ते। इस तरह से बांधते हैं किसान को, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेकर आता है उसको इस तरह बांधते हैं कि ज्यादा तोलते हैं, आड़त लगाते हैं, कांटा काटते हैं और क्या कुछ करते हैं। आड़तिये पैसे भी नहीं देते हैं। पैसे भी पहले के वसूल कर लेते हैं और किसान पहले फसल बोता है, फिर काटता है फिर धान इकट्टा करता है और राजा की तरह मार्केट में आता है, लेकिन मार्केट में घुसने के बाद जब वह बाहर निकलता है तब उसकी हालत बहुत खराब होती है। इसका कारण यह है कि आज हर तरह से मार्केट पर नियंत्रण नहीं है और नियंत्रण लाने में जहां राजस्थान सरकार किसानों के कानून में

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

रिफॉर्म करने में सबसे आगे रही है वहां इस जरूरी कानून को बहुत देरी से लाया जा रहा है। इसलिये मैं आग्रह करता हूं कि इस कानून को इसी सत्र में अवश्य पास करना चाहिये। जहां तक मेरा ख्याल है मद्रास की एक न्यूज़ रील आप लोगों ने देखी होगी जिसमें पुराने ढंग की मार्केटिंग की सभी बुराइयां दिखाई हैं। दो महीने पहले आपने यह रील देखी होगी। इससे साफ पता चलता है कि इस तरह के लेजिस्लेशन की हमको अत्यन्त आवश्यकता है। किसानों को ब्लैक मार्केटियर्स धोखा देकर उनसे उनकी प्रोड्यूस ले लेते हैं। जिनके हाथ में नियन्त्रण है उन्होंने अपनी बेईमानी से सरकार को मजबूर कर दिया है कि किसानों को संरक्षण मिलना चाहिये। इस पर सरकार ने गौर किया है और जो विधेयक लाये हैं उसको डेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश की है। इस पर नियन्त्रण उन्होंने रखा है इसलिये कि नियन्त्रण होना चाहिये। जहां रेट्स रेगुलेशन की बात नहीं है वहां उनके साथ धोखा किया जाता है। जिस तरह से बिल्ली चूहों को पकड़ कर हिलाया करती है उसी तरह से किसानों के साथ व्यवहार होता है। उनसे किसानों को बचाने के लिये सरकार विधेयक लाई है और इसमें संगठात्मक और दूसरी दिक्कतें आती हों तो अनुभव के आधार पर यह तो हो सकता है कि इसमें तरमीम करें लेकिन इसको रोकना राजस्थान के किसानों के साथ ज्यादती करना है।

दूसरी बात यह है कि इसमें यह समझाने की कोशिश की है कि मार्केट पर कन्ट्रोल होना चाहिये। मुमकिन है, कोई आदमी घी में डालडा की मिलावट करता है तो मार्केट सोसाइटी को अख्तियार होगा कि कोई चीज इस तरह की हो, या जिस तरह का माप है, जिस तरह की चीज वास्तव में होती है वैसी ही आती है या नहीं; यह देखने का उसको पूरा अधिकार होगा, रेगुलेट करने का अधिकार होगा। जैसे घी है, तो घी के नाम से ही बिकेगा। यह नहीं हो सकता कि किसान से तो असली घी ले लिया और व्यापारी अपने घर में डालडा मिलाकर ले आया। इस तरह की बदमाशी को रोकने के लिये, उसको मार्केट से निकालने की आवश्यकता हुई या उसको डिस्क्वालिफाई करने की आवश्यकता हुई तो मार्केट को रेगुलेट करने के लिये ऐसा प्रॉविज़न रखा है जिससे कि मार्केट निश्चित मार्ग पर चले, नैतिकता पर चले। मार्केट में व्यापारी कमावे, लेकिन साफ तौर से कमावे। उसका हाथ साफ हो, उसका कांटा साफ हो, तोलने की चीज़ साफ हो और मार्केट में किसान जावे तो इस बात को इत्मिनान के साथ महसूस करे कि उसको वहां न्याय मिलेगा और उसके प्रोड्यूस के साथ मनमानी न होगी। मैं तो कहता हूं पहले जागीरदार थे उनसे भी बढ़ कर ये व्यापारी हैं। किसी ने कहा है अनछाना लहू पीये और पानी पीये छानकर। इस तरह की हालत किसानों की बनती है। उनको बचाने के लिये इसमें इस तरह के प्रावधान रखे हैं। कोई इसमें कानून की कमी बताते हैं लेकिन कमी क्या है, यह नहीं बताते और कहते हैं कि एक बार जिस कमेटी के पास हो आया उसी के पास दुबारा भेजें। इस तरीके से इसको डिले करना चाहते हैं लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि इसको लाने की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिये पुरजोर शब्दों के

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

साथ आग्रह करूंगा कि इसको तुरन्त पास करना चाहिये ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : श्रीमान्, समय अधिक हो गया है इसलिये संक्षेप में कहने की चेष्टा करूंगा । मैं, जहां तक विधेयक का मकसद है उससे पूरी सहानुभूति रखता हूं; जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले को होनी चाहिये । जहां तक मैं इसके स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स को समझा हूं, इसका प्रधान मकसद यह है कि हमारे गांवों में खेतिहर उपज करने वाले व्यक्ति हैं उनकी पैदावार की बिक्री में पूरी कीमत वसूल नहीं हो पाती है । कुछ ऐसे तरीके हम अख्तियार करें, बाजार के नियन्त्रण के, नये तरीके के, जिससे उसका उचित मूल्य होना चाहिए उपज का, वह मिल पाये । जिस प्रकार यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है और जिस प्रकार प्रवर समिति के पास गया, मैं थोड़े अफसोस के साथ और इज्जत के साथ, जो माननीय सदस्य समिति के सदस्य थे उनके प्रति आदर प्रगट करते हुए कहूंगा कि जिन बातों की ओर ध्यान लगाना चाहिए था उन बातों को ओर पूर्णरूपेण ध्यान नहीं लगाया । शायद इसका कारण यह हो कि बुनियादी विज्ञान नहीं समझ पाये हों कि खेतिहर उपज, जिसकी परिभाषा विशद बनाई है, उस सारी उपज का उचित मूल्य किन कारणों से नहीं मिल पाता है । मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता । इस पर पूरे पूरे शास्त्र लिखे हैं, जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने । संक्षेप में जो मूल कारण हैं वे बताने की चेष्टा करूंगा ।

जहां तक मैं समझता हूं, श्रीमान्, पहला उचित मूल्य न मिलने का कारण यह है कि उपज के कुछ मौसम होते हैं । जिस वक्त उपज उपलब्ध होती है उस वक्त उस उपज की बाजार में प्रचुर मात्रा होती है क्योंकि किसान इतना खुशहाल नहीं होता, उस उपज को पैदा करने वाला किसान, टीनेन्सी एक्ट का किसान नहीं; खेतिहर की परिभाषा का किसान, जो उपज करने वाला है, जिसकी विधेयक के अन्दर परिभाषा दी गई है, उस किसान की स्थिति ऐसी नहीं होती, उस किसान की हालत ऐसी नहीं होती कि उस उपज को ऊंचे भाव आने तक वह रोके । यकायक ही उस किसान को उपज को बेचने को उत्कंठा होती है । इसलिए बाजार में प्रचुर मात्रा में उपज आती है तो उसकी कीमत गिरती है । किसान को मजबूरन सस्ते मूल्य में उपज बेचनी पड़ती है । उस उपज को सस्ते मूल्य में खरीदने वाले होते हैं, वे जब ऊंचे भाव होते हैं, तब उसका फायदा उठाते हैं । यह एक दकियानूसी कारण है जिसको सब जानते हैं । दूसरा कारण यह होता है कि उस उपज को पैदा करने वाला किसान कभी दूर दूर की मन्डी में न जाकर उस उपज को गांव के बोहरे को बेचता है । उसको यह ज्ञान नहीं होता कि मण्डी में क्या भाव है, दूर की मण्डी में क्या भाव है ? केपिटल, राजधानी की मण्डी में क्या भाव है ? इस अज्ञान में गांव के बोहरे का, वह जिस भाव को समझा कर उपज ले लेता है, वह उपज बेचता है । तो अज्ञान भी उसका एक कारण है । तीसरा कारण, श्रीमान्, यह है कि गांव में बेचने वाले, छोटी मण्डी में बेचने वाले को मुसीबत का सामना पड़ता है क्योंकि वहां खरीददारों में कम्पीटीशन नहीं होता । बेचने वालों में कम्पीटीशन होता है । गांव के सब किसान अपनी अपनी उपज बेचना

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

चाहते हैं और गांव में खरीददार एक या दो बोहरे होते हैं। वहां विशेष कम्पीटीशन खरीददार में नहीं होता। इसलिए खरीददार अपने मनचाहे, मोनोपोली भाव से खरीदता है। एक उसका कारण यह होता है। चौथा कारण, श्रीमान्, इसका यह है कि किसान कभी कभी अपनी उपज का साफ तौर पर ग्रेडेशन नहीं कर सकता। उसमें कुछ मिलावट रहती है, कुछ हल्की क्वालिटी की चीजें रहती हैं, कुछ ऊंची क्वालिटी की चीजें रहती हैं, मिश्रित होती हैं, उसको एक भाव बेच देता है। अगर ग्रेडेशन होता है तो ऊंची ग्रेड की उपज होती है तो ऊंचा भाव मिलता है, हल्की ग्रेड की उपज होती है तो सस्ते भाव में बेच देता है। इससे अच्छे भाव मिल जाते हैं। लेकिन उसको औसत भाव मिलता है। इसके बाद सबसे बड़ा कारण यह होता है कि किसान को धोखा देने के तरीके हैं मन्डी में। मन्डी में झूंठे बाट रखते हैं, जिससे ज्यादा तोल में ले लेते हैं।

एक सवाल उठाया गया कि एडल्ट्रेशन होता है। मैं समझता हूँ कि एडल्ट्रेशन खेतिहर, उपज के बेचने वाले के जरिये नहीं होता। अधिकतर मंडियां में किसान की उपज को बोहरे खरीदते हैं। उसके बाद मंडी में एडल्ट्रेशन करके कन्ज्यूमर के लिए रखते हैं। इसलिए खेतिहर एडल्ट्रेशन नहीं करता। इसलिए यह प्रश्न नहीं आता। अब बाजारों को नियंत्रण करने के सम्बन्ध में हमने विधेयक में क्या किया है, क्या नहीं किया है थोड़े अंश तक नियंत्रण किया है, जिसको छोड़ कर विधेयक पर विचार करें तो विधेयक और इसके उद्देश्य में फर्क पड़ता है। आपको मैं एक—दो मिसालें देकर अर्ज करूंगा। पहली चीज जो इसमें अच्छी नहीं लगी विधेयक में, वह यह है कि इसमें जो शिड्यूल बनाई है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की परिभाषा दी है, उसमें बांधी हैं कुछ चीजें। शिड्यूल में कुछ नाम गिना दिये हैं कि इतनी इतनी चीजें हैं जिन्हें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माना है, जिनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करेंगे। इसमें कुछ चीजों को नाहक छोड़ा है। मूल विधेयक में कुछ चीजें थीं जिनको जान कर इस विधेयक में से निकाल दिया है। मेरी समझ में नहीं आता, क्यों? मैं सारे आंकड़ों में नहीं जाना चाहता लेकिन कई चीजें कम हो गई हैं। जो मूल विधेयक में चीजें हैं और जो विधेयक प्रवर समिति ने विचार करके भेजा है उसमें चीजें हैं, उनका मुकाबला करेंगे तो मालूम होगा कि मूल विधेयक में जिन जिन्सों को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माना है उनको इस विधेयक में से बाहर कर दिया गया है। फलों में से निकाल दी हैं, सीरियल्स में से निकाल दी हैं, पल्सेज़ में से निकाल दी हैं, कई चीजें निकाल दी हैं। यहां तक है कि एक किस्म की दाल के लिए सुविधा देना चाहते हैं उपजाने वाले को तो दूसरी किस्म को वह सुविधा क्यों नहीं दी है। एक किस्म के फल के लिए उपजाने वाले को सुविधा देना चाहते हैं तो दूसरे किस्म के फल के लिए सुविधा क्यों नहीं देते? शिड्यूल में बांध कर चीजें रखी हैं यह एक भद्दी चीज है। इसके साथ ही फोरेस्ट प्रोड्यूस में कुछ चीजें शुमार भी की हैं। मूल विधेयक में वन की उपज में घास और चारा लिखा था। प्रवर समिति द्वारा भेजे गये विधेयक में शहद लिखा हुआ है, यानी हनी के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था करेगी सरकार। एक मिसाल मुझे याद है,

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

राजस्थान में एक और चीज बहुत पैदा होती है। कत्था बहुत पैदा होता है। इसके लिए इसमें व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूँ कि शिड्यूल की स्कीम एक तरह की बन्दिश डालती है। इसके स्थान पर आप कह देते कि, खेत की, वन की, एनीमल हस्बेन्डरी की, पौल्ट्री की जो उपज होती है, इन चीजों की ऊंची कीमत आये, इसकी व्यवस्था की जाय। इसको न करके शिड्यूल की बंदिश करके जिन्सों के नाम गिनाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। यह एक चीज मुझे भद्दी लगी। मैं नहीं समझता इसका क्या औचित्य है। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वह मंडी की व्यवस्था है। आप मंडी बनायेंगे, और मंडी बना कर व्यापार करने वाले, खरीदने वाले, बेचने वाले, उपजाने वाले को नहीं, व्यापार करने वाले को आप लाइसेन्स देंगे, तब वह व्यापार कर सकता है नियन्त्रित मंडियों में। मैं समझता हूँ कि यह उद्देश्य के प्रतिकूल जाने वाली चीज है। बेचने वाले को उचित कीमत मिले, इसके लिए आवश्यक है कि व्यापारियों में, खरीददारों नें आपस में कम्पीटीशन हो और अधिक से अधिक कम्पीटीशन हो। लेकिन आप कुछ को लाइसेन्स देंगे, कुछ को नहीं तो आप कम्पीटीशन करने वालों की संख्या में कमी कर देंगे। आप उसमें दे सकते हैं, लाइसेन्स की बन्दिश लगा सकते हैं कि हमारी किस किस शर्त को मानेंगे, कानून को मानेंगे तो लाइसेन्स रहेगा। अगर कानून को नहीं मानेंगे, शर्तों को नहीं मानेंगे तो सैंक्शन को, लाइसेन्स को काट देंगे। मैं समझता हूँ कि अच्छी व्यवस्था यह होती कि जितने व्यापारी आना चाहें व्यापार करने के लिए, उनको इजाजत दी जाय। और कानून के द्वारा लाइसेंस के द्वारा जो शर्तें लगाना चाहते हैं, वे शर्तें कानून के द्वारा बिना लाइसेन्स के लागू की जायं। आप कहेंगे उसके....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : लाइसेन्स रिफ्यूज़ कर सकते हैं क्या ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : क्यों नहीं कर सकते ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : रिफ्यूज़ किया जा सकता है ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : क्यों नहीं किया जा सकता ? लाइसेन्स देने की शक्ति है तो नहीं देने की भी शक्ति है, वर्ना लाइसेन्स देने की व्यवस्था हो ही क्यों ? मैंने लाइसेन्स मांगा और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो फिर लाइसेन्स का मूल्य नहीं है। फिर तो कह दीजिये कि घर में अर्जी लिख कर रख लो और यह मान लो कि लाइसेन्स मिल गया क्योंकि गवर्नमेंट लाइसेन्स के लिए इन्कार नहीं कर सकती। फिर तो लाइसेन्स की व्यवस्था का सवाल नहीं है। आप कह दीजिये कि घर में अर्जी लिख कर ताक में रख लो, समझ लो कि लाइसेन्स मिल गया। उसकी व्यवस्था नहीं है। इसमें लाइसेन्स की व्यवस्था को माना है और जो लाइसेन्स देने वाला है, वह लाइसेन्स देनें से इन्कार भी कर सकता है, लाइसेन्स देने के बाद काट भी सकता है। मैं समझता हूं कि उससे अधिक औचित्य यह हो सकता है कि जिन मंडियों को नियंत्रित करेंगे, उनमें कोई कानून को नहीं मानेगा तो आप उसके लाइसेन्स को काट देंगे। उसके बजाय मैं समझता हूं कि आप और कोई सजा दें

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

सकते हैं, चाहे लाइसेन्स होल्डर हो या नहीं हो। जैसे यह है कि उस व्यक्ति को लाइसेन्स नहीं मिलता जो हाई प्राइसेज़ चार्ज करता है। मैं समझता हूं अगर कोई हाई प्राइसेज चार्ज करेगा तो पुलिस एक्ट की धारा ३४ के तहत उसे सजा मिल सकती है, चाहे उसके पास लाइसेन्स हो या न हो। इस तरह से आप जनरल कानून आयद कर सकते हैं। इसमें जो रखा है, इससे जो कम्पीटीशन होना चाहिए खरीददारों में उसमें आपने कमी की है। इससे फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि नुकसान होने वाला है। आप कहिये कि जितने व्यापारी दूकान खोलना चाहें, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी व्यापार करने की इच्छुक हों वे आयें, हम किसी को इन्कार नहीं करते हैं। हमने कानून बना दिया है। इन इन कानूनों के मुताबिक मंडी में काम करना पड़ेगा। जिस रोज कोई व्यक्ति उसके मुताबिक काम नहीं करेगा तो वह लाइसेन्स होल्डर हो या नहीं हो, सीधे उसको मंडी से बाहर कर दिया जायेगा, उस पर जुर्माना होगा, ट्रायल होगी, प्रोसीक्यूशन होगा। जो कुछ भी हो इस प्रकार ओपन कम्पीटीशन की व्यवस्था रखें। लाइसेन्स की व्यवस्था, मैं समझता हूं, कोई फायदा करने वाली नहीं है। कई माननीय सदस्यों का यह विचार था कि हमारे मार्केटिंग नियंत्रण में प्राइस कंट्रोल जैसी बात आयेगी, निर्धारित मूल्य पर खरीदना और बेचना पड़ेगा। इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और ऐसी व्यवस्था किसी मार्केटिंग व्यवस्था में नहीं हो सकती। इसलिए उचित मूल्य को निर्धारित करने के लिए फ्री कम्पिटीशन इसमें रखा गया है। यह देखा गया है कि किसी पर्टीक्यूलर क्षेत्र में कुछ-एक महाजनों ने दूकान खोल रखी है। जो उपज बेचने वाला है वह बेचने बाहर नहीं जाता। इसलिए जो गांव में एक बनिया है वह मन चाहे भाव से उपज को खरीदता है। इस बात का ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करने के लिए ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि हर क्षेत्र में खरीद-फरोक्त न हो। यह हमारी लाइसेन्स की व्यवस्था के विपरीत जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह अनुचित व्यवस्था है। इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। हमारा जो मूल ध्येय है, जो इस विधेयक के पीछे है उसको परिपुष्ट करने वाली या संशोधन करके वाली दृष्टि से हम देखें तो ज्यादा उचित होगा।

श्रीमान्, एक गम्भीर बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सी बातें हैं, पर जल्दी जल्दी बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ। मन्त्री महोदय भी जबाब देंगे। क्लॉज बाई क्लाज डिस्कशन होगा और दूसरा बिल भी है। इसलिये मैं ज्यादा न कह कर एक बात पर ज्यादा जोर दूंगा। माननीय सदस्य जो फुलेरा से आने वाले हैं उन्होंने आज तो वैसे नहीं कहा पर वे अमूमन कहा करते हैं। प्रवर समिति को इस बिल के सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव पर बहस के दौरान में उन्होंने कहा या नहीं कहा पर वे अमूमन एक सिद्धान्त का सहारा लेकर कहते हैं, पर्किन्सन लॉ का सहारा लेते हैं। हमारी प्रवृत्ति है कि सरकारी ढांचे को बढ़ाते जाते हैं और जनता पर उसका असर पड़ता जाता है। पार्किन्सन ने अपनी थ्योरी में लिखा है। पूरा पोथा का पोथा है। तो प्रस्तुत विधेयक में व्यवस्था की गई है वह उसी प्रवृत्ति की प्रतीक व्यवस्था है।

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

क्लॉज़ ६ है इसका। इसमें कोई ड्यूटी नहीं है मंडी समिति की। एक क्षेत्र में मार्केट बाउन्डरी प्रेस्काइब की जायेगी। वहां आकर किसान अपनी उपज बेचेंगे, किसान को उचित भाव वहां बता दिया जायेगा। अगर उस मंडी में बेचने की उसको नहीं जंचे तो वह दूसरी मंडी में जाकर बेच सकता है। उसको कोई रोक नहीं। तो मार्केट बनाना, उसकी मेन्टेनेन्स करना, रिपेअर करना, गाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था करना, दूसरे तोल बाट हैं वे ठीक हैं या गलत हैं, ठीक नहीं रखते हैं तो उनको पकड़ना, चालान करना, सजा दिलाना, उसमें आपने जो ट्रेड डिस्काउन्ट रखा है, आड़त भाव रखा है उसको तोड़ने वालों को सजा देना आदि ये काम हैं। तो कानून को तोड़ने वालों को पकड़ना, सजा दिलाना यह प्योर पुलिस का और म्युनिसिपैलिटी फंक्शन है। इन दो फंक्शन्स के लिये अजीब डेमोक्रेसी की खफ्त में आकर इसके ढांचे को केवल इन दो कामों के लिये बढ़ाना चाहते हैं, मार्केट क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र से म्युनिसिपल क्षेत्र से अलग करना चाहते हैं। म्युनिसिपल फंक्शन को, पुलिस फंक्शन को छीनें नहीं क्योंकि इन कामों को लोकल बॉडीज़ अच्छी तरह से कर सकती हैं। ठहरने की जगह देखें कि लोग ऊधम तो नहीं मचाते हैं। वहां जो जिन्स रखी हैं उनमें आग न लग जाय। ये सब प्योर म्युनिसिपैलिटी और पुलिस के फंक्शन्स हैं। इसके लिये अलग क्षेत्र बना कर, वहां लोकल बॉडीज हों तो उनको तोड़ कर, इनोर्मस एक डायार्की की पैदा करना चाहते हैं। इतनी लम्बी-चौड़ी चुनाव कराने की व्यवस्था करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था करके मैं समझता हूँ जो पंचायतें विकेन्द्रीकरण के आधार पर बना रहे हैं

(३.० म.प.)

उनको आप वाजिब शक्ति न देकर उनसे शक्ति छीन रहे हैं। यह शक्ति उनको ही देनी चाहिये। मैं तो समझता हूँ, एक क्षेत्र निर्धारित करके इस प्रकार की व्यवस्था का काम उन्हीं लोकल बॉडीज़ को दे दें या इस प्रकार की समितियों और लोकल बोडीज़ का को-एग्ज़िस्टेन्स कर दें। इन समितियों के लोग चुने हुए हैं उनमें से जो योग्य से योग्य टैक्निकल आदमी आपको दिखते हों उनको नोमिनेट कर दें। इस तरह से १० या १५ आदमियों को नोमिनेट कर दे। मैं समझता हूँ इस प्रकार की व्यवस्था करने से किसी प्रकार के कॉम्प्लीकेशन भी नहीं होंगे। दुबारा चुनाव की व्यवस्था करेंगे, मार्केट क्षेत्र का ऐलान करेंगे, इसमें रुपया खर्च करने वाले हैं। इलेक्टोरल रोल कायम करेंगे, नोमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटिनी होगी, कई ऑब्जेक्शन्स आयेंगे। कोई कहेगा कि यह १०, १५ रुपया लगान देने वाला नहीं है। ये सारी की सारी दिक्कतें होंगी। तो इस जरा से काम के लिये लोकल बोडीज को यह काम न देकर इस प्रकार के पार्किन्स लॉ के अनुसार लम्बी-चौड़ी व्यवस्था करना, यह ओवर जैलस डेमोक्रेसी है, यह जनता पर अनावश्यक बोझा है। जनता के हित में खर्चा होता है तो वह किसी पर भार नहीं पड़ता, पर जनता पर अनावश्यक भार लगाते हैं तो यह समझ लीजिये कि एक सड़क बनाने में जो पैसा काम में आ सकता था उसको आपने फालतू अनावश्यक रूप से खर्च कर दिया।

मैं मिर्जा इस्माइल साहब की पुस्तक पढ़

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

रहा था, उन्होंने लिखा है कि "हिन्दुस्तान में जो इन एफिशियेन्सी आई है वह यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शन के प्रिन्सिपल को लागू किया है, इसलिये है।"

तो मैं समझता हूँ, चुनी हुई समितियों को एडीशनल पॉवर्स दे दें कि मण्डीज़ बनाओ और चलाओ और म्युनिसिपैलिटी और पुलिस को अधिकार हो कि वे मौके-ब-मौके जाकर देखें कि गलत बात तो नहीं है, कानून का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। पर यह अनूनेसेसरी कॉम्प्लीकेशन्स और डबल खर्च की व्यवस्था करना है, यह पर्किन्सन्स लॉ की मनोवृति है। इस मनोवृत्ति के साथ देखें तो एक जरूरी काम के लिये गैर जरूरी व्यवस्था की गई है और कहीं कहीं गैर मुनासिब तरीके से की गई है।

तो इस चीज को इस समय सोचें तो अच्छा है। क्लॉज़ बाई क्लॉज़ इस पर विचार करें; उस समय सोचें तो अच्छा है, प्रवर समिति के सुपुर्द करके सोचें तो अच्छा है या इसको इस समय पास करके फिर अमेंडमेंट लाकर सोचें तो अच्छा है। बस, मुझे इतना ही कहना है।

(श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : मैं मन्त्री महोदय को सूचना दूं कि इस सम्बन्ध में एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर श्री तनसिंह की तरफ से रेज़ किया गया है कि क्लॉज़ ६१ में फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम नहीं है। उसका जवाब पहले दे दें ताकि मैं अपनी व्यवस्था दे दूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : सभापति महोदय, बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल के सिलसिले में तीन वैधानिक आपत्तियां उठाई थीं। एक पर आप निर्णय फर्मा चुके हैं कि इसकी सेंक्शन प्रोपर है प्रेसीडेन्ट की और वह सेंक्शन यहां मौजूद है। दूसरा उनका एतराज था कि इसके लिये फाइनेन्शियल स्टेटमेंट नहीं है जो इसके साथ होना जरूरी है। इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बिल की फाइनेन्शियल व्यवस्था है वह सारी की सारी मार्केट कमेटी के जरिये से है। इसमें जो पैसा खर्च होगा वह मार्केट कमेटी अपने फंड से अपने जरिये खर्च करेगी। इसमें स्टेट के कन्सोलिडेटेड फंड का पैसा खर्च नहीं होगा। इसलिये इस मेमोरेन्डम को इस बिल के साथ लगाने की आवश्यकता नहीं थी।

तीसरा क्लॉज़ १३ के सिलसिले में उनका ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कहा है कि फीस की बजाय सेस किया है, इसकी वजह से यह सारा का सारा बिल कन्सीडरेशन में नहीं आ सकता क्योंकि फीस फिक्स्ड होती है और सेस अन-फिक्स्ड। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिये उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश के तेरह-चौदह प्रान्तों में बिल्स हैं। उनको हमने देखा, दो चार में फीस शब्द इस्तेमाल किया है। बाकी सब में सेस यूज किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने जितनी सारी एक्ट की धाराओं को देखा था उनमें फीस और सेस का एक ही

Page No 80

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मतलब है। फीस जो मार्केटिंग कमेटी तय करेगी वह लाइसेंस फीस जैसी नहीं है। मार्केटिंग कमेटी खरीद के वक्त में विचार कर तय करेगी। इसका नाम कहीं फीस रखा है तो कहीं सेस रखा है। हमारी सिलेक्ट कमेटी ने सोच–विचार के बाद यह उचित समझा कि फीस के बजाय सेस ठीक रहेगा। तो इस वर्ड को चैंज करने से किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ता जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया था।

इस वजह से न तो इसको चैंज करने से कोई असर पड़ता है और न उनका जो एतराज फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के बारे में है उस पर कोई असर पड़ता है। इसलिये इस बिल को कन्सीडर किया जावे और पारित किया जावे।

श्री सभापति : One minute.

A point of order was raised by Shri Tan Singh that since the Bill comes under the category of a Money Bill, as such it ought to have been accompanied by a Financial Memorandum as given in rule 61 of our Rules of Procedure. According to this rule it is of course necessary that a Bill involving expenditure shall be accompanied by a Financial Memorandum. Article 199 of the Constitution explains Money Bill as providing expenditure charged on the Consolidated Fund of the State. The clauses of the Bill in question do not provide for any expenditure from the Consolidated Fund of the State, rather the expenditure under the Bill shall be charged out of the funds of the Market Committee. It consequently follows that the point of order raised by Shri Tan Singh is without foundation.

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस बिल के बारे में प्रस्ताव रखा कि इसको दुबारा सलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जावे इस सिलसिले में जो माननीय सदस्य ने बहस की उसके बारे में मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है कि जिस समय भाषण दिया गया था उस समय मैं मौजूद नहीं था, फिर भी जो कुछ पोइन्ट्स उन्होंने उठाये और मेरे सामने आये उनके बारे में काफी विस्तार से शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रकाश डाला। मैं भी उनके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। सदन में इधर और उधर बैठने वाले सदस्यों ने, जिन्होंने इस बहस में भाग लिया और भाषण दिये, मैं समझता हूँ, इस

Page No 81

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बिल की आवश्यकता को सभी ने स्वीकार किया है और एक मत से आवाज उठाई है कि यह सदन इसके पक्ष में है कि यह कानून जो बनाया जा रहा है वह राजस्थान के समूचे किसानों के हित में है और जल्दी से जल्दी इसको पास करना चाहिये । यही आवाज सदन के चारों ओर से सुनने को मिली । यह ठीक है, सभापति महोदय, इस कानून की बहुत आवश्यकता है । हमारे राजस्थान में यह कानून बन रहा है । यह कानून हिन्दुस्तान के सभी सूबों में करीब करीब बन चुका है सिवाय थोड़े से सूबों को छोड़ कर । क्योंकि हमारी प्लॉन्ड इकोनोमी है और जिसमें से हम गुजर रहे हैं उसके बेसिस हमारे ८० पर्सेन्ट किसान हैं और वे अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावें ताकि हमारे देश के लोगों को, जिनको ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है और सब लोगों को ज्यादा तादाद में मुहैय्या कराई जा सके । किसान इस दिशा में लगे हुए हैं और हमारे देश के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं । जो प्रोडक्शन बढ़ा है उसका उचित मूल्य किसानों को मिले, इसकी व्यवस्था करनी चाहिये और यह हमारा मार्केटिंग बिल जो है वह इस प्रकार की व्यवस्था करने में सफल हो सकेगा । वैसे तो सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि बाजार में जहां किसान लोग अपनी चीजों को बेचते हैं वे अलग अलग आज भी हमारे प्रान्त में मंडियों के रूप में मौजूद हैं, लेकिन जिस प्रकार की कमजोरियां और तकलीफें किसानों के सामने आती हैं उनको भी माननीय सदस्य खुद समझते हैं और जानते हैं । इसलिये जो कमियां और कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिये हम कानून के द्वारा बाजारों की व्यवस्था करना चाहते हैं जिससे वे अपने सामान को ठीक ढंग से बेच सकें । एक तरह से नियंत्रित बाजार हों और वहां की व्यवस्था हमारे बाजार की मंडी कमेटी करे । उनका कर्तव्य होगा कि वे किसानों को जिन सहूलियतों की आवश्यकता हो उपलब्ध करें । उनके लिये ठीक तरह के इन्तजाम हों, अच्छे बाट हों । गाइडिंग की जो भी व्यवस्था होनी चाहिये हो । जो चीज देश से बाहर जाती है उसके लिये भी पूरा प्रबन्ध हो । यह सब हम तभी कर सकते हैं जब हमारे यहां इसके लिये प्रबन्ध हो । हमारे यहां जो चीजें मौजूद हैं वे किस प्रकार की चीजें हैं ? इस बिल के पीछे जो शिड्यूल दिया है उसमें सब दिया हुआ है । वे सारी चीजें हैं जो खेतों से उत्पन्न होती हैं । फिसेज जो टैक्स से उपलब्ध करते हैं, आदि सभी चीजों के लिये जो हम उपलब्ध करते हैं इस प्रकार के मार्केट हमको हमारे प्रान्त के हिस्सों में कायम करने चाहिये ।

कौन मंडी कमेटी को बनावेगा, यह क्लॉज़ १ में दिया है और इसके बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक संशोधन रखा है । जैसे उन्होंने इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये बात कही, उसमें उन्होंने कहा है कि ये शब्द निकाल दिये जावें । "वे किसान जो हायर्ड लेबरर्स से काम कराते हैं खुद काम नहीं करते", ये शब्द बाहर निकाल देने चाहिये । मेरे ख्याल से, सभापति महो-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दय, उन्होंने इसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कही और ये शब्द हटाने की बात कही उन दोनों को मैं ठीक नहीं मानता हूं। क्योंकि इस प्रकार की डेफिनिशन टिनेन्सी लॉ में है रेवेन्यू लॉज़ में पर्पजली रखी हैं, और देश की हालत को देखते हुए यह रखना जरूरी है। यह दूसरी जगह पर भी है। जब हम वहां से उनको नहीं हटा पाये हैं तो मैं समझता हूं कि इसको हटाने से कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा। जो लोग बाहर रहते हैं वे इस प्रकार के बड़े किसान हैं। वे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हैं और उनको अगर प्रोपर मार्केटिंग में हिस्सा नहीं मिले तो मैं यह कहूंगा कि यह उपयुक्त व्यवस्था नहीं कही जा सकती। इसलिये वे मार्केट कमेटी के फोर्मेशन में हिस्सा ले सकें, इसके लिये यह प्रावधान किया गया है। मेरे ख्याल से यह उपयुक्त बात है। इसलिये एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन में जिस प्रकार का संशोधन चाहते हैं वह मेरे ख्याल से हमारे दूसरे किसी प्रान्त में नहीं है। इसलिये इसमें संशोधन करना उचित नहीं होगा। वे लोग बड़े साधन वाले और अक्ल वाले हैं, बड़ी अक्ल के होते हैं। अगर उनको इसमें लेने से वंचित कर दिया जाता है तो हमारे यहां सारे किसान हैं, जो उनकी अक्ल और ज्ञान का फायदा उठा सकते हैं और वे जो अपने ज्ञान से फायदा पहुंचा सकते हैं उससे वंचित रह जावेंगे। इसलिये न तो क्लॉज़ में, न कानून में किसी प्रकार का अमेंडमेंट करने की जरूरत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बड़ी अक्ल से आपका मतलब मोटी अक्ल से तो नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मोटी अक्ल से मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब ज्यादा समझदार से है।

इसमें जो क्लॉज़ ८ में एग्रीकल्चरिस्ट के ७ नुमायन्दे रखे हैं उनसे चुनाव के लिये जो राज्य सरकार मान्यता देगी वे हो सकेंगे। इस क्लॉज़ में इसके साथ साथ यह है कि ७ तो इलेक्टेड होंगे, १०) रुपये देने वालों के होंगे और दो ऐसे होंगे जो नोमिनेटेड होंगे, जिसको राज्य सरकार ने मान्यता दी है। मेरे ख्याल से ऐसा बताया है कि जो संगठन अपना विधान बनाता है, अपने को रजिस्टर कराता है, जिसकी मेम्बरशिप होती है और जो आगे से आगे बढ़ती रहती है और इस प्रकार के संगठन किसानों की समस्याओं को लेकर काम करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि अमुक संगठन ठीक है और अमुक संगठन ठीक नहीं है। राजनीति से दूर रह कर आज जो संगठन बने हुए हैं और जो आगे भविष्य में बनाये जा सकते हैं वे अलग अलग पहलुओं से किसानों की समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं और उन समस्याओं को हल करने की दृष्टि से उस संगठन के द्वारा किस प्रकार की व्यवस्था की जाय, वही वे करते हैं और वे एक विधान के माफिक काम करते हैं। इस प्रकार के संगठन आज बने हुए हैं और आगे बन सकते हैं। इन मण्डी कमेटीज़ में यदि उन्हें रिप्रजेन्टेशन देते हैं तो इसी मकसद से देते हैं कि किसानों का प्रतिनिधित्व सही तरीके से हो और मार्केट का नियन्त्रण करने में वे ठीक प्रकार की सहायता दे सके। इस प्रकार का क्लॉज़ इस

Page No 83

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बिल में जोड़ने की हमारी मंशा है। इन सब बातों को साथ में जोड़ कर यह मान कर चल सकते हैं कि इन संगठनों के द्वारा सही प्रतिनिधित्व मण्डी कमेटीज़ में हो, इसी दृष्टि से इसको रखा गया है। तो जो व्यवस्था की गई है वह उपयुक्त है और क्लॉज़ में जो व्यवस्था की गई है वह काफी सोच विचार करने के बाद ठीक प्रकार से की गई है।

उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि फाइनेन्सिग एजेन्सीज़ क्या होंगी ? हमारे यहां पर सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, अपैक्स बैंक है जो उन मण्डी कमेटीज़ को मदद दे सकते हैं और उनको अच्छी तरह से चला सकते हैं।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कोऑपरेटिव सेन्ट्रल फाइनेन्स एजेन्सी का रिप्रजेन्टेटिव रखा है; इस नाम की कोई बॉडी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस नाम को कोई बॉडी नहीं है ? इस प्रकार के कई ऑर्गेनाइज़ेशन्स हैं। सेन्ट्रल बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है उनकी ब्रान्चेज़ खोल सकते हैं। लैंड मॉर्टगेज बैंक जिला लेवल पर है और आगे खुल सकते हैं। ये जो सारी एजेन्सीज़ हैं उनको मिला कर सेन्ट्रल एजेन्सी का नाम दिया है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : Then it is not used as a proper noun but as a genus.

श्री नाथूराम मिर्धा : जी। उनका प्रतिनिधित्व इसमें हो, वह वाजिब है और रहना चाहिये। फाइनेन्शियली भी ऐसी कमेटी में रखना चाहिये जहां उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ बैठेंगे, तो वे इन कमेटीज़ के मददगार होंगे और उन कमेटीज़ को मदद और स्ट्रेन्थ देने वाले ही होंगे।

उसके बाद में धौलपुर से आये माननीय सदस्य ने दलील दी। उन्होंने यह तो समर्थन किया कि इसको पास कर देना चाहिये। उन्होंने खास तौर पर यह कहा कि मार्केटिंग ऑफिसर पहले रखा था उसको काट करके उसकी जगह डाइरेक्टर एग्रीकल्चर कर दिया, वह अच्छा नहीं किया। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मण्डी कमेटी का अलग इलेक्शन होगा, कौन प्रतिनिधि होंगे, कैसे चुनी जावेगी और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पार्किन्सन लॉ का उदाहरण देते हुए बताया कि इस प्रकार का सेठ-अप करने की आवश्यकता नहीं है। तो धौलपुर से आये माननीय सदस्य ने कहा कि सिलेक्ट कमेटी में जाने से पहले जो एजेन्सी थी उसको काट देने की क्या आवश्यकता थी और उन्होंने कहा कि पार्किन्सन लॉ की स्थिति बन जावेगी। दोनों ही माननीय सदस्य इधर से उधर खींच कर बात कर रहे हैं। सिलेक्ट कमेटी ने इस पर विचार किया और यह सोचा कि डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के ही हाथ में इसको दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि जिन मार्केट्स को हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो शुरू शुरू में उनकी तादाद राजस्थान में अधिक होने वाली नहीं है। जब थोड़ी तादाद में होंगे तो एक ऑफिसर का अपोइन्टमेन्ट अलग से पहले से ही कर दें तो हमारे एक्सचेकर पर एक अननेसेसरी बर्डन होगा। जब तक नियन्त्रित मार्केट्स कायम न हो जाय तब तक डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जिनके अन्तर्गत अभी काम होता है, डिप्टी डाइरेक्टर भी रहते हैं, वे ही इसको सम्हालें तो ठीक रहेगा और खर्चे में भी बचत होगी। तो इस कारण से सिलेक्ट कमेटी ने इसको बदल दिया। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि मार्केटिंग कमेटीज़ के बारे में जो प्रावधान रखा है कि ७ किसानों के प्रतिनिधि हों, दस रुपया रेन्ट देने वालों की वोटर्स लिस्ट बने, उस पर एतराज मांगे जायं, तो इन सारे कामों को करने के लिए लाइसेन्स लेकर जिन्होंने मार्केट कायम किये हैं वे व्यवस्था करें, वोटर्स लिस्ट बने, नुमाइन्दे आवें, यह करना जरूरी है। पंचायत समितियों द्वारा यह हो जाय, ऐसा कहा गया। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार की कई संस्थायें हैं जो इन कामों को करती हैं और उनके साथ मार्केटिंग जोड़ देंगे तो शुरू शुरू में नया नया ऑर्गेनाइजेशन होगा वह ठीक नहीं रहेगा इसको डेवलप करके ब्रॉड करना चाहते हैं ताकि कमियां न रह जाय और वे अच्छे संगठन आगे जाकर बने, इसको भी ध्यान में रखना है। सारा का सारा जिम्मा इलेक्टेड नुमाइन्दों पर डाल दें तो वह व्यावहारिक नहीं होगा। जो संगठन बनाना चाहते हैं उसका जो उद्देश्य है उसको यदि हम ध्यान में रखें तो इसके प्रतिनिधि राजनीति से अलग हों और बिना राजनीति को इसमें लाये ये चलें तो अच्छी तरह से चल सकेंगे। पंचायत और पंचायत समितियों के और भी फन्क्शन्स हैं और उनके साथ इसके फन्क्शन्स को जोड़ दिया गया तो दिक्कतें ज्यादा आने वाली हैं बजाय फायदे के। जिस दृष्टिकोण से इसको बनाने का विचार है, इसके सेट-अप को जमाना है। खर्च का बोझ राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा। वे ही उसके आर्थिक बोझ को सहन करेंगी और आगे चल कर जिस उद्देश्य से वे बनेंगी उन सारी बातों और जिम्मेदारियों को वे वहन करेंगी। दूसरे संगठनों के साथ इसको मिला देना उपयुक्त नहीं होगा और वाजिब न होने से इसको अलग ही रखना उपयुक्त है।

उन सारे दृष्टिकोणों से माननीय सदस्यों ने बहस की और कई मुद्दे उठाये। मेरे ख्याल से ऐसा कोई मुद्दा नहीं रह जाता है जिससे इसको वापिस नयी सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और वहां जाकर नये रूप से इसके खुलासे की आवश्यकता हो। काफी पहले से ही चर्चा होकर यह लाया गया है। बहस के दौरान में जो मुद्दे उठाये गये उनको साफ कर दिया गया है और मैंने भी अपने विचार सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखे। मैं महसूस करता हूं कि इसको वापिस सिलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं है। मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस प्रस्ताव को विथ्ड्रॉ करें और सदन के माननीय सदस्य इसको क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पारित करने की कृपा करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, मैंने जो राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट बिल को नई सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव किया है और माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया उसके सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहूँगा।

श्री सभापति : Either you withdraw it...

Page No 85

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कट मोशन्स के बारे में तो व्यवस्था है लेकिन सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री सभापति : सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने के लिए भी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कट मोशन के बारे में तो ऐसी व्यवस्था है कि राइट ऑफ रिप्लाई नहीं होता है। सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए मेरा मोशन है, उसके लिए यह नियम है कि reply by the mover of the motion concludes the debate. मेरा सजेशन है कि मैं जब तक मोशन के बारे में जवाब न दे दूं डिबेट नहीं होगी आगे क्लॉज़ पर।

श्री सभापति : It is a sort of amendment in the motion moved by the Hon'ble minister that the Bill be taken into consideration. You have moved an amendment that it be recommitted to the Select Committee.

प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रॉड्यूस मार्केट्स बिल पर जो संशोधन प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रॉड्यूस मार्केट बिल १९६० को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज २

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : I move that in clause 2, "elete the word 'ordinarily' and also the words 'or by his tenants or hired labour or otherwise,' occurring in part (ii)"

माननीय सभापति महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उस सम्बन्ध में जब बिल को वापिस प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये प्रस्ताव रखा था उस समय अपने विचार प्रगट कर दिये थे। मैंने उस समय यह कहा था कि एग्रीकल्चरिस्ट की जो परिभाषा दी गई है उसे हमें बदलना चाहिये। माननीय मन्त्री महोदय ने अभी उत्तर दिया उसमें उन्होंने केवल यह दलील दी कि बाकी के जो भूमि सम्बन्धी कानून हैं उनमें भी इसी प्रकार की परिभाषा है इसलिये हम दूसरी किसी प्रकार की परिभाषा यहां ला नहीं सकते। मैं यह समझता हूँ यही एक सवाल है जिस सवाल पर प्रवर समिति को विचार करना चाहिये कि आया इस वर्तमान परिभाषा में परिवर्तन सम्भव है या नहीं। लेकिन मेरी यह मान्यता है कि इसमें परिवर्तन करने का सवाल जो खड़ा हुआ है कि वह ऐसा है कि किसी न किसी दिन किसी न किसी विधेयक में किसी न किसी कमेटी को इस पर विचार करना होगा। आज जिस प्रकार की परिस्थिति चल रही है उसमें हम एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा में उन लोगों को रखें या न रखें जिनके जीवन का निर्वाह वास्तविक रूप से

Page No 86

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

खेती के जरिये न हो। मैं समझता हूँ कि हमें इस बारे में विचार करना होगा। मेरी स्वयं की मान्यता है कि भूमि के बारे में या एग्रेरियन रिफॉर्स के बारे में जब हम विचार करते हैं उनको रेशनिलाइज़ और रीआर्गेनाइज़ करने का विचार करते हैं तो हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि आज जमीन किसको देना चाहते हैं, किसका अधिपत्य उस पर मानना चाहते हैं। यही कारण है कि एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा तरमीम नहीं करने जा रहे हैं। इसी के कारण भूमिहीन किसानों को जितनी भूमि मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पा रही है। टिलर ऑफ दी सोइल को भूमि मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पाती। आज हमें देखने को मिलता है कि कई हरिजन भाई ऐसे हैं जिनको जमीन नहीं मिल पाती है। इसका एक मात्र कारण यह है कि जो जमीन पर काबिज नहीं, किसी प्रकार से जो खेती में कन्ट्रीब्यूशन नहीं दें वे तो जमीन पर काश्तकार बने हुए हैं। एग्रीकल्चरिस्ट के नाम पर वे जमीन के मालिक बने हुए हैं। मैं समझता हूं, सभापति महोदय, एग्रीकल्चरिस्ट की जिस प्रकार की परिभाषा रखी है उसका नतीजा यह होगा कि सेक्शन ६ की तहत जिसका कम्पोज़ीशन होता है, दस रुपये से ऊपर लगान देने वाले व्यक्ति होंगे उनके सात प्रतिनिधि होंगे, लेकिन जिन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आप मान्यता दे रहे हैं वे किसानों की संस्था नहीं।

इस क्लॉज के अन्दर जहां आपने दस रुपया लगान देने वाले की बात रखी है वहां इस प्रकार की परिस्थिति आ सकती है कि दस रुपया लगान देने वाले जो व्यक्ति होंगे वे प्रभावशाली व्यक्ति होंगे, शक्तिशाली होंगे, वे ऐसे किसान होंगे जो खुदकाश्त नहीं करते होंगे, मजदूरों से खेती कराते होंगे, वे लोग सारेके सारे मार्केट कमेटी पर छा जायेंगे। इससे मैं समझता हूँ कि इस बिल का जो मकसद है किसानों को राहत देने का, उसकी पैदावार की अच्छी कीमत मिल सके, यह जो मन्शा थी यह गरीब काश्तकारों के लिये हो सकती है। जिनके पास पैसे का साधन नहीं, यातायात की व्यवस्था नहीं उनके लिये यह बिल लाया गया है। गरीब काश्तकारों को राहत देना, मैं समझता हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा को देखते हैं तो उसके अनुसार जो खुदकाश्त नहीं करता, जो बड़ा जमींदार या जागीरदार है, जिसके पास बहुत तादाद में जमीन है, जिसके पास बिग लैन्ड होल्डिंग है वे ही लोग इस मार्केट कमेटी पर कब्जा कर लेंगे। हमारे राजस्थान में सिलिंग लागू नहीं हुआ है। बड़े बड़े लैन्ड होल्डिंग्ज़ अभी तक इन लोगों के पास मौजूद हैं। एक ही परिवार के लोगों में, जिसमें पांच सदस्य हैं अलग अलग जमीन का विभाजन हो रहा है। उसका नतीजा यह होगा कि इस प्रकार के जो चुनाव होंगे इनमें सारे के सारे ही एग्रीकल्चरिस्ट होंगे जो जमीन को जोतते नहीं, गांवों में रहते नहीं। मार्केट कमेटी के कॉन्स्टीट्यूशन का सवाल आयेगा वे खड़े हो जायेंगे। सभापति महोदय, मुझे इस बात का भय है कि अपने प्रभाव के कारण, बल के आधार पर, मेनुपुलेशन के आधार पर वे मार्केट कमेटीज़ पर कब्जा कर लेंगे। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन्स किसानों के बने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हुए हैं, जिनके लिये माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि उन्हें सरकार ने रिकॉग्नाइज़ किया है। आज इस प्रकार के रिकॉग्नीशन की कोई व्यवस्था नहीं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। ये रिकॉग्नाइज्ड इन्स्टीट्यूशन्स बनी हुई हैं उनमें से एक-दो के लिये मुझे पता है। राजस्थान भर में इस कृषक समाज में कौन कौन हैं, मैं इस समय किसी की आलोचना करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस कृषक समाज के कर्ता धर्ता ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी तरह से वकालात करते हैं। मैं कहूँ कि मैं बड़ा काश्तकार हूँ, एग्रीकल्चरिस्ट हूँ तो यह कैसे माना जा सकता है? मैं सदन में आता हूँ, वकालात करता हूँ। कभी किसी समय किसान बन गया तो क्या बात है? लेकिन मैं यह कहूँ कि किसानों के फॉर्मर फोरम में मैं हूँ यह कदापि हो नहीं सकता। इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स रिकॉग्नाइज्ड हैं जिनको किसानों का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। इसमें जो पर्सेन्टेज है उसको देखते हुए किसानों के बहुत कम लोग इसमें मेम्बर हैं। इसमें जो पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं सर्वेसर्वा और जो इसके शासन को चलाने के स्त्रोत हैं वे सारे के सारे अधिकांशतः किसान नहीं, खेती नहीं करते। हो सकता है किसानों का जाकर एक्सप्लॉइटेशन करते हों। उनके खेतों में मजदूरों से खेती होती होगी लेकिन आज वे एग्रीकल्चरिस्ट का लाभ उठा रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय को इस परिभाषा को बदलने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि बाकी जो भी कानून हैं उनमें इसी प्रकार की परिभाषा है, लेकिन आखिर शुरुआत तो किसी न किसी को करनी होगी। अगर आप को यह अच्छा लगता है तो आप शुरुआत अपने से ही क्यों नहीं करते? आज सदन के सामने जो सवाल खड़ा हुआ है तो एग्रीकल्चरिस्ट की डेफीनिशन को हमें बदलना होगा। अगर हम इसको नहीं बदलते हैं तो जो जोर-जबर लोग होंगे, इस प्रकार से मजदूरों से खेती कराते होंगे वे मार्केट कमेटी में छा जायेंगे, और इससे मार्केट कमेटीज बनने का जो उद्देश्य है वह एक प्रकार से असफल हो जायेगा। इसी दृष्टि से मैंने प्रस्ताव रखा है। माननीय मंत्री महोदय को इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि दूसरे कानूनों में किस प्रकार की व्यवस्था है। हमारे किसानों के हित की दृष्टि से, राहत पहुँचाने की दृष्टि से, कौनसी व्यवस्था उचित है उसको हमें करना चाहिये। उसका प्रारम्भ हमें पहले करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : माननीय सभापति महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो तरमीम रखी है उसका मैं विरोध करता हूँ। इस सम्बन्ध में पहले भी मैंने अपने विचार विस्तृत रूप से व्यक्त कर दिये हैं। बात यह है कि एग्रीकल्चरिस्ट की जो परिभाषा प्रचलित कानूनों में है उससे डिफ्रेन्ट रखने से जमीन से ताल्लुक रखने वाले जो आदमी हैं जिनको प्रचलित कानूनों के अन्तर्गत जमीनें मिल गई हैं उससे वंचित रखना है। हम उनको वंचित रखना नहीं चाहते। जहां तक मार्केटिंग का सवाल है उससे लाभ उठाने का सवाल है रेग्युलेटेड

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मार्केटिंग की व्यवस्था की है यह हमारा अन्तिम लक्ष्य नहीं है, यह तो शुरुआत है। हम ऐसी भी व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें ट्रेडर और दूसरे ट्रेडर के बीच में खरीद फरोख्त आदि हो, उनको रेग्युलेट करें। ऐसा बम्बई वगैरह में हो रहा है। जब तक हम अन्तिम लक्ष्य तक न पहुँच जाय, उसके पहले ही कानून द्वारा जो लाभ पहले से मिला हुआ है उससे कोई वंचित न रह जाय, यह हमें ख्याल में रखना है।

इसके अलावा दो बातें और निवेदन करना चाहता हूँ। इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (२) में बाई लॉज़ की डेफिनिशन दी है:

"bye-laws' means bye-laws made under section 32," जिस वक्त ये शब्द लिखे गये थे, ३२ ए एग्जिस्टेन्स में नहीं था। ३२ ए में यह है कि यदि कोई कमेटी अपने बाई-लॉज़ नहीं बना सकती या बना सकी तो डाइरेक्टर को अधिकार होगा कि वह बाई लॉज़ बनावे मार्केटिंग कमेटी के फंक्शनिंग के लिए और वे फोर्स में आवेंगे तब तक जब तक कि कमेटी अपने बाई-लॉज़ नहीं बना लेती है। तो ३२ ए को इन्क्लूड नहीं किया है, इसलिये आपकी आज्ञा से और मन्त्री महोदय की सहमति से ही यह रख रहा हूँ कि:–

"In parts (y) & (x) of clause 2. after the word and figure" section 32.' add '32A'

यह ३२ ए और बढ़ा दिया जावे।

और यही सब क्लॉज़ (१०) में है। जहां रिटेल सेल की डेफीनिशन दी है:

"retail-sale' means a sale of any agricultural produce not exceeding such quantity as a market committee may, by bye-laws made under section 32, determine to be a retail sale in respect of such agricultural produce,"

इसमें भी ३२ के आगे बढ़ा दिया जावे ३२ ए और इसको अगर नहीं बढ़ावेंगे तो ३२ ए की तहत बनाये हुए बाई-लॉज़, बाई-लॉज़ की परिभाषा में नहीं आवेंगे और अगर ये बाई-लॉज़ की परिभाषा में नहीं आवेंगे तो इन बाई लॉज़ की इन्फ्रिन्जमेंट पर पेनल्टी नहीं लगा सकें और इनके पालन के लिए किसी को बाध्य भी नहीं किया जा सकेगा और ये बेकार रहेंगे, फंक्शन में नहीं आ सकेंगे। इसलिए निवेदन करूंगा कि ३२ के बाद में ३२ ए और बढ़ा दिया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of order, Sir, The Hon'ble member was a member of the Select Committee.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I am not moving any amendment to change the spirit of the Bill. These words have been omitted by oversight and, therefore, I request that this may be corrected.

श्री सभापति : With the premission of the Chair, he wants to move an amendment, provided the Hon'ble minister has no objection.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But there is no amendment.

Page No 89

श्री सभापति : What he actually means to say is that it was a mistake by oversight.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But who can say that this was a mistake by oversight ?

श्री सभापति : He explains it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If it is by oversight it can be corrected, as we have received corrigenda. It could be issued that way. But so far as the Hon'ble member is concerned he is absolutely without justification when he says that it was through oversight.

श्री सभापति : That is why I have already mentioned that...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The Hon'ble. member should have forethought that this omission will have far-reaching consequences. Then he had no foresight, now he says it is oversight.

श्री सभापति : Now there is one more amendment.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, मैं जरा एक मिनट के लिये कहना चाहता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : मेरा खुद का अमेन्डमेंट है। एक आपका है, एक मेरा है।

डॉ० बहादुरसिंह : आप मूव कर रहे हैं क्या ? मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूं आपसे। आप अपना अमेन्डमेंट मूव कर दीजिये पहले।

श्री नाथूराम मिर्धा : That is clause 2. In part (viib) of sub-clause (1) of clause substitute 'or' for 'and'.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जो भी कुछ हो, अमेन्डमेंट पहले मूव हो जावे।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मेरा तो छोटा सा है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): सक्यू लेट नहीं हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : हुआ है।

श्री सभापति : it is for circulation only.

डॉ० बहादुरसिंह(धौलपुर): क्लॉज़ २ पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बारे में जो परिभाषाएं हमारी हैं वे वास्तव में कृषि की परिभाषा से कुछ इस प्रकार की भिन्न सी बन जाती हैं कि जो कभी भी कृषि का काम नहीं करते पर जिनका पैसा किसी कम्पनी के शेयर में लगा है: मान लीजिये मैं स्वयं हूँ तो मैं कृषि के काम से परे होकर भी पैसे के जोर से काश्तकार बन सकता हूँ। इसी तरह होर्टिकल्चर, एनीमल हस्बेन्डरी में भी होगा। इनमें अगर आदमी का पैसा लगा है तो

(डॉ० बहादुरसिंह)

वह एग्रीकल्चर की परिभाषा में आ जावेगा। इस सम्बन्ध में फिर सोच लें। वह तो सवाल यहां आवेगा। एक व्यक्ति जिसको टीनेन्सी के अधिकार थे उसको हटा रहे होते तो मुआवजा देने वाली बात आती। तो उस वक्त इस प्रकार की परिभाषा होती तो उपयुक्त थी। एक व्यक्ति जो कभी एग्रीकल्चरिस्ट नहीं रहा, एक परिवार में जन्म है इसलिये पार्टीशन में अधिकारी है। संयुक्त परिवार में ऐसे कई व्यक्ति हो सकते हैं। पर इसमें हमें और सोचने की जरूरत है कि जो यह संशोधन जौहरी बाजार, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य की ओरसे आया वह इस दृष्टि से काफी वजनदार है। उस दृष्टिकोण से हमें सोचना चाहिये कि किसान की डेफिनिशन वास्तव में क्या हो।

दूसरी बात डाइरेक्टर के बारे में थी। मेरा इतना ही निवेदन है कि इससे हम आगे जाकर डाइरेक्टर ऑफ मार्केटिंग को सब्स्टीट्यूट कर सकेंगे और यह इस तरह की परिभाषा करने से हमेशा के लिये हो जावेगा। प्रारम्भ में दिक्कत नहीं होगी, पर आगे जब बढ़ेंगे तो उस वक्त परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। पहले जैसा ओरिजिनल रहता तो इसमें उपयुक्त होता।

दूसके सब क्लॉज़ में कृषक की परिभाषा जब कर चुके हैं तो आप कहते हैं डिस्प्यूट होगा तो डाइरेक्टर तय करेगा। डिस्प्यूट का सवाल ही नहीं आवेगा। जब दस रुपयों का लगान देने की बात कह दी तो जो अपने पास से देता है वह हो गया। इसमें उसके तय करने की क्या बात है? क्योंकि इससे फिर एक गड़बड़ी होगी। कोई भी व्यक्ति होगा तो वह एतराज कर देगा कि यह एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है और डाइरेक्टर के हाथ में तय करने की बात आ गई। तो ऐसा प्रश्न ही उपस्थित न हो और लोगों को फालतू झंझट में न पड़ना पड़े। तो इसलिये इस सम्बन्ध में उप क्लॉज़ (२) को हटा देते हैं तो दिक्कत नहीं होगी।

दूसरा, ब्रोकर्स और कमीशन एजेन्ट्स की भी अलग अलग परिभाषा करते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : १०) रुपये रेट देने वाले में सब आ जावेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : नहीं आवेंगे।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : तो हमारा एक्ट इसमें भी आता है।

डॉ० बहादुरसिंह : ब्रोकर और कमीशन एजेन्ट में अलग अलग डिस्टिंक्शन कर दें तो अच्छा है। ब्रोकर का काम है किसान का सामान आवे तो उसको लेकर किसी दूकानदार को बेच देना और कमीशन एजेन्ट उसको खरीदता है और बाहर एक्सपोर्ट कर देता है। ब्रोकर का काम है अच्छे भाव पर माल बेचने की कोशिश करना और कमीशन एजेन्ट वह है जो उसे या तो अपना कमीशन लेकर उसी समय दूसरे को बेच दे या स्वयं खरीद कर उसे री–सेल करे। तो इन दोनों में अन्तर है। कमीशन एजेन्ट अड्डा जमा कर बैठता है, ब्रोकर चालू खाता रखता है। पर इस सम्बन्ध में आप विचार कर लें। दोनों की अलग अलग परिभाषा हो जावे।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, अभी यह दलील दी गई कि एग्रीकल्चरिस्ट की जो डेफिनिशन है वह जो दूसरे एक्ट हैं उनकी समानता में रहनी चाहिए। उसकी डेफिनिशन टीनेन्सी एक्ट में यह दी हुई है :

" Agriculturist shall mean a person, who by himself or by servants or tenants, earns his livelihood, wholly or principally, by agriculture or by cattle breeding."

यहां पर हायर्ड लेबर को इसमें इन्क्लूड किया है यह टीनेन्सी एक्ट में नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय....

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका कोई अमेन्डमेंट है ?

श्री भोगजीभाई : जो अमेन्डमेंट आया है मैं उसके समर्थन में बोलना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूँ। जो संशोधन इस बिल में बहुत ही जरूरी था और जिसे उन्होंने रखा है उसको देखते हुए मैं यही कहना चाहता हू कि किसानों के प्रतिनिधियों के नाम पर कुछ व्यक्ति इस प्रकार से ऊपर से जबरदस्ती थोपे जायं और किसानों को फायदा देने की बात कहें और इस बिल को प्रगतिशील मानते हैं तो फिर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगायें और कुछ खास लोगों को इसमें रखें तो यह सब लोगों के फायदे की चीज़ नहीं होगी क्योंकि किसानों की उपज का सही मूल्य का फायदा उनको मिले, उस उद्देश्य से इस बिल को बनाया गया है। इस बिल में यह परिभाषा दी जाये कि कोई भी काश्तकार जो मज़दूरों से खेती करवाता है या दूसरी प्रकार से खेती करता है और खुद मालिक नहीं है और एक बहुत बड़ा किसान है उन किसानों को प्रतिनिधि बनाने के बाद मार्केटिंग सोसाइटी में लिया जाये और वही मिल कर इसमें किसानों के लिए बुद्धि और ज्ञान से फायदा देंगे। यही उसमें परिभाषा है। माननीय मन्त्रीजी ने अभी यह बताया था कि बड़ी बुद्धि वाले लोगों को लाना जरूरी है और छोटी बुद्धि वाले बड़ी बुद्धि वालों से फायदा उठायें। इस प्रकार की संकुचित भावना से उन लोगों को फायदा नहीं मिलेगा जिनके लिए हम कहते हैं कि ८० प्रतिशत लोग गांवों में रह कर खेती पर निर्भर रहते हैं। उन लोगों का ऐसे लोग जो शोषण करते हैं लेन-देन के मामले में, यानी किसान लोग जो अपना अनाज मण्डियों में बेचने के लिए ले जाते हैं उनका शोषण करते हैं। उसको बचाने के लिए बिल बना रहे हैं तो फिर भी आप प्रतिबन्ध लगायें कि इसमें ऐसे लोगों का रहना जरूरी है। और शोषण करने वाले लोग फिर से हावी हो जायं तो बेहतर है कि माननीय मन्त्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार कर लें और वहां के छोटे छोटे काश्तकार चाहे वे किसी भी तरह से खेती करते हों उन्हीं काश्तकारों को काश्तकार मार्केटिंग सोसाइटी

Page No 92

(श्री मोगजीभाई)

में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रहे ऐसी मेरी मान्यता है और इस पर दूसरे माननीय सदस्य भी बोलेंगे और इस संशोधन को मन्जूर करना बहुत जरूरी है।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : माननीय सभापति महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं उसके पक्ष में दो–चार शब्द कहना चाहता हूँ। माननीय मन्त्री महोदय ने कुछ देर पहले सदन के सामने यह राय जाहिर की कि बड़े काश्तकारों को इसमें रखने से छोटे काश्तकारों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है; क्योंकि बड़े काश्तकार अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। यह तो एग्रीकल्चरिस्ट का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न है उत्पादन का कि जो काश्तकार उत्पादन करता है उसके उत्पादन का सही मूल्य बाजार में मिले। यह व्यवस्था इस बिल के द्वारा की गई है। मेरी समझ कुछ इससे थोड़ी विपरीत है। जिस प्रकार से दूसरे दूसरे कानूनों के अन्दर काश्तकारों की जो परिभाषा दी है उसी परिभाषा को हम यहां लागू करते हैं तो उससे नुकसान होने का अन्देशा है। जो लोग खुदकाश्त नहीं करते और दूसरों के जरिये या हिस्सा पांती रखते हैं इस प्रकार के जितने भी काश्तकार हैं वे शहरों के अन्दर रहते हैं। आज से बीस, तीस या चालीस वर्ष पहले वे सभी काश्तकार गांवों में रहने वाले थे और वे गावों से उठ कर शहरों में आ गये। लेकिन आज बड़े बड़े काश्तकार खेती पेशा के न रह कर व्यापार लाइन में आ गये हैं और इस कानून के अन्तर्गत क्लॉज़ २ के अन्दर यह प्रावधान रखा है कि चाहे कोई दूसरों से खेती करवाये उसको भी अधिकार है कि जो ७ मेम्बर्स काश्तकार की तरफ से मार्केटिंग कमेटी में लिए जायेंगे उसमें वह आ सकते हैं। तो इससे यह आशंका है कि इस प्रकार के जो बड़े

(४. म. प.)

बड़े काश्तकार हैं जो व्यापार करते हैं या जिन्होंने दूसरा धंधा कर रखा है जो आदमी ज्यादा समझदार हैं वे आदमी बुद्धि के बल से अपना जोड़-तोड़ बैठा कर कमेटी में आ जायेंगे और यह आशंका है कि उन्हीं के रिश्तेदार या उन्हीं के खानदान वाले आदमी........

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : कमेटी में आकर भाव कम कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री हरिप्रसाद यादव(वल्लभनगर-सु.): कोई भी आदमी लाइसेन्स ले सकता है, एक विशेष व्यक्ति का प्रश्न नहीं है।

श्री लच्छूराम : लेकिन वह हर प्रकार की बदमाशी करने की कोशिश करेगा। वही आदमी कमेटी के अन्दर है वही लाइसेन्स लेता है और वही दूकानदार है........

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, यह बदमाशी शब्द अनपार्लियामेंटरी है और इसको संशोधित किया जाये।

श्री लच्छूराम : मेरा मतलब वैसी

(श्री लच्छूराम)

बदमाशी से नहीं है जैसी कि आप समझते हैं। जौहरी बाजार जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उस पर थोड़ा बहुत विचार किया जाये। जैसा कि धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि यह अमेन्डमेन्ट बहुत जोरदार है इसलिये मैं कहता हूं कि इसमें तथ्य जरूर है और मन्त्री महोदय जरूर इस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर–सु०) : माननीय सभापति महोदय, अभी जो बहस चल रही है उस पर कोई दो राय नहीं रखता हूं। परन्तु मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जहां कृषि की उपज का और लेनदेन का सवाल है अगर हमारी सरकार इस प्रकार के बिल लाती है तो इससे आगे जाकर राजस्थान में किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर !! अभी बिल पर बहस नहीं हो रही है, क्लॉज़ पर बहस हो रही है। क्लॉज़ २ पर बोलें।

श्री हरिप्रसाद यादव : २ पर ही बोलता हूँ, इस पूरे बिल पर नहीं बोलता हूं। दो पर ही आता हूं। उदाहरण दे रहा था।

श्री सभापति : उदाहरण नहीं, क्लॉज़ पर बोलें।

श्री हरिप्रसाद यादव : क्लॉज़ २ पर जो बहस चल रही है उस पर भी मैं अपनी राय प्रकट करूं। तो मैं सबसे पहले राजस्थान के जो किसान हैं, उनके जो बड़े बड़े फार्म्स है उनमें वे शिकमी काश्तकार के तौर से खेती करते हैं और उनको शिकमी काश्तकार माना जाता है तो मैं यह निवेदन करूं, माननीय मन्त्री महोदय इसमें और जोड़ दें कि जो बड़े बड़े फार्म या जिसके पास में ५०० बीघा जमीन है और १० किसान खेती करते हैं तो आधे के हिसाब से, जब कि वह परिश्रम करता है और अपना सब काम करता है, उसको देना चाहिये। और सारा माल जो आता है, अपने एजेन्ट के द्वारा जहां उसको बेचने का सवाल है जहां कृषि का सवाल है, मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा किसानों के लिए इस सदन में एक बिल ऐसा भी पास किया है........

श्री सभापति : कृषक की परिभाषा पर इस वक्त बहस हो रही है।

श्री हरिप्रसाद यादव : हां, उस पर आता हूं। माननीय सभापति महोदय, सुनें तो सही पूरा।

तो यदि उससे आधा हिस्सा लिया जाय तो हमने छठे हिस्से का कानून भी बनाया है।

अब मैं आप जो चाहते हैं, सभापति महोदय, उस पर आता हूं। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है वह उपयुक्त है। यदि उसकी परिभाषा में और जोड़ दें माननीय मन्त्री महोदय तो आगे जाकर कृषि की उपज और राजस्थान के किसानों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

श्री सभापति : Yes, Minister-in-charge.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है इस क्लॉज के बारे में, उसमें उनका यह कहना है कि इस क्लॉज़ में से वे शब्द निकाल दिये जायं, "ordinarily or by his tenants or hired labour or otherwise" और उसके सिलसिले में जो बहस की है उसमें यह उन्होंने कहा कि ऐसा रखने से ऐसे किसान जो बहुत अच्छी तरह से खेती नहीं करते हैं, दूसरे धन्धे करते हैं या जो लम्पसम की तरह से उत्पादन करते हैं उन लोगों को इस मार्केटिंग बिल की परिधि से निकाल देना चाहिए और उसके सिलसिले में दो, तीन माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि ठीक है और उनको निकाल देना चाहिए । मेरे ख्याल से जैसा कि मैंने पहले कहा उनको ठीक तौर से समझ में नहीं आया । उसको मैं और ठीक ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा ।

मान लें कि एक गांव के अन्दर १०० घर हैं । उसमें से ८० किसानों के घर ऐसे हैं जो अपनी खेती करते हैं और २० घर ऐसे है एक गांव के अन्दर हैं जिनके पास कुछ ज्यादा जमीन है और ऐसा होता है हर गांव के अन्दर । वे किसान स्वयं अपनो फेमिली के मेम्बर से खेती नहीं कराते हैं; बल्कि अपने गांव के दूसरे सम्बन्धी किसान या छोटे किसान जो कि भूमिहीन हैं उनको जमीन देते हैं काश्त करने के लिए और उसके एवज में कुछ पैसा लेते हैं । दूसरे नौकर भी रखते हैं जिनके जरिये वे खेती करवाते हैं । जो हमारा कानून है किसानों के बारे में टिनेन्सी एक्ट उसके अन्दर सारी बात जायज़ है और कानून में ऐसा करने का अधिकार है । एक गांव में १०० किसानों के घर में से २० किसान ऐसे हैं जिनके पास कुछ ज्यादा जमीन है जो कि इस प्रकार से कृषि का उत्पादन करवाते हैं । कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी स्वयं की जमीन जोतते हैं और कुछ के पास कुछ कम जमीन है जो दूसरों की जमीन लेकर जोतते हैं । कुछ एग्रीकल्चर लेबर गांव के अन्दर रहने वाला है जिनके पास जमीन तो नहीं हैं लेकिन वह एग्रीकल्चर लेबर हर तरह से मिले–जुले के समान है । इस तरह से कुछ अच्छे किसान हैं, कुछ बीच की किस्म के किसान है और कुछ छोटी किस्म के किसान हैं, लेकिन है सभी प्रोड्यूसर्स इन प्रोड्यूसर्स को मार्केटिंग के सिलसिले में अलग अलग हिस्सों में बांट देने से जो खतरा माननीय सदस्य देखते हैं कि इस प्रकार के किसानों के रहने से उन किसानों को या बिना जमीन वालों को जमीन नहीं मिलती है तो वह इस बिल के स्कोप से सम्बन्धित नहीं है । इस प्रकार से चाहे बड़े प्रोड्यूसर्स हों, चाहे छोटे प्रोयूसर्स हों और चाहे और छोटे प्रॉड्यूसर्स हों, इन सारे प्रोड्यूसर्स को इस कानून के सिलसिले में अलग खण्ड में विभक्त कर देना कोई वाजिब बात नहीं होगी । सब प्रोड्यूसर्स को वाजिब कीमत मिलनी चाहिए । मार्केटिंग का एडवान्टेज सब किसानों को बराबर होना चाहिए । इस प्रकार से एक केटेगरी में आते हैं और उनको इस बिल के फेज़ के लिए लेने में इस सदन के माननीय सदस्यों को कोई एतराज नहीं होना चाहिए । इस वजह से जो परिभाषा प्रोड्यूसर एग्रीकल्चरिस्ट के बारे में दी गई है वह बिल्कुल वाजिब है । अगर उनको कुछ आपत्ति है और जिस केटेगरी को एग्रीकल्चरिस्ट की

(श्री नाथूराम मिर्धा)

परिभाषा से बाहर निकालना चाहते हैं उसका स्कोप कहीं दूसरी जगह है और उसके सिलसिले में कई जगह बहस भी की है लेकिन अभी तक कहीं ऐसा हुआ नहीं है और ऐसा सारे देश में चल रहा है। जब तक चलता है हम इस बिल से निकाल दें तो मेरे ख्याल से उनके साथ में किसी प्रकार का इन्साफ नहीं होगा। इसलिए उसकी परिभाषा को ज्यों का त्यों रखना वाजिब है।

उसके बाद एक छोटा अमेन्डमेंट मैंने रखा है। मैंने स्वयं ने निवेदन किया था कि करेक्शन की तरह का अमेंडमेंट है।

शाहपुरा और हुरडा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुख जुबानी तरमीम पेश की थी और जिसके बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि वे सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे उन्होंने स्वयं ने बताया था कि ओवर-साइट से रह गया है। बाइ-लॉज़ का हवाला देते हुए ३२ ए बाद में जोड़ना है जिसे सिलेक्ट कमेटी ने जोड़ा है वह एक करेक्शन है। मेरे ख्याल से सदन के सब माननीय सदस्य इसको चाहते हैं। मैं उसका नोटिस लेना मानता हूँ और नोटिस लेना वाजिब है क्योंकि उसकी कमी रहेगी, तो बिल के अन्दर कमी रहेगी, कानून की मन्शा की मेरे ख्याल में कमी रहेगी, ऐसी शंका है। इसलिए नोटिस ले लेता हूँ माननीय सदस्य का जो संशोधन है, उसका। क्लीयरली सारी बातें समझ लें ! तो काफी अच्छी तरह से कन्विन्स हो जाना चाहिए। वे इस संशोधन को वापिस ले लें और नहीं लेते हैं तो यह सदन उसके उपरान्त इसको वापिस करे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : वह क्या संशोधन है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कब स्वीकार किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभापति महोदय, वह यह है कि क्लॉज़ २ के सब क्लॉज़ (३) के अन्दर यह लिखा है, "'bye-laws' means bye-laws under section 32" उसके साथ में ३२ ए और जोड़ दिया जावे, क्योंकि ३२ ए के अन्दर भी बाई-लॉज़ बनेंगे। अगर मार्केटिंग कमेटी बाई-लॉज़ नहीं बनाती है तो ३२ ए के अन्दर डाइरेक्टर बाई-लॉज़ बनायेगा, वह मंडी कमेटी पर भी लागू होंगे।

इसी प्रकार से सब-क्लॉज़ (१०) है उसमें भी ३२ए जोड़ दिया जाय, इस प्रकार का संशोधन है।

श्री सभापति : It was decided in the Select Committee that under clause 2......

श्री श्रीभानसिंह: नहीं, सभापति महोदय, सिलेक्ट कमेटी में डिसाइड किया होता तो कहीं लिखा होता। वह इसमें नहीं है। वह प्रिन्टिंग मिस्टेक बताते हैं। वह यों नहीं किया होगा, क्योंकि इसमें एक आपत्ति आती है कि ३२ ए के अन्दर डाइरेक्टर को पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करने की पॉवर्स हैं। तो बाई लॉज़ की बात कर दें और रिकॉग्नीशन कर दें पेनल क्लॉज़ में पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करके तो वह ३२ में लेना चाहें तो देना पड़ेगा। डेलीगेशन

(श्री श्रीभानसिंह)

ऑफ लेजिस्लेशन में कितनी पनिशमेंट डाइरेक्टर प्रेस्क्राइब कर सकता है; इसको वे लेना चाहते नहीं हैं ? इसलिए ३२ ए को इन्क्लूड नहीं कर सकते हैं बाई लॉज़ के पार्ट में ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्लॉज ३२ में पेनल पॉवर्स हैं और ३२ ए में बाई–लॉज़ बनाने के वक्त मार्केटिंग कमेटी नहीं बना सके तो डाइरेक्टर बना दे ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): Section 32A says, "the Director may make such bye-laws and may also provide punishment for the contravention thereof in accordance with sub-section (2) of section 32."

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा): Section 32A reads as under: "If a market committee fails to make in respect of the market area under its management the necessary bye-laws under section 32 within a period of six months from the date of its constittution, the Director may make such bye-laws and may also provide punishment for the contravention thereof in accordance with sub-section (2) of section 32."

३२ के सब–सेक्शन ए में जो है उसके मुताबिक बाई–लॉज़ मार्केटिंग कमेटी नहीं बना कर दे तो वह बना दे; तो वह बाई–लॉज़ तब तक फोर्स में रहेंगे जब तक कि वह मार्केटिंग कमेटी नहीं बना दे । It is quite in conformity with section 32.

श्री सभापति : Secton 32 A does not independently confer power on the Director to award punishment. It is in conformity with section 32, sub-section (2), that...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ३२ ए में दिया है कि जो मार्केटिंग कमेटी का अधिकार है वह डाइरेक्टर को दिया है ।

श्री सभापति : And may also provide punishment for contravention thereof.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, एक क्लेरिफिकेशन सीक कर लूं । वह यह है कि जो डेफिनिशन दी है क्लॉज़ (२) में, उसके अनुसार इसका कॉन्स्टीट्युशन होगा, उसमें नहीं हो तो एग्रीकल्चरिस्ट मिल कर चुनाव करेंगे तो इसमें जो हायर्ड लेबर है उनको भी राइट है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : इसमें साफ है कि जो ७ आदमी चुने जायेंगे उनको चुनने वाले वोटर्स में १० रुपयां का लगान देने वाले किसान वोटर्स होंगे । अगर १० रुपया का लगान नहीं देते हैं तो हायर्ड लेबर तो क्या किसान भी वोटर्स में इन्क्लूडेड नहीं होंगे ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने क्लॉज़ २ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

Page No 97

(श्री सभापति)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २ में श्री नाथूराम मिर्धा और श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : इस पर तो श्री पी० के० चौधरी का संशोधन है।

श्री सभापति : नहीं, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ३ में मेरा संशोधन इस प्रकार है : "Sub-clause (1): Delete the words "and in such area as may be specified in the notification."

मैंने अपना जो मूल प्रस्ताव प्रस्तुत किया था प्रवर समिति के सम्बन्ध में वह इस दृष्टिकोण से रखा था कि समझ में नहीं आता कि अलग अलग एरिया के लिये क्यों बनाना चाहते हैं, समस्त राजस्थान के लिये क्यों नहीं करते ? डिफरेन्ट एरियाज़ के लिये क्यों बनाना चाहते हैं ? मैंने चाहा है कि यदि मार्केट कमेटी बनानी है, किसानों को राहत देनी है तो सम्पूर्ण राजस्थान के लिये बनानी चाहिये। अपनी मर्जी से डिफरेन्ट एरियाज़ के लिये नोटिफिकेशन निकालते हैं तो यह अच्छा नहीं है। इसलिये कानून बनाते हैं तो इस तरह से बनावें जो सारे राजस्थान पर एक साथ लागू होता हो।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सभापति महोदय, मुझे इस पर कुछ कहना है। यह जो क्लॉज़ ३ का प्रोविज़ो है उसमें है :

"no area within the limits of a municipality shall be included in the area specified in such notification except after consultation with the municipal board or Council concerned, as the case may be."

मैं इस प्रोविज़ो का विरोध करता हूँ। माननीय सभापतिजी, इस बिल को पास कराने का, इसको सदन में लाने का माननीय मंत्रीजी का यही मकसद था कि राजस्थान में

(श्री श्रीभानसिंह)

रेगुलेटेड मार्केट हों। वे किसानों के हित में हों, जिससे जो उनकी उपज है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उनको मिल सके। अब हमको देखना यह है कि बहुत सी जगह तहसीलों के अन्दर या पंचायत समितियों के सर्कल्स के अन्दर अगर राज्य सरकार चाहेगी तो बिना कन्सल्टेशन के और बिना किसी के रेगुलेटेड मार्केट घोषित कर देगी। लेकिन जब हम शहरों में और म्युनिसिपल एरियाज़ में आते हैं तो म्युनिसिपैलिटीज़ से कन्सल्टेशन की बात आती है। मेरी समझ में नहीं आता कि जहां सबसे ज्यादा राजस्थान के किसानों की जेब काटी जाती है वह है अर्बन एरियाज, मंडियां या म्युनिसिपैलिटीज़ के नीचे के मार्केट। लेकिन उन्होंने म्युनिसिपल एरियाज़ में म्युनिसिपैलिटीज़ से कन्सल्ट करने का रखा है। क्योंकि यह माना जाय कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उस पर डेमोक्रेटिक प्रेशर्स पड़ेंगे, पुल्स एन्ड स्ट्रेन्स पड़ेंगे। हो सकता है कोई म्युनिसिपैलिटीज़ जहां किसानों का सबसे ज्यादा शोषण होता है वहां डेमोक्रेटिक प्रेसर इस बात के लिये ला सकती हैं कि वहां मार्केट घोषित नहीं किया जाय। तो म्युनिसिपल कौंसिल या म्युनिसिपल बोर्ड से कन्सलटेशन की जरूरत क्या है? आपने इन मार्केट सोसाइटीज़ को दो फंक्शन्स दिये हैं—एक तो एडल्ट्रेशन को चैक करना और दूसरा पर्चेज एन्ड सेल्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रेगुलेट करना। तो दोनों चीजें प्रिवेलेन्ट हैं। सबसे ज्यादा एडल्ट्रेशन म्युनिसिपल एरियाज़ में होता है और सबसे ज्यादा वेट्स एन्ड मेजर्स के द्वारा किसानों को हैरेस किया जाता है वह म्युनिसिपल एरियाज़ में किया जाता है और उनको अननेसेसरी पेमेंट म्युनिसिपल एरियाज़ में करना पड़ता है, टेडर्स को। तो समझ में नहीं आता कि म्युनिसिपल एरियाज में किसानों को राहत क्यों नहीं दिलाते? यदि मार्केट घोषित करना है तो सबसे पहले म्युनिसिपल एरियाज़ में घोषित करना चाहिये और उन्हीं को रेगुलेट करना है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो म्युनिसिपल कमेटीज़ से कन्सल्टेशन करने की जरूरत नहीं है। इसलिये इसको डिलीट कर दिया जाय तो म्युनिसिपल एरियाज़ में ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। किसी जगह अगर मंडी घोषित करनी है तो म्युनिसिपल एरिया में पहले हो....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सेन्ट पर्सेन्ट मंडियां म्युनिसिपल लिमिटस में होती हैं।

श्री श्रीभानसिंह : ज्यादातर मंडियां म्युनिसिपल लिमिट्स में हैं। तो माननीय मंत्रीजी अगर मार्केट को रेगुलेट करेंगे तो सर्टेन पर्सेन्टेज ऑफ इन्कम म्युनिसिपैलिटीज़ को ये मंडियां देती हैं, उनकी यह इन्कम मार्केट कमेटीज़ को जायेंगी, इसलिये म्युनिसिपैलिटीज़ वाले नहीं चाहेंगे कि आप उनकी मंडियों को मार्केट घोषित करें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उनको इतना लेटिट्यूड देने की जरूरत नहीं है। म्युनिसिपल एरियाज में मंडियां विदाउट हेजिटेशन के घोषित करनी चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप यह बतला दें कि आप मंडी कायम करना चाहते हैं तो किस प्रकार से, किन स्थानों पर और किन परिस्थितियों में करना चाहते हैं, इतना बता दें?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) :

माननीय सभापति महोदय, जो दूसरा संशोधन क्लॉज़ ३ पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा उसमें उन्होंने कहा कि क्लॉज़ के ३ सब क्लॉज़ (१) में से ये शब्द निकाल देने चाहिये : "and in such area as may be specified in the notification." ये शब्द निकाल दिये जायं तो फिर नोटिफिकेशन रखने की आवश्यकता नहीं है। यों ही कह देते कि जैसा सब क्लॉज़ (१) में कहा है, सारे राजस्थान में कानून फोर्स में आ जायेगा। यह बात कहते तो मुझे भी अच्छा लगता कि एकदम सब जगह रेगुलेटेड मार्केट और मंडियों को डिफाइन करके कानून को ढंग से लागू कर दें। जैसा कि कानून में जिक्र किया है, मंडी कमेटीज़ कैसे कायम करेंगे, क्या काम करेंगे, यह सारी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होगी और सारे राजस्थान में, जैसे सब क्लॉज़ (१) में लिखा है वैसे होल ऑफ राजस्थान में लागू हो जायेगा और क्लॉज़ ३ में नोटिफिकेशन का रखा है उसकी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन यह एक नया काम होगा, नये तरीके से होगा और नई क्लॉजेज़ के नीचे काम होगा तो सब की सब जगह एकदम हो नहीं सकता और अगर कानून में इस तरह की बात लिख दें तो यह खाली थ्योरी में रह जायेगा, प्रेक्टिकल उपयोग में नहीं आयेगा। इसलिये यदि मैं आपके अमेंडमेंट को स्वीकार करता हूँ तो क्लॉज़ ३ का मायना खत्म हो जायेगा और सब क्लॉज़ (१) में जैसा वर्णन है उसी तरह से सारे मार्केट रेगुलेट हो जायेंगे। यह सम्भव नहीं है। इसलिये प्रेक्टिकल दृष्टिकोण से क्लॉज़ ३ रखना जरूरी था इसलिये कि उनको रेगुलेट करें, उनको डेवलप करें और नियन्त्रण रख कर विकास करें।

फिर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में सुझाव दिया कि इस प्रोविज़ो को इस कानून से हटा देना चाहिये। उस सिलसिले में उन्होंने खास तौर से यह दलील दी, आर्ग्युमेंट दिया कि जो मंडी म्युनिसिपैलटी के एरिया में है, म्युनिसिपल लिमिट में है तुरन्त उसको नियंत्रित मंडी बना देना चाहिए ताकि किसानों का जो ज्यादा शोषण होता है उसको एकदम रोक सकें। मेरे ख्याल में उनकी दलील के अनुसार भी जो तुरन्त करने का वे प्रोविजन रखना चाहते हैं उसके अनुसार हमने इसमें प्रोविजन रखा हुआ है कि म्युनिसिपल लिमिट में हम इस प्रकार के नियंत्रित बाजार बनायेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन म्युनिसिपैलिटी से उसके बारे में पूछ लेंगे। उनका कहना था कि पूछने की आवश्यकता क्या है, मंडी तुरन्त बना देनी चाहिए और यह प्रोविज़ो हट जाना चाहिए। यह, सभापति महोदय, एकदम संभव नहीं होगा। उन्होंने जैसा कहा, वह एक आस्पेक्ट का आर्ग्युमेंट है, उससे मैं एग्री करता हूँ। वे जानते हैं कि जो कानून के तहत लोकल बॉडीज काम करती हैं उनमें काफी होशियार लोग हैं। उनकी लिमिट के सम्बन्ध में कानून में इस प्रकार एक दम लिख देंगे तो उसमें कई प्रेक्टिकल डिफीकल्टीज़ आयेंगी और उसमें प्रोपर कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा और मंडी कमेटी का और उनका झगड़ा चलेगा। इसलिए एक तरीके के साथ सेटल्ड होकर, डेमोक्रेटिक तरीके से डिस्कशन होकर, आपस में बैठ कर कोई रास्ता निकलता है तो यह तरीका एक प्रजातन्त्रीय तरीका है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से लोकल बॉडीज को नहीं पूछेंगे तो वे लोग

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जमीन अलॉट करने में दिक्कत डालेंगे और कई प्रकार के रोड़े अटका सकते हैं। इसलिए उनको पूछ लेंगे। इसमें सिर्फ कन्सल्टेशन के लिए रखा है।

जहां म्युनिसिपल लिमिट में नियंत्रित बाजार कायम करना चाहते हैं, तो म्युनिसिपल कौंसिल या बोर्ड से पूछ लेंगे। अब उनकी राय को कितना माना जाय, उनके कहने से रखा जाय, उनकी जितनी बातें नहीं मानेंगे और जो दिक्कत होगी, उसको म्युचुअल बातों से डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोविजो को हटा देते हैं तो इसमें जो इरादा है, जो डेवलपमेंट करना है उस काम में बहुत कठिनाई आयेगी, इसलिए तुरन्त हटाना वाजिब नहीं होगा। यह प्रोविजो रहना चाहिये ताकि म्युनिसिपल लिमिट में इस प्रकार के नियंत्रित बाजार कायम करें उनके कन्सल्टेशन से, बातचीत से, क्योंकि उनको लेना है, देना है और उनका आगे भी कोऑर्डिनेशन रहे मंडी के लिये, तो काम ठीक होगा और वे डेवलप होंगी। यह तरीका प्रजातंत्रीय तरीके से मेल खाता है, इसलिए इस प्रोविजो को रखना वाजिब है।

फिर धौलपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने शंका उठाई कि कहां कहां इस प्रकार के मार्केट.......

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : और किन किन परिस्थितियों में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : परिस्थितियां-सब के सब मार्केट राजस्थान के अन्दर रेगुलर मार्केट हों, यह तो ऑब्जेक्ट है और कहां कहां कैसे कायम हों, वह किसानों के संगठन, सरकार के कितने साधन और मंडी कमेटी के एन्थ्युजियज्म, किन इलाकों में ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आता है, बिकता है, उन इलाकों की प्रायोरिटी के अन्दर इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उनका हर जगह फैलाव करते जायेंगे, उनको फैलाते जायेंगे। वैसे बनानी तो सारे राजस्थान में हैं। अब पहले कहां कहां शुरू करनी हैं, कहां कहां चलानी हैं ? जहां पर किसानों की तैयारी हो और प्रोड्यूसर्स ऐसे मार्केट में आने को तैयार हों, ऐसे मार्केट बना कर मार्केटिंग कमेटी को चलाने की लोगों में व्यवस्था हो और जहां ज्यादा से ज्यादा किसानों का माल आता हो उन इलाकों से शुरू करना चाहेंगे और फिर उसका सारे राजस्थान में विकास करना चाहेंगे। मैं सोचता हूँ कि आपका संशोधन प्रस्ताव उपयुक्त समय का नहीं है, क्योंकि आपका इरादा है और जो अचीवमेंट करना चाहते हैं, वह एकदम करना चाहते हैं.......

डॉ० बहादुरसिंह : जिस वक्त बिल बनाया होगा तो ८–१० जगह ध्यान में होंगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी जगह तो नहीं सोची। आपको ख्याल होगा कि मार्केट सोसाइटी अब बन रही हैं, बहुत सी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज खास तौर पर उन जगहों पर बन रही हैं जहां बड़ी बड़ी मंडियां हैं, जहां किसानों का माल आता है। इस प्रकार की मार्केटिंग सोसाइटी जब हो और वहां ज्यादा से ज्यादा उपज आती हो और फिर उसका वितरण हो वहां ज्यादा से ज्यादा रेगुलेटेड मार्केट हों। ऐसे एरिया में इन सारी चीजों

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पर विचार करेंगे। अगर हैं, तो वहां नियंत्रित बाजार बनायेंगे। मेरे ख्याल से आपका जो संशोधन प्रस्ताव है उसको आप वापिस ले लें। नहीं तो फिर सदन को अधिकार है कि उस संशोधन को अस्वीकार कर क्लॉज को पास करे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज तीन में जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ४.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, इसमें मेरा छोटा सा अमेंडमेंट है "In sub-clause (5), insert 'area' after 'market' appearing in the last line."

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): सब क्लॉज (५) क्लॉज ४ का है ?

श्री सभापति : He is moving now.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने मूव कर दिया है।

श्री सभापति : सब–क्लॉज़ ५, क्लॉज़ ४ का सब–क्लॉज़ (५)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, सब क्लॉज़ (३) के सम्बन्ध में कुछ लैंग्वेज की एम्बीग्युटी है या यह मिसप्रिन्ट है। सभापति महोदय, जरा माननीय मन्त्री इसको क्लेरीफाई करें....

श्री नाथूराम मिर्धा : कहां पर है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Clause 4, sub-clause (3) :-

"On and after the date of the notification issued under sub-section (1) or such later date as may be specified therein, no local authority, notwithstanding anything contained in any law, and no other person shall within the market area or within a distance thereof to be notified in the official Gazette in this behalf in each case by the State Government set up, establish or continue to allow to be set up, established or continued any place for the purchase or sale of any agricultural produce so notified." यह 'कन्टीन्यू' शब्द है, तो क्या मतलब है ? जो पहले एस्टेब्लिश्ड मार्केट हैं और पर्चेज़ और सेल पहले से करते आ रहे हैं उस एरिया में किसी की पर्चेज़ और सेल नहीं करने देंगे, इस प्रकार की व्यवस्था है। आपने शुरू में लिखा है, सब क्लॉज़ में है,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

"On and after the date of the notification"... यह स्थिति हो सकती है कि नोटिफिकेशन जारी किया किसी मार्केट एरिया में कि हम उसमें किसी को अब मार्केट नहीं लगाने देंगे या व्यवस्था नहीं करने देंगे। जो पुराने हैं उन सब के लिए है अथवा सरकार....

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको हटा देंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर : पुराने हैं, उनका सवाल रहता क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें कोई प्रोविज़न नहीं कम्पेन्सेशन का और किसी तरह की कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। या तो इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जिन लोगों को वहां से हटायेंगे उनको कम्पेन्सेशन देंगे, उनको गुडविल का मुआवजा देंगे। आप मार्केट बनाना चाहते हैं, मार्केट कमेटी प्योरली कॉमर्शियल बेसिस पर बनाना चाहते हैं तो या तो फिर ऐसा हो कि कुछ व्यवस्था इसमें कर दी जाय। फिर मैं इस क्लॉज़ का विरोध नहीं करूंगा। आप मुझे सेटिशफाइड कर दें। कोई आदमी पर्चेज़ या सेल का धन्धा करता है, उसको पर्चेज़ और सेल का धन्धा करने का अधिकार कॉन्स्टीट्यूशन ने दिया है। कोई आदमी कहीं पर भी धन्धा कर सकता है। उस कारण से दस साल से धन्धा करके गुडविल पैदा की है, बिल्डिंग खड़ी की है और उसने बिज़नेस चलाया है। वहां पर आपने नोटिफिकेशन निकाल कर उसको अनड्यू कर दिया। उनको आप कम्पेन्सेशन नहीं देते, उसको आप ऑल्टरनेटिव लैंड नहीं देते। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो आदमी बिज़नेस करता है, उसको आप अनड्यू करेंगे, इस प्रकार उसके बिज़नेस को स्टोप करेंगे तो उसको आप ऑल्टर्नेटिव लैंड देंगे। यह प्रिन्सिपल ऑफ इक्विटी डिमान्ड करता है। मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकार का कानून बना दिया गया विधान सभा द्वारा तो राजस्थान में अराजकता की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि किसी आदमी ने दस साल से बिज़नेस एस्टेब्लिश कर लिया है, उसको आप अनड्यू कर लेंगे....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : फर्स्ट रीडिंग में कहने का था।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझा देता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसको देख लीजिये, तब तक इसको डेफर कर दीजिये....

श्री नाथूराम मिर्धा : एक मिनट में समझा दूं, आप कन्टीन्यू करें।

(४. ३०. म. प.)

(विराम)

जैसा आपने कहा कि नया व्यवसाय करने का लाइसेन्स दे दिया जाता है तो पहले वाले जो लोग हैं उनको कन्टीन्यू नहीं करने दिया जायेगा और उस जगह को हम ले लेंगे। यह मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मार्केट बने हुए हैं उनकी जगह है वह जगह रेगुलेटेड मार्केट की नहीं होगी। वह दूसरी जगह होगी और उसके लिए लोगों को लाइसेन्स देंगे। कन्टीन्यू नहीं करने देने का मतलब यह है कि जो खरीदने वाला है उसको हमारे मार्केट में आना पड़ेगा, बेचने वाले को हमारे मार्केट में आना पड़ेगा। हम जगह उठा कर नहीं ले रहे हैं जिसमें कम्पेन्सेशन देने की बात हो। इस बिल के बेसिस पर मार्केट एस्टेब्लिश करेंगे। जिसको चालू करना चाहेंगे उसके लिए कहेंगे कि जो मण्डी में बिज़नेस करना चाहें, जो हमारे यार्ड में आना चाहे उनको प्रोपर लाइसेन्स लेना चाहिए, और जो बेचने वाले आते हैं उनको हमारे यहां आना चाहिए। इसलिए आप जो कम्पेन्सेशन देने की बात कह रहे हैं वह कतई नहीं आती है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जहां इस प्रकार का पर्चेज़–सेल का, बिज़नेस करते हैं, जहां कन्सर्न एस्टेब्लिश्ड हैं, जहां गुडविल कमाई हुई है, उस मार्केट एरिया का आप नोटीफाइ नहीं करेंगे, दूसरे एरिया को नोटीफाई करेंगे, यह निश्चित बात है?

श्री नाथूराम मिर्धा : निश्चित बात है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ में जो संशोधन माननीय मन्त्री ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ५

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : क्लॉजेज़ ५, ६ और ७ में कोई संशोधन नहीं हैं, सब को साथ ही ले लीजिये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ५, ६ और ७....

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Not clause 7.

श्री सभापति : Yes प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ५ और ६ विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ५ और ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : Clause 7, Sir.

श्री सभापति : Clause 7 has been deleted.

(विराम)

क्लॉज़ ८

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ८ पर मेरे दो अमेंडमेंट्स हैं, एक है :–

"(i) In sub-clause (1), part (i): after the word 'recognised' insert the words 'and representative'.

(ii) In sub-clause (3): the words 'two years' may be replaced by the words 'one year.'"

सभापति महोदय, जो क्लॉज़ ८ है वह मार्केट कमेटी के कम्पोज़िशन के सम्बन्ध में है कि मार्केट कमेटी कैसे बनाई जायेगी, इसका गठन किस प्रकार का रहेगा। इसमें एग्रीकल्चरिस्ट्स के रिप्रेज़ेन्टेशन के लिये जो प्रावधान है वह इस प्रकार है :

"Every market committee shall be constituted as prescribed and shall consist of the following fifteen members, namely :—

(i) Seven shall be persons elected by such recognised organisations..."

मेरा अमेंडमेंट है "Seven shall be persons elected by such recognised and representative organisations..."

यह मेरा पार्ट (१) का अमेंडमेंट है। सभापति महोदय, मैंने "जो एण्ड रिप्रेजेन्टेटिव" शब्द जोड़ने का कहा है इसमें विशेष कारण है।

(४. ३६. म. प)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

इस बिल के जनरल डिस्कशन के समय भी कुछ माननीय सदस्यों ने शंका प्रदर्शित की थी कि रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन्स होंगे वे किस किस्म के होंगे। उन ऑर्गेनाइजेशन्स का किसानों को रिप्रेजेन्ट करने का केरेक्टर होगा कि नहीं, इस प्रकार का सन्देह प्रकट किया गया था।

मैं यहां रिप्रेजेन्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन्स जोड़ना चाहता हूँ। इसका एक अर्थ होगा कि इस प्रकार की शंका प्रकट करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है। हम कानून बना देते हैं कि इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो जो एग्रीकल्चरिस्ट्स के हित को देख कर चलता हो, ऐसे को ऑर्गेनाइजेशन माना जायेगा, वहां रिप्रेजेन्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो जायेगा। रिप्रेजेन्टेटिव शब्द जोड़ देंगे तो इसका केरेक्टर यह रहेगा कि ३० पर्सेन्ट या ४० पर्सेन्ट हमें कुछ न कुछ मिनियम प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा कि मार्केट एरिया के तीस या चालीस पर्सेन्ट को जो ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेन्ट करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रजेन्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन माना जायगा। ट्रेड यूनियन्स के साथ इसका पेरेलल बताना चाहता हूँ। ट्रेड यूनियन्स में रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन्स होती थीं, रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखते थे तो अजीब सी परिस्थिति ट्रेड यूनियन मूवमेंट में पैदा हो गई। एक एक इन्डस्ट्री में छः-छः, सात-सात यूनियन्स बन जाती थीं और सभी रजिस्टर्ड हो जाती थीं। तो इस प्रकार की परिस्थिति को मीट करने

(श्री पी. के. चौधरी)

के लिये इसका संशोधन किया है कि रिप्रेजे-न्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिये । रजिस्ट्रेशन की डेफिनिशन को जो फुलफिल कर देती हैं तो उनको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ता है और इस प्रकार ट्रेड यूनियन के लेबरर्स के इन्ट्रेस्ट को पांच-पांच, सात-सात ट्रेड यूनियन्स रिप्रेजेन्ट करती हैं तो उसी प्रकार मार्केटिंग कमेटीज के लिये भी ट्रेड यूनियन्स की तरह का केओस पैदा हो सकता है। इस प्रकार की हमें शंका है। इन्डस्ट्रीज़ के अन्दर रिकॉगनिशन का रखते हैं तो छः, सात यूनियन्स रिकॉग्नाइज़ हो जाती हैं; उसी प्रकार मार्केटिंग कमेटीज़ में भी हालत पैदा हो सकती है।

इन्डस्ट्रीज़ के लेबरर्स की पहले यूनियन्स नहीं थीं, अब जाकर बनी हैं; पर एग्रीकल्चरिस्ट्स की, सही माने में देखा जाय, तो आज एक भी यूनियन नहीं है, एक भी ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चरिस्ट्स का आज नहीं है। तो एग्रीकल्चरिस्ट्स का सही माने में ऑर्गेनाइजेशन हो, इसके लिये एग्रीकल्चरिस्ट्स को इन्सेन्टिव देना है। सही ढंग से इनके ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बनाया गया तो नोमिनल एग्रीकल्च-रिस्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन्स बनेंगे और एक तरह से वैस्टेड इन्ट्रेस्ट्स की मार्केटिंग कमेटीज़ बन जायेंगी। एक बार बन गई तो फिर उनको सुधारना सरकार के लिये एक डिफिकल्ट टास्क रहेगा। एक दफा हो जाने के बाद में फिर हटाना बड़ा मुश्किल होता है; इसलिये सबसे अच्छा तो यह होगा कि शुरुआत ही अच्छी तरह से की जाय। इस बारे में शेक्सपीयर की एक सेइंग है: "Well begun is half done." जिस काम को शुरू करना चाहते हैं उसकी अच्छे ढंग से शुरुआत कर देंगे तो आधा काम तो हो गया। यह हम मान लेंगे....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): 'रिप्रेजेन्टेटिव' शब्द जोड़ देते हैं तो आधा काम हो जायेगा?

श्री पी. के. चौधरी: हां, आधा हो जाता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन से रिप्रेजेन्टेटिव लेंगे वह ऑर्गेनाइजेशन सोलिड बेसिस पर बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन; नहीं है तो जिन मार्केटिंग कमेटीज में इस प्रकार के रिप्रजेन्टे-टिव्ज़ जायेंगे उनका फाउन्डेशन भी साउन्ड बेसिस पर नहीं होगा। रिप्रजेन्टेटिव ऑर्गेना-इजेशन नहीं रखेंगे और कह देंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चरिस्ट्स का हो उसके रिप्रजेन्टेटिव्ज़ को लिया जायेगा तो जिस प्रकार मर्चेन्ट्स एसोसियेशन्स होती हैं रजिस्ट्रे-शन ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट के अन्डर में कोई भी रजिस्टर हो जाती है उसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आपको रजिस्टर करवा लेगा। मिसाल के तौर पर सलूम्बर के ७ आदमियों ने मिल कर एग्रीकल्चरिस्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और कायदे के माफिक अपने आपको रजिस्टर्ड करवा लिया और कहा कि हम रजिस्टर्ड हैं, हमें रिक ग्नाइज करना चाहिये तो उसे गवर्नमेंन्ट को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा। पर यहां हम यह रखते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन को हम रिप्रेजेन्टेटिव ऑर्गनाइजेशन मानेंगे, जिस प्रकार कि ट्रेड यूनियन में किया है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के, जिस ट्रेड यूनियन के ३३ पर्सेन्ट मेम्बर्स हों उसको रिप्रेजेन्टेटिव माना जाय। पर जहां दो यूनियन्स हैं वहां एक ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य संख्या ३३ पर्सेन्ट है

(श्री पी. के. चौधरी)

और दूसरी यूनियन की ४० पर्सेन्ट है तो ४० पर्सेन्ट वाली यूनियन को रिप्रजेन्टेटिव यूनियन माना जायेगा और उसीको रजिस्टर करते हैं। पिछले सेशन में हमने इस प्रकार का कानून पास किया था। एग्रीकल्चरिस्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं तो इसमें ऐसा करना चाहिये।

आज मान लें कि ५ पर्सेन्ट या १० पर्सेन्ट मेम्बरशिप लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। उसके रिप्रजेन्टेटिव इसमें आ जाते हैं। आगे जाकर आप इसमें मेम्बरशिप रेस्ट्रेन कर देते हैं तो यह होगा कि लोग मेम्बर नहीं बन सकेंगे और जब रेस्ट्रिक्शन होता है तो दूसरे लोग उसके मेम्बर नहीं बन पाते हैं। तो इससे उनका इन्ट्रेस्ट इसमें नहीं रहता है। लेकिन जब हम कानून बना दें कि २५ पर्सेन्ट एग्रीकल्चरिस्ट्स इसके सदस्य हों और जब दूसरा कानून बनाते हैं तो ३० प्रतिशत बन जाते हैं तो हम ३० पर्सेन्ट वालों का रिप्रेजेन्टेशन मानेंगे। तो मैं यह मानूंगा कि आगे जाकर हम अगर इस कानून को पास कर देंगे तो भी दो–चार साल के बाद फिर बदलना होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन को आपने रिकॉग्नाइज़ किया, उसने अपना एक आदमी भेजा। उसके बाद ६ महीने के बाद दूसरे कह सकते हैं कि हम ज्यादा रिप्रेजेन्टेशन रखते हैं। जब हम रिप्रेजेन्टेशन क्लॉज़ रख देंगे तो यह होगा कि कम से कम रजिस्ट्रेशन के लिए २० की मेम्बरशिप हो उससे ज्यादा मेम्बरशिप करनी होगी और उसके बाद में चैलेंज कर सकते हैं। इसमें दो बातें होंगी। एक तो यह कि कम्पीटिशन होगा और इस कम्पीटिशन में जो एग्रीकल्चरिस्ट वैल ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, उनके जो प्रिवान्सेज़ हैं उनकी कोई वोइस को शेफगार्ड करने के लिये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी को स्टेबल करने के लिये सही माने में voluntary organisations बनाना जरूरी है। हम ऐसा चाहते हैं। जब हम विज़ुअलाइज़ कर सकें आगे चल कर साल, दो साल में तब इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आ सकता है; तो recognised and representative orgnisations of agriculturists को रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे कोई बड़ी बात हमने नहीं की। रिप्रजेन्टेशन का करेक्टर कितना होना चाहिये, इसके लिये हमने रूल्स और सब बातें रखी हैं।

आप अगर यह महसूस करते हैं कि यह ३० पर्सेन्ट अभी नहीं रखना है और नहीं रख सकते तो मैं यह कहूँगा कि आप १० पर्सेन्ट का ही रखिये या २० पर्सेन्ट का रखिये। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आगे जाकर हमको दिक्कत आ सकती है।

दूसरा मेरा अमेन्डमेन्ट है कि इस बिल में प्रावधान किया गया है सब क्लॉज (३) में :

"Every member of a market committee, nominated when it is first constituted, shall hold office for a term of two years from the date of the first general meeting of the market committee and every such member elected or nominated thereafter shall hold office for a term of three years."

यानी फर्स्ट मार्केट कमेटी की टर्म हमने दो साल की रखी है और उसके बाद मार्केटिंग

(श्री पी. के चौधरी)

कमेटी बनेगी वह इलेक्टेड होगी । उसकी मयाद आपने तीन साल की रखी है। फर्स्ट मार्केटिंग कमेटी है उसके नोमिनेटेड सदस्य होंगे। यह इसलिए रखा है कि दो साल में इलेक्शन करा कर हम इलेक्टेड कमेटी बना पायेंगे । दो साल हमारे इस तरह से बीत जावेंगे। फर्स्ट कमेटी में जो लोग आवेंगे वे नोमिनेटेड होंगे । उसका आपने दो वर्ष का टर्म रखा है, वह बहुत ज्यादा है। मैं यह चाहूंगा कि इस समय एक वर्ष से ज्यादा नहीं हो।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): इलेक्शन में दिक्कत होगी।

श्री पी. के. चौधरी : हम साल भर के अन्दर विकेन्द्रीकरण में नई पंचायत समितियों आदि का चुनाव करा कर बना सकें तो मैं नहीं समझता कि हम यह क्यों नहीं कर सकते; क्योंकि यह काम तो विकेन्द्रीकरण जैसा नहीं है। विकेन्द्रीकरण का काम तो ऑल राजस्थान के बेसिस पर था और यह तो आल राजस्थान के बेसिस पर नहीं हो रहा है। हो सकता है २५ या ३० स्थानों पर हम मण्डियों में मार्केटिंग कमेटी बनायें। साल भर में उनके लिये हम इलेक्शन कन्डक्ट नहीं कर सकते, यह मैं नहीं मानता। नोमिनेटेड मेम्बर्स होंगे वे तो गवर्नमेंट की स्वीट विल पर रहेंगे। सरकार को जिन लोगों को लेना होगा उनको सरकार लेगी चाहे कोई भी नोमिनेटेड हो। मगर मैं यह कहूँगा कि यह जो दो वर्ष का समय रखा गया है इसको मैं उचित नहीं समझता । इसलिये मैं समझता हूँ कि एक वर्ष के अन्दर अन्दर चुनाव करवा कर हम निर्णय कर लें तो ज्यादा अच्छा है।

इसमें एक बात यह भी है कि आज रेगुलेटेड मार्केट बने, इसके लिए प्रोपेगेन्डा हो। इसके लिए मैं, यह कहूँगा कि प्रोपेगेन्डा चुनावों में होता है किसी दूसरी चीज में नहीं होता। आप पब्लिकेशन से हजारों रुपये खर्च करके इस प्रकार का प्रोपेगेन्डा नहीं कर सकते जितना प्रोपेगेन्डा चुनावों से हो जाता है। डेमोक्रेसी में चुनावों का जो तरीका है वह पब्लिक को एज्युकेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसलिए जितनी देर से चुनाव करावेंगे लोगों में रेगुलेटेड मार्केट के प्रति जागृति देरी से होगी।

(समय—समाप्ति—सूचक घन्टी)

जितना जल्दी इसको लिया जाये उतनी ही पब्लिक ओपीनियन वे करेंगी। मैं समझता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाये और एक साल की मयाद रखी जाये। मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, इसका क्लॉज़ ८ विवादग्रस्त है। मण्डियों का जहां तक सवाल है इसके सम्बन्ध में पहले भी मैंने निवेदन किया । मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि मेरा इसमें कोई संशोधन तो नहीं है लेकिन फिर भी ....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आपका संशोधन है।

श्री सभापति : आपका एक संशोधन

(श्री सभापति)

है क्लॉज़ ८ पर:"Omit the words 'by such recognised organisation of agriculturists in the market area for which it is established as the State Government may prescribe and, where no such organisation exist."

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : वह तो क्लॉज़ तीन में है।

श्री सभापति : क्लॉज़ ८ में है।

श्री नाथूराम मिर्धा : नोटिस नहीं है तो भी मैं मान लूंगा।

डॉ. बहादुरसिंह : क्लॉज़ ३ पर जो श्री पी० के० चौधरी साहब ने संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। हम संगठन में इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते है इसलिए तीन वर्ष काफी उपयुक्त हैं और दो वर्ष संगठन में लग सकते हैं।

दूसरा जो संशोधन मैंने रखा है उसको आप स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : सभापति महोदय........

श्री सभापति : आप बहुत संक्षेप में ही बोलें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : मैंने क्लॉज़ ८ के सब-क्लॉज़ (४) में (बी) में दूसरी लाइन में बोर्ड के स्थान पर कौन्सिल और कौन्सिल के स्थान पर बोर्ड की तरमीम की है। वह इसलिए कि पहले कौन्सिल शब्द आता है और बोर्ड आता है। इसलिए दूसरी लाइन में यह तरमीम पेश की है।

इसी स्थान से (सी) में जहां बोर्ड है वहां कौन्सिल कर दिया जावे और कौन्सिल के स्थान पर बोर्ड कर दिया जावे।

श्री सभापति : वह तो ऑटोमेटिकली हो गया।

श्री नाथूराम मिर्धा(कृषि मंत्री): सभापति महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं उन दोनों से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि रिप्रेजेन्टेशन बढ़ा दिया जावे। उन्होंने यह कहा कि १५ पर्सेन्ट या ३० पर्सेन्ट; ऐसा नहीं होगा तो झगड़े होंगे। मैं बताऊंगा कि इस वजह से नहीं बढ़ाया जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि दी वर्ड रिकग्नाइज़, से मतलब यह है कि स्टेट जिसको रिकॉग्नाइज़ करेगी। वैसे तो वे हों जिनको रिकग्नाइज़ किया जा सके। रिकॉग्नीशन के तो उनमें गुण हों। यदि कुछ न कुछ जिनका संगठन होगा, एरिया में प्रतिनिधि होंगे, कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व होता होगा तो ही स्टेट गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज़ करेगी। जहां नहीं है वो रिकॉग्नाइज़ करने की बात पैदा नहीं होती। वे जो शंका करते हैं उसके लिए निवेदन करूंगा कि आखिर कोई प्रतिनिधित्व तो उनका हो। वे आगे बनाने की कोशिश करें। उस समय किसी संगठन के रिकॉगनिशन के लिए बात हो सकती है। कानून में रिकग्नीशन शब्द देने से मन्शा यही है कि कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व उस एरिया में उनके द्वारा किया गया हो और उनके साथ आदमी उस कमेटी में चुन लिये जायं। तो उस जगह

Page No 109

(श्री नाथूराम मिर्धा)

यह व्यवस्था थी। और कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं तो उसको सरकार रिकॉग्नाइज़ करने की मान्यता देने की आवश्यकता नहीं समझती। तरीका दे रखा है उसी तरह से वह होगा।

यह भी कहा कि दो साल का तरीका है उसके बजाय एक साल कर दिया जाय। तो जैसा कि धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, शुरू शुरू का ऑर्गेनाइजेशन होगा इसलिए यह आवश्यक है।

शाहपुरा से आये माननीय सदस्य ने जो भाषा के सम्बन्ध में संशोधन रखे हैं वे उपयुक्त हैं, मैं उनको स्वीकार करता हूं। धौलपुर से आये माननीय सदस्य ने संशोधन रखे हैं यदि उनको मन्जूर कर लिये जाता है तो फिर एक ही ऑल्टरनेटिव रह जाता है कि दस रुपये लगान देने वालों की सूची बना कर करना होगा। तो इस प्रकार से यह सही नहीं है।

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैंने जो संशोधन रखे हैं उनको विथ्ड्रॉ करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I may be allowed to withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह और श्री पी० के० चौधरी ने रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

डॉ. बहादुरसिंह : मैं अपने संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉजेज़ ९ से १२

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ९, १०, ११ व १२ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ९, १०, ११ व १२ विधेयक में

Page No 110

(श्री सभापति)

अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ भी विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ भी विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १३

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, क्लॉज़ १३ में मेरा छोटा सा संशोधन है ।

" Insert 'a' before 'cess' occurring in line 3.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : हमको मिला नहीं है । We would like to have acopy of 'Sanshodhan.'

श्री सभापति : The 'Sanshodhan is only that the word 'a' is to be added, nothing more than that.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३ में जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकर किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १३, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १३, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लाजेज़ ११ ए, १२,ए व १२ सी व क्लॉज १४

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ११ ए, १२ ए, १२ बी, १२ सी और १४ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ११ ए, १२ ए, १२ बी, १२ सी और १४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज़ १५

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : सभापति महोदय, इसमें भी मेरा छोटा सा संशोधन है :

"(1) Omit 'and' appearing towards the end of part (9), and

(2) Insert 'and' towards the end of part (10)."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमें यह विधेयक आज ही पारित करना है तो कुछ समय, लगभग १५ मिनिट का लगेगा । क्या हाउस की सम्मति है कार्य—काल में वृद्धि कर दी जाय ।

(स्वीकृत)

१५ मिनिट का समय और बढ़ाया गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १६

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : क्लॉज़ १६ में संशोधन है :

"In sub-clause (1), insert 'cess or' before 'fees' occurring in last line."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ में जो संशोधन का प्रस्ताव माननीय मन्त्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इसमें फीस है । वहां सेस किया है तो इसमें भी सेस कर लीजिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह अलग है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : What is the amendment in clause 16 ?

श्री सभापति : They are not very much material, Mr. Chowdhry. Otherwise, I would have given you full latitude to speak on them.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १७ से २२

(श्री सभापति)

तक विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ १७ से २२ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ २३

श्री नाथूराम मिर्धा : "In sub-clause (5), substitute 'considers' for 'consider' occurring in the last line."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३ में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय मन्त्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २३, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज २४ से २६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २४, २५ व २६ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २४, २५ व २६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ २७

(विराम)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय सभापति "Before the words "delivered or left" occurring in the last line, insert 'so'."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७ में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Page No 113

(श्री सभापति)

क्लॉज़ २८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २८ ए.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : "Substitute 'fines' for 'fine' in line1."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २८ ए में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २८ ए संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २८ ए संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २९ व ३०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २९ व ३० विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २९ व ३० विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ३१

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : सभापति महोदय, इस क्लॉज़ में मेरा बहुत ही छोटा सा अमेन्डमेन्ट है, बहुत छोटा सा करेक्शन है; वह इस प्रकार है :

"In sub-clause (2)-

(i) omit 'commission agents' in part (f),

(ii) insert 'or' after 'market' in part (g),

(iii) omit 'commission agents' in part (n),

(iv) insert 'cess or' before 'fees' in part (s), and

(v) substitute 'matter' for 'matters' in part (t)."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३१ में जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने

(श्री सभापति)

रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ३१ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३१, संशोधित रूप में, वियधेक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ३२ से ३५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ३२, ३२ ए, ३३, ३४ व ३५ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ३२, ३२ ए, ३३, ३४ व ३५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

शिड्यूल।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो शिड्यूल बिल के अन्त में दिया गया है वह विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

शिड्यूल विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स बिल, १९६० को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स बिल, १९६० को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान सहकारी भूमि बंधक (संशोधन) विधेयक, १९६१

(वापिस लेना)

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मंत्री): सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी भूमि बंधक (संशोधन) विधेयक जो मैंने सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया था उसको विथ्ड्रा करने की अनुमति के लिये आपके

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सामने पेश कर रहा हूँ। इसका कारण यह है कि जो संशोधन इस कानून के जरिये हम रखना चाहते हैं, सेन्ट्रल लैन्ड मोर्टगेज बैंक का ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। दूसरी बात यह कि हर जिले में लैन्ड मोर्टगेज बैंक की शाखायें खोल दी गई हैं। उसको लोंग टर्म लोन देने की एजेन्सी बनाना चाहते हैं। सारे जिलों में तीन–चार जगहों को छोड़ कर लैन्ड मोर्टगेज बैंक्स ऑर्गेनाइज़ कर दिये गये हैं। तीन–चार जगहों में जो बाकी रहे हैं, लोंग टर्म लोन देने के लिये दूसरा अमेंन्डमेन्ट लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिये मैं राजस्थान सहकारी भूमि बंधक विधेयक, १९६१ को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी भूमि बंधक बैंक (संशोधन) –विधेयक, १९६० को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान भूमि बंधक बैंक विधेयक, १९६० को वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक ११ अप्रेल, १९६१ के ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर ५ मिनट पर मंगलवार, दिनांक ११ अप्रेल, १९६१ के मध्यान्ह पूर्व ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

संक्षिप्त–विवरण

(सोमवार, १० अप्रेल, १९६१)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ७४१४

स्टेनो टाइपिस्ट को विशेष वेतन।

बसवा तहसील में बिजली।

गुडा एन्दला के पास की सुकड़ी नदी से निकाली गई नहर।

लम्बरदार व चौधरियों को अनावश्यक भू-राजस्व की वसूली का खर्चा दिया जाना।

इस्तमरारदारों के बकाया लगान की वसूली।

जालोर जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्कूलों का अपग्रेडेशन।

सब डिविज़न हिण्डोन में हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति।

अकाल पीड़ित क्षेत्रों के पशुओं को चारा व पानी की व्यवस्था।

पटवारियों को मिलने वाले मासिक कॉन्टिन्जेन्सी खर्चे में परिवर्तन की अपेक्षा।

भरतपुर जिले के उद्योग व उद्योग बस्तियां।

स्कम्भ

मन्दिर श्री नृसिंहजी व श्री राधाबिहारीजी, धौलपुर।

हनुमानगढ़ को जिला बनाना।

नाथद्वारा मन्दिर से सोने की सिकोरी व जवाहरात की चोरी।

जिला जालोर की नल योजना।

ग्राम देवड़ियावास (देवली) में स्थित तालाब।

तहसील हिण्डोन के हरिजनों को आबादी की भूमि का आवंटन।

सरकारी कर्मचारियों को 'लॉ' पढ़ने की सुविधा।

तहसील टोडाभीम के भूमिहीन किसानों को प्रदत्त सिवाय चक की जमीन।

हिन्डोन–बयाना सड़क में आई जमीन के लगान की काश्तकारों से वसूली।

अजमेर जिले की हरिजन शरणा-

र्थियों की कोलोनीज़।

स्थगित प्रश्न

(१७-३-६१)

हिन्दी परीक्षाओं को अंग्रेजी परीक्षाओं के समकक्ष प्रदत्त सरकारी मान्यता।

स्थगित प्रश्न

(२७-३-६१)

राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय संघ द्वारा काश्त की भूमि में गोदामों का निर्माण।

स्थगित प्रश्न

(३१-३-६१)

जयपुर शहर का भिक्षुक गृह।

स्थगित प्रश्न

(३-४-६१)

भूमिहीन भूतपूर्व सैनिकों द्वारा गंग केनाल क्षेत्र में भूमि आवंटन हेतु प्रेषित प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही।

सदस्यों के नामों की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा जनलेखा समिति, १९६१-६२ तथा प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ के निर्वाचित सदस्यों के नाम घोषित किये गये जो इस प्रकार हैं:—

जनलेखा समिति

(१) श्री ज्वालाप्रसाद
(२) श्री तनसिंह
(३) श्री नाथूलाल कोरल
(४) श्री भवानीशंकर नंदवाना
(५) श्री भीमसेन
(६) श्री भैरोंसिंह (१४)
(७) श्री मोतीलाल चौधरी
(८) श्रीमती सुमित्रा देवी
(९) श्री श्रीमानसिंह
(१०) श्री हरिदेव जोशी।

प्राक्कलन समिति

(१) श्री अपनूसिंह
(२) श्री अब्दुलगफारखां
(३) श्री अमृतलाल यादव
(४) श्री किशनलाल शर्मा
(५) श्री जगदीशप्रसाद माथुर
(६) श्री परसराम
(७) श्री पी. के. चौधरी
(८) श्री प्रभुलाल पुरोहित
(९) श्री भैरोंसिंह (खेजड़ला ९५)

Page No 118

स्कम्भ स्कम्भ

(१०) श्री भोलानाथ

(११) श्री मुरलीधर व्यास

(१२) श्री रामचन्द्र

(१३) श्री रामप्रसाद लड्ढा

(१४) श्री रावतमल पारीक

(१५) श्री विद्यासागर।

विधायी कार्य

विचारार्थ लिया गया विधेयक

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने यह संशोधन रखा कि विधेयक को एक नई प्रवर समिति के सुपुर्द प्रस्तुत किया जाय। वाद-विवाद के पश्चात् श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया जाकर विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् विधेयक पर खंडशः विचार आरम्भ हुआ।

खंड २, ४, ८, १३, १५, १६, २३, २७, २८ अ एवं ३१ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खंड–३, ५, ६ (खंड ७ प्रवर समिति द्वारा विलोपित किया गया था) ६, ९ अ, १० से १२, १२ अ, १२ ब, १२ स, १४, १७ से २२, २४ से २६, २८, २९, ३० ३२, ३२अ, ३३ से ३५, अनुसूची एवं खंड १ आदि:—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

तत्पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

वापिस लिया गया विधेयक

सभा की आज्ञा के पश्चात् राजस्थान सहकारी भूमि बंधक बैंक (संशोधन) विधेयक १९६०, को वापिस लिया गया।

सदन की बैठक ५ बज कर ५ मिनट पर मंगलवार ११ अप्रेल, १९६१ को प्रात: ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

मंगलवार, ११ अप्रेल, १९६१
की कार्य–सूची

(१) राजस्थान कसर भौम विधेयक, १९६१
(प्रवर समिति को)

Page No 119

स्कम्भ

(२) राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधक तथा विस्तारक) विधेयक, १९६१

(विचारार्थ एवं पारित)

(३) राजस्थान भू राजस्व (संशोधन) विधेयक, १९६१

(विचार विमर्श एवं पारित)

(४) राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६१

(प्रवर समिति को)

स्कम्भ

(५) राजस्थान सरकार अनुदान विधेयक, १९६१

(विचारार्थ एवं पारित)

(६) राजस्थान राज्य पशु-मेला विधेयक, १९६१।

(प्रवर समिति को)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६४५ का उत्तर देखिये)

Districtwise statement showing outstanding of Land Revenue as on 30-9-60

S. N.	Name of District.	Outstanding balance as on 30-9-90
1.	2	3
1.	Jodhpur.	18,89,792
2.	Barmer.	11,89,793
3.	Jalore.	28,68,149
4.	Nagaur.	52,95,474
5.	Pali.	40,69,133
6.	Sirohi.	6,26,352
7.	Jaisalmer.	10,00,451 (August, 1960)
8.	Bikaner.	5,40,695
9.	Churu.	8,42,070
10.	Ganganagar.	24,01,080
11.	Kota.	3,98,751
12.	Bundi.	1,04,568
13.	Jhalawar.	27,232
14.	Udaipur.	6,81,481
15.	Dungarpur.	1,65,355
16.	Banswara.	89,626
17.	Bhilwara.	5,27,314
18.	Chittorgarh.	8,04,470
19.	Sawai Madhopur.	18,57,307

1	2	3
20.	Tonk.	11,89,522
21.	Sikar.	16,72,055
22.	Alwar.	15,64,807
23.	Bharatpur.	3,69,561
24.	Jhunjhunu.	5,07,219
25.	Jaipur.	54,35,272
26.	Ajmer.	2,89,496
	Total :-	3,64,07,344

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८५१ का उत्तर देखिये)

(First published in the Rajasthan Rajpatra part IV-C. dated August, 4, 1960)

INDUSTRIES & SUPPLIES DEPARTMENT NOTIFICATION.

Jaipur, June 9, 1960

No. D. 2604/F.3 (13) Ind/ A/59-In supersession of this Deptt. No. D. 7585/F./20(73) Ind/A/57 dated 17-3-59 the Government of Rajasthan is pleased to make and publish for the information of all concerned the following Rules regarding the factory sheds to be built in the area of the Industrial Estate in Rajasthan, namely-

(1) Title :-These rules may be called the Rajasthan Industrial Estate (allotment of sheds) Rules, 1959.

(2) Extent :-These rules shall come into force from the date of their publication and shall apply to the Industrial Estate areas in Rajasthan.

(3) Definition :-In these rules :

'Board' :-The 'Board' names the Board as appointed by the State Government and shall include any committee appointed by the Board to perform any one more or functions of the Board.

'Director' :-Means the Director of Industries, Rajasthan, Jaipur.

(4) Board :-The 'Board' shall consist of the following :-

1. Minister for Industries-Chairman.
2. Secretary, Industries-Member.
3. Director, Small Industries Service Institute-Member.
4. Director of Industries-Member-Secretary.
5. Representative of Rajasthan Chamber of Commerce and Industry or similar other organisation-Member.

(5) Application for allotment of shed :-Applications for allotment of sheds shall be made in the form given in schedule 2 to these rules to the District Industries Officer of the District concerned and shall be accompanied by an earnest money amounting to three months standard rent for the class of shed applied for. The applicant shall also furnish other details of the scheme for industries proposed to be started therein. The application so received by the District Industries Officer shall be forwarded to the Director.

(6) Disposal of application for allotment :-The applications for allotment of shed in an Industrial Estate received from the District Industries Officer shall be placed before the Board by the Director. The Board shall either grant or reject the application on such terms and conditions which it may deem fit. The decision of the Board in granting or rejecting the application shall be final.

(7) Order of allotment :-The Director shall carry out the order passed by the Board for the allotment of the shed on receipt of which the applicant shall occupy the shed within a period of seven days, failing which the earnest money shall be liable to be forefeited.

(8) Fixation of rent :-The rent of the different classes of sheds shall be fixed by the Board with the approval of the Government. The allottees shall pay the rent so fixed regularly.

(9) Maintenance of sheds :-The lessee shall keep the shed in good repairs and at the termination of lease shall hand over the shed in good condition to the Government. On failure of lessee to keep the shed in good repair the Government shall get the shed repaired and recover the cost of repairs from the lessee.

(10) Termination of lease :-The lease shall be terminated on the expiry of the term of lease for earlier with a notice of three months on either side. If the lessee fails to fulfil or confirm to the conditions on which the shed is leased or commits breach of any of the terms of the contract or rules, mentioned above, the Director may order the termination of lease. Any person aggrieved from the order of termination made by the Director may prefer an appeal to the Board whose decision shall be final.

(11) Manner of payment :-Rent payable on account of lease of the shed shall be paid by the lessee positively by the last date of the month to

which the rent relates. Any payment made by the Government on account of repairs of the shed under rule 9 supra, shall be made by the lessee within 15 days of the receipt of the notice to make such payment. Failure on the part of the lessee to make such payment in the manner stated above will count as a breach of the rules or terms of the contract within the meaning of Rule 11.

(12) Recovery of dues :-All amounts payable to the Government under these rules shall be recoverable as arrears of land revenue.

Sd/- Z. S. Zhala,
Secretary, Industries & Supplies,
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६५८ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE EXPENDITURE INCURRED UPTO 28-2-61

Sl. No.	Head of Account	Budget allotment 1960-61	Expenditure incurred upto 28-2-61.
1	2	3	4
1.	Pay of Officer	2,100	-
2.	Pay of Executive & Technical.	7,000	5,337.94
3.	Ministerial.	2,500	1,380.00
4.	Teaching.	600	150.00
5.	Class IVth servants.	3,000	1,217.04
6.	D. A.	6,000	3,175.66
7.	T. A.	500	103.33
8.	House Rent Allowance.	1,800	416.10
		23,500	11,779.47

Other charges.

(a) Office expenditure.

1.	Service postage	200	200.00
2.	Light & Water charges.	150	120.62
3.	Hot & Cold Weather charges.	150	2.00
4.	Liveries.	240	-
5.	Books & Periodical.	260	5.40

1	2	3	4
(b) Other charges.			
1.	Rent for accommodation.	7,200	4,105.00
2.	Maintenance Charges for inmates.	36,000	7,386.97
3.	Transporation.	1,000	-
4.	Purchase of furniture.	3,000	764.94
5.	Purchase of medicines.	1,200	-
6.	Purchase of Raw material.	4,000	50.25
7.	Other petty items.	2,000	541.00
		55,400	13,176.18
	Grant total.	78,900	24,955.65

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८४६ का उत्तर देखिये)

घास डिपो जिन जिन जगहों पर चल रहे हैं उनका विवरण

नाम घास डिपो	चालू होने की तारीख
१	२
१. खाकीजी की बावड़ी	६–११–६०
२. ऋलिनियावास	१०–११–६०
३. सेन्दड़ा	११–११–६०
४. ब्यावर	६–११–६०
५. पीसांगन	६–११–६०
६. मांगलियावास	६–११–६०
७. नसीराबाद	६–११–६०
८. खाकी की चोकी	८–११–६०
६. केकड़ी	६–११–६०
१०. देवली	६–११–६०
११. हिन्डोली	१०–११–६०
१२. बूंदी	६–११–६०
१३. तालेड़ा	१०–११–६०
१४. कोटा	६–११–६०
१५. मसूदा	११–११–६०
१६. बांदनवाड़ा	८–११–६०
१७. बरल	८–११–६०

१	२
१८. रायला	१३-११-६०
१९. भीलवाड़ा	१०-११-६०
२०. चित्तौड़गढ़	१२-११-६०
२१. निवाई	२१-११-६०
२२. तरल	१२-११-६०

शुद्धि–पत्र

(सोमवार, दिनांक १० अप्रेल, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७४१५	अन्तिम से ७	Sepeial	Special
७४३३	अन्तिम से २	श्री तनसिह	श्री तनसिंह
७४४४	१३	दग्यान	दम्यान
७४४६–४७	शीर्षक	१० अप्रेल, ६०	१० अप्रेल, ६१
७४४८	अन्तिम से ९	श्री दामोदर लाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
७४५०	२	गग	गंग
७४५३	१	निकलेहु ए	निकले हुए
७४५४	७	श्री जगीशप्रसाद माथुर	श्री जगदीशप्रसाद माथुर
७४६०	अन्तिम से ९	मेट्रक	मैट्रिक
७४६४	९	अवेलेबि ि लट	अवेलेबिलिटी
७४६७	२	नमो	नामों
७४६८	अन्तिम से ९	विमश	विमर्श
,,	,, ७	त्री) :	मन्त्री) :
,,	,, ६	कि	हूँ कि
,,	,, ५	वल	बिल
७४६९	१९	ि ुछ	कि कुछ
७४७० से			
७४९१	शीर्षक	१० अप्रेल, ६०	१० अप्रेल, ६१
७४७०	१५	Pe	Scope
,,	१६	Produc'decide o place	produce'deside to replace
,,	१७	o 'agricult culture	of 'agriculture, horticulture
,,	१८	?	,
,,	१९–२०	hofticu ture	horticulture
७४७१	१७	स्कोपकि	स्कोप के
७४७२	१६	में	बारे में
,,	१७	र. स्थान	राजस्थान
,,	१८	—	की बात
७४७३	१०	angaged	engaged
७४७६	शीर्षक	क्राप	कृषि

१	२	३	४
७४७७	१८	एस. के. डे	श्री एस. के. डे
७४८२	८	Streaight	Straight
७४८३	१६	रुहये	रुपये
,,	१७	काम्तकार	काश्तकार
७४८४	शीर्षक	रासस्थान	राजस्थान
,,	४	जो ज्यादा जमीन देंगे, जो ज्यादा लगान देगा ।	जो ज्यादा लगान देगा ।
७४८५	शीर्षक	विधेयज	विधेयक
७४८६	२२	पोस्टस	पोस्ट्स
७४८६	शीर्षक	यिपणि	विपणि
७४६०	,,	राजस्यान	राजस्थान
७४६३	शीर्षक	विपण त्रिधेयक	विपणि विधेयक
७४६४	अन्तिम से ५	थ्	थ
७४६५	शीर्षक	वपणि	विपणि
७४६६	,,	कृपि	कृषि
७५०३	२२	मार्केटस	मार्केट्स
७५०५	शीर्षक	वित्रणि विधेयक	विपणि विधेयक
७५०६	अन्तिम से ६	कल्चरिस्टस	कल्चरिस्ट्स
७५०७	अन्तिम से ६	हौती	होती
७५०८	शीर्ष	(श्री पी. के. चीधरी)	(श्री पी. के. चौधरी)
,,	अन्तिम से ६	करेगी	करेगी
७५०८–११	शीर्षक	१० अप्रेल, ६०	१० अप्रेल, ६१
७५११	२	इन्डीपेडेट	इन्डीपेन्डेन्ट
७५१४	१	श्री महेन्द्रसिह पंवार	श्री महेन्द्रसिंह पंवार
७५१५	२१	हम देखते हैं	हम देखते हैं कि
७५१७	२	पाल्ट्री	पोल्ट्री
,,	१४	फ्रूस	फ्रूट्स
७५३० से ७५६६ तक	शीर्षक	१० अप्रेल, ६०	१० अप्रेल, ६१
७५३१	,,	विप्रणि	विपणि
७५३१	१७	है और	है ।
,,	२१	मेजता	भेजता
७५३३	६	कठिनाइयों	कठिनाइयां

१	२	३	४
७५३४	अन्तिम से १३	उसको	उनको
७५३६	२०	ट्रेडस	ट्रेडर
७५३८	१७	तालुक	ताल्लुक
७५३६	२१	एग्रीकल्चरिस्टस	एग्रीकल्चरिस्ट्स
७५४०	३,१०,१८	श्री रामप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
,,	१२	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
७५४१	२	श्री रामप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
,,	अन्तिम पंक्ति	श्री रामप्रसाद लड्ट	,,
७५४२	अन्तिम से ४	डॉ० बहादुरसिह	डॉ० बहादुरसिंह
७५४४	२	yon	you
७५४६	अन्तिम से ४	कर	करें
७५५१	अन्तिम से ५	उसकी	इसकी
७५५४	२,५,६,१६	रेटस	रेट्स
७५६४	अन्तिम से ४	शर्तो	शर्तों
७५६८	अन्तिम पंक्ति	डायाकी की	डायार्की
७५७१	३	श्री नाथूराम मिधा	श्री नाथूराम मिर्धा
७५७६	१७	सेठ—अप	सेट-अप
७५८३	शीर्षक	तिधेयक	विधेयक
,,	६	elete	Delete
७५६१	१४,१६	डॉ० बहादुरसिह	डॉ० बहादुरसिंह
७५६२	अन्तिम से ८	दूसके	दूसरे
७५६३	१५	डॉ० बहादुरसिंह	डॉ० बहादुरसिंह
७५६७	शीर्षक	त्रिधेयक	विधेयक
७६०१	,,	,,	,,
७६०४	१८	undcr	under
७६०८	६	माकेट	मार्केट
,,	२२	प्रेसर	प्रेशर
७६०६	१५	लिमिटस	लिमिट्स
,,	अन्तिम से ६	डॉ० बहादुरसिह	डॉ० बहादुरसिंह
७६१०	शीर्ष	—	(श्री नाथूराम मिर्धा)
,,	४	के ३	३ के
७६१४–१५	शीर्षक	१० अप्रल, ६१	१० अप्रैल, ६१
७६१४	अन्तिम से ४	श्री श्रीभानसिह	श्री श्रीभानसिंह

१	२	३	४
७६१६	२३	सेटिशफाइड	सेटिस्फाइड
७६१८	२१	एस्टेब्लिश्ड	एस्टेब्लिश्ड्
७६२४	शीर्षक	राजस्यान	राजस्थान
७६२४-३६	,,	१० अप्रेल, ६०	१० अप्रेल, ६१
७६२४	अन्तिम से ५-६	रिप्रेजेन्टेशन क्लॉज़	रिप्रेज़ेन्टेशन का क्लॉज़
७६२५	४	शेफगार्ड	सेफगार्ड
७६२७	२१	डॉ० ब्रहादुरसिंह	डॉ० बहादुरसिंह
७६२८	१३	,,	,,
७६२६	१७	रिकॅग्नाइज़	रिकॉग्नाइज़
,,	शीर्षक	पिपणि	विपणि
७६३२	शीर्ष	(समापति)	(सभापति)
,,	अन्तिम से ६	acopy	a copy
७६३५	शीर्षक	१६६१	१६६०
७६३७	,,	,,	,,
७६३८	,,	रासस्थान	राजस्थान
७६४१	अन्तिम से ७	विधियक, १६६१	विधेयक, १६६०
७६४७	६	(३) श्री नाथूलाल कोरल	(३) श्री नाथूलाल करोल
	१५	(१) श्री अपनूसिहं	(१) श्री अनूपसिंह
,,	अन्तिम पंक्ति	(६) श्री भैरोंसिंह (खेज़डला ६५)	(६) श्री भैरोंसिंह (खेजड़ला १[illegible]
७६४६	अन्तिम से २	भौग	भोम

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
७४५३	स्कम्भ	७४५३	[७४५३
७४७६	शीर्षक	राजस्थान कृाष	राजस्थान कृषि
७४७६	,,	१६६१	१६६०
७५७५	,,	१६६१	१६६०
७६३३	,,	विपण विधेयक	विपणि विधेयक
७६३६	,,	विपणि विधेयज	विपणि विधेयक